

वार्षिक रिपोर्ट

2009-10




सत्यमेव जयते

दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

2009-10



सत्यमेव जयते

दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय-वस्तु

I.	भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : सिंहावलोकन	1
II.	दूरसंचार आयोग	15
III.	दूरसंचार विभाग	17
III.1.	बेतार आयोजना एवं समन्वय	31
III.2.	दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र	41
III.3.	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	43
III.4.	संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय	49
III.5.	सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप	51
III.6.	दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा	53
III.7.	महिला सशक्तिकरण	57
III.8.	विकलांग व्यक्ति	61
III.9.	नागरिक चार्टर एवं शिकायत समाधान तंत्र	63
IV.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	69
V.	दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण	73
VI.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियां	75
VII.	टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र	79
VIII.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	85
VIII.1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	87
VIII.2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	99
VIII.3.	आईटीआई लिमिटेड	111
VIII.4.	टेलीकम्युनिकेशंस कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	119
IX.	सांख्यिकीय परिशिष्ट	125
	परिवर्णी शब्द	141
	संगठनात्मक चार्ट	144



I. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : सिंहावलोकन

विकास प्रक्रिया में दूरसंचार क्षेत्र की भूमिका

विश्वभर में दूरसंचार सेवाओं को किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण उपादान माना गया है। दूरसंचार, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र विकास और आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक एक प्रमुख सहायक सेवा है। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए अत्यधिक विकास और अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्रों पर इसके कारण पड़ने वाले उल्लेखनीय संभावित प्रभाव के दृष्टिगत दूरसंचार का महत्व और अधिक बढ़ गया है। दूरसंचार क्षेत्र का अर्थव्यवस्था पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है और दक्षता में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में इसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उपलब्ध अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि दूरसंचार सेवाओं के उपयोग से व्यावसायिक निकायों और परिवारों की भी आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने में सहायक है। भारत सरकार का मानना है कि विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना और सूचना की उपलब्धता देश के तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास की कुंजी है।

इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

दूरसंचार क्षेत्र भारत के कुछ ऐसे क्षेत्रों में शामिल है जिसमें वर्ष 1991 से सर्वाधिक मौलिक ढांचागत और संस्थागत सुधार हुए हैं। हाल के वर्षों में हमारा देश विश्व में एक सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रहे दूरसंचार बाजार के रूप में उभरा है। वर्तमान वित्त वर्ष में भी भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में लगभग 562.21 मिलियन कनेक्शन काम कर रहे हैं। 525.15 मिलियन वायरलेस कनेक्शनों से युक्त भारतीय दूरसंचार विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वायरलेस नेटवर्क बन गया है। हमारे देश में दूरसंचार के क्षेत्र में प्रगति की काफी अधिक संभावना है। वर्तमान में प्रतिमाह लगभग 15 मिलियन कनेक्शनों की वृद्धि होना दूरसंचार क्षेत्र में सुदृढ़ उपभोक्ता आधार का परिचायक है। वर्ष 2010 तक 500 मिलियन कनेक्शन का लक्ष्य सितंबर, 2009 में ही प्राप्त कर लिया गया है। ग्यारहवीं योजनावधि में 600 मिलियन कनेक्शन के लक्ष्य का लगभग 94% आधी अवधि के दौरान ही प्राप्त कर लिया गया है। इस गति से विस्तार को देखते हुए यह विभाग ग्यारहवीं योजनावधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त है। दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाई गई है :

बॉक्स : 1 दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- भारतीय दूरसंचार बाजार विश्व में एक सबसे तेजी से उभर रहा बाजार है।
- 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार 562.21 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों से युक्त भारतीय दूरसंचार विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क बन गया है।
- भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वायरलेस नेटवर्क काम कर रहा है
- इसमें प्रतिमाह लगभग 15 मिलियन कनेक्शनों की वृद्धि हो रही है।
- 2010 तक 500 मिलियन टेलीफोनों का लक्ष्य सितंबर 2009 तक ही प्राप्त कर लिया गया।
- वायरलेस टेलीफोनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 31 दिसंबर 2009 की स्थिति के अनुसार वायरलेस टेलीफोनों की संख्या कुल फोनों के 93% से भी अधिक है।
- कुल टेलीफोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 82.33% है।
- समग्र टेलीघनत्व 47.88% के आसपास पहुंच चुका है। शहरी टेलीघनत्व 100% तक पहुंच चुका है जबकि ग्रामीण टेलीघनत्व 21.19% है और इसमें भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
- 31 दिसंबर, 2009 तक ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 7.98 मिलियन पर पहुंच गई है।



दूरसंचार क्षेत्र का विकास



दूरसंचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने से न केवल इस क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ है बल्कि इससे उपभोक्ताओं के लिए लाभ को अधिकतम करने में भी सहायता प्राप्त हुई है क्योंकि इससे निर्बाध प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप प्रशुल्क में काफी कमी आई है। दूरसंचार क्षेत्र में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1999 में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या मात्र 22.8 मिलियन थी जो 2003 में बढ़ कर 54.6 मिलियन तथा मार्च, 2009 के अंत तक और बढ़कर 429.72 मिलियन पर पहुंच चुकी है। 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 562.21 मिलियन है जो मार्च से दिसंबर, 2009 की अवधि के दौरान टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में 132.49 मिलियन की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि में वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों का योगदान रहा है क्योंकि वायरलेस कनेक्शनों की संख्या मार्च, 2001 के 3.57 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2003 में 13.29 मिलियन, मार्च 2006 में 101.86 मिलियन, मार्च, 2009 में 391.76 मिलियन और 31 दिसंबर, 2009 को 525.15 मिलियन हो गई है। वायरलाइन कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2001 के 32.70 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2005 में 41.42 मिलियन हो गई है किंतु उसके पश्चात इनकी संख्या घटकर मार्च, 2006 में 40.22 मिलियन, मार्च, 2009 में 37.96 मिलियन और दिसंबर, 09 में 37.06 मिलियन हो गई है।

तालिका 1 : पिछले वर्षों में टेलीफोन की वृद्धि (मिलियन में)						
मर्दे	मार्च, 06	मार्च, 07	मार्च, 08	मार्च, 09	अप्रैल, 09	दिसंबर, 09
स्थिर लाइन	40.23	40.77	39.41	37.96	37.81	37.06
वायरलेस	101.86	165.09	261.08	391.76	403.66	525.15
एकल योग	142.09	205.86	300.49	429.72	441.47	562.21
वार्षिक वृद्धि (%)	44	45	46	43	उपलब्ध नहीं	31

दूरसंचार क्षेत्र के गठन की संरचना में परिवर्तन


वायरलाइन बनाम वायरलेस

2004 से वायरलेस उपभोक्ताओं की 60 प्रतिशत वार्षिक की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ वायरलेस सेवाओं की मूलभूत रूप से वृद्धि हुई है। आज देश में वायरलेस उपभोक्ता, वायर- लाइन उपभोक्ताओं की तुलना में न केवल अधिक है, बल्कि इनकी संख्या बहुत तेज गति से भी बढ़ रही है। 1999 में वायरलेस फोनों की हिस्सेदारी 5.26 प्रतिशत थी जो बढ़कर दिसंबर, 2009 में 93.41 प्रतिशत हो गयी है। स्थिर वायरलाइन की हिस्सेदारी इसके विपरीत तेजी से घटी है। प्राइवेट सेवा प्रदाताओं ने वायरलेस प्रौद्योगिकी ही अपनायी है, क्योंकि वायरलेस दूरसंचार सेवाओं के रोल आउट में यही आसान है। वायरलेस फोनों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि उनकी सुविधा और शुल्क वहनीयता के कारण ये पसंद किये जाते हैं। इसी के परिणामस्वरूप टेलीफोन आज आम लोगों की पहुंच के दायरे में है।



निजी बनाम सार्वजनिक

सरकार का उदारीकरण प्रयास निजी क्षेत्र की बढ़ रही हिस्सेदारी का प्रयास है। आज निजी क्षेत्र दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दिसंबर, 2009 के लिए उपलब्ध नवीनतम सांख्यिकी के अनुसार निजी क्षेत्र के कुल टेलीफोन कनेक्शनों की हिस्सेदारी अब 82.33% है जबकि 1999 में यह नगण्य 5% थी।






टेलीघनत्व में रुझान

टेलीघनत्व देश में दूरसंचार के प्रसार का एक महत्वपूर्ण सूचक है।

- मार्च, 1999 में टेलीघनत्व 2.32 % था जो बढ़कर मार्च, 2006 में 12.7% हो गया और मार्च, 2009 में पुनः बढ़कर 36.98% और दिसंबर, 2009 में 47.88% हो गया। इस प्रकार देश के समग्र टेलीघनत्व में सतत रूप से वृद्धि हुई है।
- ग्रामीण टेलीघनत्व मार्च, 2002 में 1.21 % से अधिक था जो मार्च, 08 में बढ़कर 9.46% हो गया है, और मार्च, 09 में पुनः 15.11% और दिसंबर, 2009 की समाप्ति तक 21.19% हो गया।
- शहरी टेलीघनत्व मार्च, 08 में 66.39% था जो मार्च, 09 में बढ़कर 88.84% और दिसंबर, 2009 की समाप्ति तक 110.69 % हो गया है।

इस प्रकार शहरी और ग्रामीण टेलीघनत्व में काफी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ग्रामीण टेलीघनत्व में तेजी से वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस फोनों की शुरुआत होने से ग्रामीण टेलीघनत्व में रुझान बढ़ रहा है। सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के लिए यूएसओ निधि के अंतर्गत अनेक उपाय कर रही है। क्योंकि शहरी क्षेत्र में इन सुविधाओं की भरमार है, निजी सेवा प्रदाता भी ग्रामीण क्षेत्रों में और अवसरों की तलाश कर रहे हैं। हाल में इन सभी तथ्यों ने ग्रामीण टेली-घनत्व में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।



ग्रामीण टेलीफोनों पर ध्यान केंद्रित करना

जबकि शहरी उपभोक्ता पर्याप्त रूप से बढ़ रहे हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में इस तरह वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की शुरुआत से अब ग्रामीण उपभोक्ताओं में वृद्धि हो रही है। यूएसओ निधि द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों का बॉक्स 2 में उल्लेख किया गया है।

- ग्रामीण टेलीफोनों की संख्या मार्च, 1999 के 3.6 मिलियन की तुलना में मार्च, 2004 में 12.3 मिलियन और मार्च, 2009 में 123.51 मिलियन तक पहुंच गई है।
- कुल टेलीफोनों में उनका हिस्सा 2005 में 14% की तुलना में 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार 31% हो गया है।



- 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 174.58 मिलियन हो गई है।
- कुल ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों में भी मोबाइल कनेक्शनों ने अपना पर्याप्त योगदान दिया है।
- वर्ष 2009-10 के दौरान शहरी टेलीफोन कनेक्शनों की 26.59% की वृद्धि दर की तुलना में ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि दर 41.35% रही। ग्रामीण टेलीफोनों की वृद्धि में निजी क्षेत्र ने भी योगदान दिया है क्योंकि 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार उन्होंने ग्रामीण टेलीफोनों का 81% हिस्सा प्रदान किया है।

बॉक्स: 2 ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

- 31 दिसंबर, 2009 तक वीपीटी द्वारा लगभग 5,66 लाख (94.79%) गांवों को शामिल किया गया।
- 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 40705 गांवों में से 40694 गांवों को ग्रामीण समुदाय फोन उपलब्ध कराए गए।
- भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत, 62302 गांवों में से 61186 गांवों को दिसंबर, 2009 तक शामिल कर लिया गया।
- 1685 लागत बाहुल्य लघु दूरी क्षेत्रों (एसडीसीए) में लगभग 70.49 लाख आरडीईएल स्थापित किए गए।
- देश के 27 राज्यों में 500 जिलों में 7436 टावर लगाए जाने के लिए ढांचा शेयरिंग स्कीम का क्रियान्वयन किया गया ; 31 दिसंबर, 2009 तक 6956 टावर स्थापित किए गए।

भावी वृद्धि की संभावना

भारतीय दूरसंचार बाजार में और भावी वृद्धि की अभी बहुत संभावना है। बड़ी आबादी अभी भी दूरसंचार सुविधाओं से वंचित है और फोन घनत्व अभी भी 48% और ग्रामीण फोन घनत्व 21% है। इस क्षेत्र हेतु संभावना बहुत अधिक है विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जहां वायरलाइन और इंटरनेट सेवाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी है। यहां तक कि मोबाइल फोन सेवाओं ने शहरी क्षेत्रों में बहुत वृद्धि की है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक नहीं पहुंची है। स्टैक होल्डरों का ध्यान अब इन नये ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जा रहा है जो कि भारतीय दूरसंचार को तरक्की के दूसरे चरण के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सन 2014 तक ग्रामीण फोन-घनत्व बढ़कर 40% हो जाएगा। आशा है कि सन 2015 तक देश में एक मिलियन टेलीफोन हो जाएंगे।

ब्रॉडबैंड


तीव्र वृद्धि और अनुवर्ती आर्थिक लाभों के लिए जानकारी आधारित समाज के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाया जाना आवश्यक है। देश में ब्रॉडबैंड को बढ़ाने के लिए अनेक नीतियां घोषित एवं क्रियान्वित की गई हैं (**बॉक्स-3**)।

- इन उपायों के परिणामस्वरूप, ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या जो 2005 में 0.18 मिलियन थी, 30 अप्रैल, 2009 को बढ़कर 6.2 मिलियन और दिसंबर, 2009 के अंत तक बढ़कर 7.98 मिलियन हो गई है।
- ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 4044 शहरों, 5431 ब्लॉक और 613 जिला मुख्यालयों में उपलब्ध कराई गई है जिनमें 1,06,559 गांव शामिल हैं।
- देश के सभी गांवों में 100,000 सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) की स्थापना से ब्रॉडबैंड कवरेज को बढ़ावा मिलेगा। नवम्बर, 2009 को 26,239 सीएससी शामिल हो गए हैं। ये आम नागरिक को इंटरनेट सुविधा और ई-शासन के लाभ



उपलब्ध कराएंगे।

- यह भी परिकल्पना की गई है कि इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 2010 तक क्रमशः 40 मिलियन और 20 मिलियन हो जाएगी।
- ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार में भारत को प्रौद्योगिकीय तथा वाणिज्यिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- ज्यादा कीमत होने के कारण पीसी की कम संख्या और सुलभता इसके मुख्य कारक हैं।
- देश के लोगों को ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ज्यादातर प्रचालकों द्वारा बेतार ब्रॉडबैंड को चुनने की संभावना है। बेतार प्रौद्योगिकी में व्यापक ब्रॉडबैंड अभिगम प्रदान करने तथा मोबाइल बैंकिंग, टेली एजुकेशन, ई-गवर्नेंस, टेली मेडिसिन इत्यादि के द्वारा समेकित वृद्धि करने की क्षमता है।
- निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु सरकार ने ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम (बीडब्ल्यूए) सेवाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीडब्ल्यूए सेवाएं शुरू होने पर ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। वाइ-मैक्स भी सभी क्षेत्रों में बेतार ब्रॉडबैंड की उपलब्धता में जगह बना रहा है।



तालिका-3 : ग्रामीण ब्रॉडबैंड को बढ़ाने में यूएसओएफ की भूमिका

- निजी और सरकारी संस्थानों को 2014 तक 8,88,832 बेतार ब्रॉडबैंड प्रदान करने की स्कीम।
- 31 दिसम्बर, 2009 तक 95011 ब्रॉडबैंड कनेक्शन और चार क्योसक उपलब्ध कराए गए।
- संस्थागत प्रयोक्ताओं जैसे ग्राम पंचायत, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए वॉयस और डाटा परियात को एकीकृत करने के लिए पर्याप्त बैंक हॉल क्षमता के लिए पहल।



माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह नई दिल्ली में आयोजित "इंडिया टेलीकॉम 2009" में आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए



माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह "इंडिया टेलीकॉम 2009" के आयोजन के दौरान संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ए० राजा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री सचिन पायलट, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री गुरुदास कामत एवं दूरसंचार विभाग के सचिव श्री पी०जे० थॉमस के साथ



भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम नई दिल्ली में आयोजित "इंडिया टेलीकॉम 2009" में आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए



भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम नई दिल्ली में आयोजित "इंडिया टेलीकॉम 2009" में दूरसंचार उद्योग पर रिपोर्ट का विमोचन करते हुए



भावी विकास की नई संभावनाएं

तीसरी पीढ़ी की दूरसंचार सेवाएं

भारत के दूरसंचार उद्योग में व्यापक स्तर पर विकास हो जाने पर बेहतर प्रौद्योगिकी तथा अगले चरण की सेवा सुपुर्दगी को अपनाने के प्रति रुझान हो रहा है। हालांकि भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए गत पांच वर्ष की अवधि विकास की दृष्टि से परिवर्तनकारी रही है और आगामी कुछ वर्षों के दौरान और भी अधिक उत्साहवर्धक विकास की संभावना है। आगामी वर्षों के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धियों में तीसरी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी की शुरुआत प्रमुख होगी। सरकार ने हाल ही में तीसरी पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। इससे मौजूदा प्रचालकों के साथ-साथ विदेशी प्रचालकों को बेहतर अवसर प्राप्त होगा ताकि वे भारतीय बाजार में अपनी भागीदारी कर सकें तथा नई प्रौद्योगिकी एवं नवीनताओं को प्रयोग में ला सकें।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)


एमएनपी व्यवस्था के तहत किसी भी उपभोक्ता को यह छूट होगी कि वह मोबाइल फोन नंबर को बदले बिना ही अपना सेवा प्रदाता बदल सके। एमएनपी संबंधी दिशा-निर्देशों की घोषणा हो जाने पर दूरसंचार सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को नहीं खोने के प्रयोजन से अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बाध्य होंगे। इसे भारतीय दूरसंचार उद्योग के परिपक्व घटक तथा उद्योग को विकास की राह पर अग्रसर होने के स्वाभाविक चरण के रूप में देखा जा सकता है।

मूल्य वर्द्धित सेवाएं (वीएस)

मोबाइल मूल्य वर्द्धित सेवाओं में टेक्स्ट या एसएमएस, मेनु आधारित सेवाएं, म्यूजिक या रिंगटोनों की डाउनलोडिंग, मोबाइल टीवी, वीडियो, स्ट्रीमिंग, परिष्कृत एम-कॉमर्स अनुप्रयोग, इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 2008 के पूर्व, अधिकांश वीएस राजस्व की प्राप्ति एसएमएस से हुई। तथापि, मौजूदा स्थिति से यह पता चलता है कि वीएस का यह मिला-जुला स्वरूप विकसित हो रहा है। नई सेवाओं के व्यापक विस्तार अपेक्षाकृत कम खर्चीले एवं बहुआयामी विशिष्टतायुक्त हैंडसेटों तथा ग्राहक शिक्षा की उपलब्धता होने से, एसएमएस की जगह वीएस का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगामी कुछ वर्षों में, बिना एसएमएस वाले वीएस का वीएस राजस्व की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान होगा।


विनिर्माण

भारतीय दूरसंचार उद्योग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण करता है। दूरसंचार क्षेत्र के विकास के मद्देनजर, विनिर्माण के क्षेत्र में घरेलू एवं विदेशी निवेशकों के लिए उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध हैं। गत पांच वर्षों के दौरान कई जानी-मानी दूरसंचार कंपनियों ने भारत में अपना विनिर्माण आधार स्थापित किया है। 2008-09 के दौरान, दूरसंचार उपस्करों का उत्पादन 412700 मिलियन रुपये (2007-08) से बढ़कर 488000 मिलियन रुपये ही जाने की आशा है तथा वर्ष 2009-2010 के दौरान यह बढ़कर 575840 मिलियन रुपये हो जाने की संभावना है। दूरसंचार विनिर्माण उद्योग के विकास का मुख्य कारण दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र गति से हो रहा विकास है। भारत में दूरसंचार विनिर्माण के लिए वैश्विक हब के रूप में विकसित होने की सक्षमता मौजूद है। सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहल ऑफर किए गए प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा की उपलब्धता तथा कम श्रम लागत जैसे कुछ ऐसे अनुकूल कारक हैं जो उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं।






वर्ष 2002-2003 के दौरान 4020 मिलियन रु० का निर्यात वर्ष 2008-09 के दौरान बढ़कर 1,10,000 मिलियन रु० हो गया, जो देश में उत्पादित कुल उपस्कर का 21 प्रतिशत है तथा यह निर्यात 2009-10 के दौरान बढ़कर 1,32,500 मिलियन रु० होने की संभावना है।



प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण के परिणाम लाभदायक रहे हैं ऐसा ही दूरसंचार के क्षेत्र में भी हुआ है। निजी क्षेत्र की फर्मों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देकर किए गए उदारीकरण के परिणामस्वरूप दूरसंचार के क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ। विदेशी निवेशकों की अधिकाधिक भागीदारी की अनुमति देने से इस क्षेत्र के विकास में सहायता मिली है। आज, सेवाएं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र के बाद, दूरसंचार ऐसा तीसरा प्रमुख क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को आकर्षित कर रहा है। इस समय विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए 74% से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। यह निवेश दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। दूरसंचार के क्षेत्र में अप्रैल-नवंबर, 2009-10 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का अंतर्वाह 2223 मिलियन अमेरिकी डालर का रहा जैसा नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है :





विनियामक ढांचा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा ही बेहतर गुणवत्ता और वहनीय कीमतों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। 2009-10 के दौरान ट्राई द्वारा अनेक विनियम और निदेश जारी किए गए जिनमें अन्य के साथ-साथ दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट सम्पादन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 2009 तथा ग्राहकों की सुस्पष्ट सहमति लेने एवं अनजाने में मूल्यवर्द्धित सेवाओं के लिए ग्राहक बनाए जाने से रोकने के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान किए जाने के संबंध में अभिगम सेवा प्रदाताओं के लिए निदेश, आईपीटीवी प्रदाताओं के लिए निदेश, सभी अभिगम सेवा प्रदाताओं को उनकी कार्य-निष्पादन मानीटरिंग रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने के लिए निदेश शामिल हैं। इन निदेशों और विनियमों से दूरसंचार क्षेत्र को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से, ट्राई ने मापन की विशुद्धता और बिलिंग की विश्वसनीयता आदि के संबंध में एकरूपता और पारदर्शिता लाने, इनके लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए मीटरिंग और बिलिंग की लेखा परीक्षा कराए जाने के संबंध में कदम उठाए हैं। सेवा प्रदाताओं को प्रतिवर्ष ट्राई को लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और उसके साथ सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी कमियों के संबंध में की गई सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, ट्राई ने उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की दिशा में अनेक कार्यक्रमलाप शुरू किए हैं।

ट्राई ने तिमाही आधार पर बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के निष्पादन की और इसके अतिरिक्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) की मानीटरिंग करके सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय भी किए हैं।

आशा है कि उपर्युक्त उपायों से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किए जाने के अलावा स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिए जाने और निवेश दक्षता में वृद्धि के द्वारा दूरसंचार क्षेत्र का सुगमतापूर्वक सुव्यवस्थित विकास होगा।

अनुसंधान एवं विकास

सी-डॉट दूरसंचार विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है जो दूरसंचार में राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य कर रही है। सी-डॉट विभिन्न विकासपरक परियोजनाओं जैसे ग्रामीण भारत के लिए मोबाइल संचार रेडियो अभिगम नेटवर्क की साझी वैश्विक प्रणाली (एसजी-आरएएन), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए परंपरागत स्विचों का अगली पीढ़ी की सेवाओं में उन्नयन, संचार अनुश्रवण प्रणालियों, सुरक्षित समर्पित संचार नेटवर्कों, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल (जी-पॉन) प्रणालियों जैसे ब्रॉडबैंड सेवा वितरण प्लेटफार्मों पर कार्य कर रहा है। एसजी-आरएएन और जी-पॉन जैसी परियोजनाओं से स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

नई प्रौद्योगिकियों के बढ़े हुए प्रयोगों, निगमितीकरण, प्रतिस्पर्द्धा की दिशा में किए जाने वाले प्रयास और विनियामक कार्यों को प्रचालनात्मक सेवाओं से अलग करने के लिए उन्नत स्तर की नीति, विनियामक, प्रबंधकीय और प्रौद्योगिकीय सुविज्ञता अपेक्षित है। इस सुविज्ञता को उत्पन्न करने का सामर्थ्य विकसित करने और उसे सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इस क्षेत्र में कार्यरत सभी स्टेकधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्रों (टीसीओई) की अवधारणा बनाई गई है। अनुप्रयोग के अनुकूल अनुसंधान के अतिरिक्त, इन केंद्रों को उच्च स्तर पर निर्णय करने वाले दूरसंचार संगठनों को क्षेत्र में सुधार कार्यों को व्यवस्थित करने तथा कार्पोरेट प्रबंधकों को नेटवर्कों तथा सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए दोनों वर्गों को सहायता प्रदान करने तथा प्रशिक्षण देने की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में आठ टीसीओई होंगे तथा प्रत्येक केंद्र को सहायता प्रदान करने हेतु सात प्रमुख दूरसंचार प्रचालक होंगे। स्पैक्ट्रम प्रबंधन केंद्र को उद्योग कंसोर्टियम की सहायता से स्वायत्त मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। विनिर्माण तथा अनुसंधान एवं विकास संबंधी हमारे प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु, संचार सुरक्षा, अनुसंधान एवं निगरानी के लिए दूरसंचार परीक्षण एवं सुरक्षा



प्रमाणन केंद्र (टीईटीसी) की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है। अल्काटेल, सिसको इत्यादि जैसी अनेक कंपनियों ने भी भारत में अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना की है।

दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

एमटीएनएल और बीएसएनएल विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो प्रमुख उपक्रम हैं जिनका टेलीफोनों एवं अन्य संबंधित सेवाओं की बढ़ती अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु काफी विकास हुआ है। एमटीएनएल, जिसकी स्थापना मुख्यतः गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि करने तथा भारत के प्रमुख महानगरों-दिल्ली एवं मुंबई में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए राजस्व जुटाने हेतु की गई थी, ने 1986 में अपने गठन के समय से ही भारत की अग्रणी कंपनी बनने एवं एशिया की सबसे बड़ी दूरसंचार प्रचालक कंपनियों में अपना नाम शुमार करने के लिए तीव्र गति से प्रयास किया है। एमटीएनएल की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होने के अलावा इसके ग्राहकों की संख्या दिसंबर, 2009 के अंत में 8.37 मिलियन हो गई है। 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार कंपनी में ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या 768037 है। कंपनी ने अपने 100% टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क को अत्याधुनिक डिजिटल मोड में परिवर्तित करके प्रौद्योगिकी को लागू करने की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। फिलहाल, भारत सरकार का कंपनी में 56.25% स्टैक है।

बीएसएनएल, जिसका गठन अक्टूबर, 2000 में हुआ था, विश्व की 7वीं सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है जो भारत में दूरसंचार सेवाओं का व्यापक रेंज उपलब्ध कराती है जिनमें वायरलाइन, सीडीएमए वायरलेस, जीएसएम वायरलेस, इंटरनेट, ब्राडबैंड, वाहक सेवा, एमपीएलएस-वीपीएन, वीएसएटी, वीओआईपी सेवाएं, आईएन सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। यह आठ वर्षों की अल्प अवधि में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का सेवा प्रदाता बन गया है जो दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार 62.86 मिलियन बेतार ग्राहकों सहित 90.96 मिलियन उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बीएसएनएल ग्रामीण टेलीफोनी पर अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ विशेष ध्यान दे रहा है। 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार, इसने 5.63 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 323.27 लाख टेलीफोन उपलब्ध कराए हैं। बीएसएनएल ने जनवरी, 2005 से ब्रॉडबैंड सेवाएं आरंभ कर दी है तथा इसने दिसंबर, 2009 तक 47.30 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं।

प्रमुख नीतिगत पहलें

टेलीघनत्व के तीव्र विस्तार को सुनिश्चित करने के एनटीपी-99 के मुख्य लक्ष्य और "शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी सेवा प्रदाताओं के लिए प्रतिस्पर्धा के समान अवसर प्रदान करते हुए दूरसंचार के क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से व्यापक प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश के लिए रुपांतरित करने" के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग ने नीचे दी गई विभिन्न नीतिगत पहलों को अपनाया है जिसने दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सहायता की है और वहनीय तथा गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के हित में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की :

- यह निर्णय लिया गया है कि किसी सेवा क्षेत्र में अभिगम प्रदाताओं की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। वर्ष 2008 में देश के 22 सेवा क्षेत्रों में 17 कंपनियों को 122 नये यूएस लाइसेंस प्रदान किए गए।
- समान यूएस/सीएमटीएस लाइसेंस के अंतर्गत दोहरी प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए 8 कंपनियों को अनुमति दी गई है जिनमें बीएसएनएल और एमटीएनएल शामिल हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल को ऐसे उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क से छूट दी गई है।
- दिनांक 11 जुलाई, 2008 को भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर अंतरराष्ट्रीय सीमा के 500 मीटर के भीतर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है।
- विभाग ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) आरंभ करने का निर्णय लिया है। इससे उपभोक्ता को एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता की सेवाएं अपनाने पर या एक ही सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी से दूसरी प्रौद्योगिकी अपनाने पर भी एक ही नंबर रखने की सुविधा प्राप्त होगी। इससे दूरसंचार बाजार में सच्ची प्रतिस्पर्धा होगी।
- टेलीमार्केटिंग करने वालों से आने वाली अनचाही कॉलों को विनियमित करने के उद्देश्यार्थ, एक ऐसा विनियम लागू



किया गया है जिसके अंतर्गत "नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री (एनडीएनसी)" को प्रभावी बना दिया गया है। इसके लागू हो जाने से अनचाही कॉलों की संख्या काफी कम हो गई है।

- सरकार ने देश में राष्ट्रीय एकीकृत निदेशिका सेवा (एनआईडीक्यूएस) शुरू करने का भी निर्णय लिया है। खुली निविदा के माध्यम से एनआईडीक्यूएस लाइसेंस प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दूरसंचार विभाग द्वारा शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।
- जीएसएम और सीडीएमए स्पेक्ट्रम के आबंटन हेतु संशोधित उपभोक्ता आधारित मानदंड 17 जनवरी, 2008 को जारी किए गए।
- "अभिगम सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम के आवंटन और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण" संबंधी समिति की रिपोर्ट पर ट्राई की सिफारिशें मांगी गई हैं।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

भावी विकास की नीति


विश्व भारतीय दूरसंचार उद्योग की अपार सफलता का साक्षी रहा है। प्रारंभ से ही, इस क्षेत्र ने अत्यधिक क्षमता को दर्शाया है और देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। दूरसंचार उद्योग सार्वजनिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा समेकित विकास का मार्ग प्रशस्त करने में भी अत्यधिक सफल रहा है।

अभी तक दूरसंचार क्षेत्र की सफलता कमोबेश ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रही थी। तथापि, पिछले कुछ वर्षों से सरकार तथा निजी उद्यमी शहरी क्षेत्रों में प्राप्त सफलता को ग्रामीण भारत के अपेक्षाकृत नए बाजारों में दोहराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि वॉयस सेवा इस क्षेत्र के विकास के लिए परंपरागत रूप से मुख्य घटक रही है, यह उद्योग अब अगले बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और यह अन्य अवसरों के माध्यम से विकास को गति देने के प्रति उन्मुख है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से नए बाजारों के खुलने की संभावना है और साथ ही इससे अपेक्षाकृत कम सुविधाप्राप्त क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी सुधार होगा। मोबाइल वीएस से व्यापार में वृद्धि करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और आम जनता के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने हेतु विकसित की जा रही संबंधित सामग्री के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को लाभ होने की आशा है। दूरसंचार विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित सापेक्षिक रूप से नए उद्योगों की स्थापना के परिणामस्वरूप जनसाधारण के लिए रोजगार के अनेकानेक अवसर उत्पन्न होंगे।

दूरसंचार क्षेत्र में मिली सफलता की प्रशंसा करते हुए सरकार इस तथ्य से अवगत है कि मौजूदा सफलता से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। सरकार ने परिवर्तनशील प्रौद्योगिकियों के मद्देनजर विकासोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने तथा अन्य देशों के अनुरूप इस क्षेत्र में सरंचनागत परिवर्तनों में तेजी लाने की आवश्यकता भी महसूस की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूरसंचार सेवाएं अर्थव्यवस्था में विकास की तीव्र गति को बनाए रखने हेतु सिर्फ अपेक्षित पैमाने पर ही उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि इन सेवाओं की गुणवत्ता एवं लागत अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप भी हैं।

सरकार अब 11वीं योजना के अंत तक 600 मिलियन तथा 2015 के अंत तक 1 बिलियन टेलीफोन उपभोक्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

ग्रामीण टेलीफोनी पर सरकार द्वारा सर्वाधिक बल दिया जाना जारी है। यह मान लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता जितनी अधिक होगी, बाजार अर्थव्यवस्था में लोगों की भागीदारी उतनी ही अधिक होगी, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी और उनकी आय बढ़ेगी। अतः 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 200 मिलियन



ग्रामीण कनेक्शनों के माध्यम से 25% ग्रामीण टेलीघनत्व प्राप्त करने का प्रस्ताव है। वर्तमान विकास को देखते हुए, 2014 तक ग्रामीण टेलीघनत्व के 40% तक हो जाने की आशा है।

विकास की प्रक्रिया में ब्रॉडबैंड सेवाओं की संभाव्यता को समझते हुए, ग्यारहवीं योजना के लक्ष्यों में सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों एवं ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। ऐसी भी परिकल्पना है कि इंटरनेट एवं ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की संख्या 2010 के अंत तक क्रमशः 40 मिलियन एवं 20 मिलियन हो जाएगी।

सरकार ने किफायती मूल्य पर देश भर में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने और ब्रॉडबैंड सुविधाएं प्रदान कराने की परिकल्पना की है और सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है।



II. दूरसंचार आयोग

भूमिका और कार्य

भारत सरकार ने दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित 11 अप्रैल, 1989 के विनियमन के द्वारा दूरसंचार आयोग का गठन किया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य, जो कि दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव हैं तथा चार अंशकालिक सदस्य हैं जो कि संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव हैं। आयोग का वर्तमान संघटन निम्नानुसार है:-

अध्यक्ष	श्री पी०जे० थॉमस	1 अक्टूबर, 2009 से
सदस्य (वित्त)	श्रीमती विजयलक्ष्मी के गुप्ता	4 सितंबर, 2009 से
सदस्य (सेवाएं)	श्री वी०के० शुक्ल	24 फरवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2010 तक
सदस्य (प्रौद्योगिकी)	श्री चंद्र प्रकाश	12 सितंबर, 2009 से

सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), सचिव (वित्त), सचिव (योजना आयोग) और सचिव (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन) इसके अंशकालिक सदस्य हैं।

दूरसंचार आयोग के मुख्य कार्यों में नीति निर्माण, कार्य-निपादन की समीक्षा, लाइसेंसिंग, वायरलेस स्पैक्ट्रम प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रशासनिक मॉनीटरिंग, अनुसंधान और विकास तथा उपस्कर का मानकीकरण/विधिमान्यकरण तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल हैं।



III. दूरसंचार विभाग

भूमिका तथा कार्य

दूरसंचार विभाग, सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न शहरों और दूरसंचार सर्किटों में बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने हेतु नीति बनाने, कार्यनिष्पादन समीक्षा, निगरानी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और विकास तथा प्रचालकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके फ्रीक्वेंसी आबंधन और रेडियो संचार के लिए प्रबंधन का कार्य भी करता है। यह विभाग बेतार विनियामक उपायों को लागू करने तथा देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण पर निगरानी रखने के लिए भी जिम्मेदार है। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से दिनांक 1 जून, 2002 से प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय की स्थापना की गई है। अक्टूबर, 2000 में भारत संचार निगम लि0 के गठन के बाद भारत सरकार (कार्य आबंधन), नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दूरसंचार विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

- ☞ टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलैस, डाटा, फैंसिमाइल तथा टेलीमेटिक्स सेवाओं एवं संचार के अन्य समान साधनों के संबंध में नीति निर्धारण, लाइसेंसिंग तथा समन्वय संबंधी मामले।
- ☞ अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), इसके रेडियो विनियमन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो संचार सेक्टर (आईटीयूआर), दूरसंचार मानकीकरण सेक्टर (आईटीयूटी), विकास सेक्टर (आईटीयू-डी), अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टेलसैट), अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन (इनमारसैट), एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) जैसे दूरसंचार से संबंधित सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों के मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
- ☞ दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना।
- ☞ दूरसंचार में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
- ☞ निम्नलिखित कार्यों सहित संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा अध्ययन को बढ़ावा देने और दूरसंचार संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु वित्तीय सहायता :-
 - (क) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान हेतु संस्थानों/वैज्ञानिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना ; तथा
 - (ख) शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना और दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले छात्रों सहित व्यक्तियों को अन्य किस्म की वित्तीय सहायता देना।
- ☞ दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित भंडार-सामग्रियों एवं उपकरणों का प्रापण।
- ☞ दूरसंचार आयोग।
- ☞ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
- ☞ दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण।
- ☞ इस सूची में उल्लिखित किन्हीं मामलों के संबंध में कानूनों का प्रशासन, नामतः:-
 - (क) भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13)



- (ख) भारतीय ब्रेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17), और
(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)

- ☞ भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड ।
- ☞ मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटेर्स लिमिटेड से संबंधित विनिवेशेतर मामले ।
- ☞ भारत संचार निगम लिमिटेड ।
- ☞ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ।
- ☞ विदेश संचार निगम लि. और टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
- ☞ टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र(सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले ।
- ☞ पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित अवशिष्ट कार्य, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित मामले भी शामिल हैं :-
 - (क) भारत संचार निगम लि. में आमेसन होने तक समूह "क" और अन्य वर्गों के कार्मिकों के संवर्ग नियंत्रण कार्य;
 - (ख) सेवांत लाभों का प्रशासन तथा भुगतान ।
- ☞ निर्माण कार्यों का निष्पादन, भूमि की खरीद और अधिग्रहण जिसे दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के नाम डाला जाना है।

लाइसेंस प्रदान करना

एकीकृत अभिगम सेवाएं

- ☞ 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार 241 एकीकृत अभिगम लाइसेंस(यूएस), 2 बुनियादी सेवा और 38 सेल्युलर मोबाइल सेवा(सीएमटीएस) लाइसेंस मौजूद थे।
- ☞ 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार, 8 कंपनियों को दोहरे प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम (सीडीएमए और जीएसएम, दोनों) का प्रयोग करने के लिए उसी सीएमटीएस/यूएस लाइसेंस के तहत अनुमति प्रदान की गई है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)

दूरसंचार विभाग भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की शुरुआत करने की कार्रवाई कर रहा है जिसमें उपभोक्ता को एक सेवा प्रदाता को छोड़कर दूसरे सेवा प्रदाता का चयन करने पर अथवा उसी सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी को छोड़कर कोई अन्य प्रौद्योगिकी का चयन करने पर अपने मौजूदा टेलीफोन नंबर को रखने की सुविधा दी जाएगी। भारत में एमएनपी सेवा हेतु लाइसेंस प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, समूचे देश को 2 एमएनपी ज़ोन में विभाजित किया गया है जिनमें प्रत्येक ज़ोन में 11 सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है और निविदा प्रक्रिया के आधार पर अप्रैल, 2009 में प्रत्येक एमएनपी ज़ोन में एमएनपी सेवा के लिए एक लाइसेंस दिया गया है। आशा है कि मार्च, 2010 के अंत तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी।

मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक (एमवीएनओ)

सरकार ने भारत में मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क प्रचालकों (एमवीएनओ) के लाइसेंसों की शुरुआत करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 6 अगस्त, 2008 की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। एमवीएनओ के लाइसेंस प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा शीघ्र ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।



राष्ट्रीय एकीकृत निर्देशिका सेवा (एनआईडीक्यूएस)

सरकार ने देश में राष्ट्रीय एकीकृत निर्देशिका सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लाइसेंसों की शुरुआत करने के संबंध में ट्राई की दिनांक 19 जून, 2008 की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। एनआईडीक्यूएस के लाइसेंस प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा शीघ्र ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

कैरियर सेवाएं

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं (एनएलडी) और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं (आईएलडी) के लिए लाइसेंस प्रदान करना

- आईएलडीएस और एनएलडीएस को स्वतंत्र प्रतिस्पर्द्धा के लिए खोल दिए जाने की घोषणा के पश्चात् सरकार ने 31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार, अब तक 24 आईएलडीएस लाइसेंस और 29 एनएलडीएस लाइसेंस (बीएसएनएल सहित) जारी किए हैं। आवेदक कंपनी द्वारा एनएलडी और आईएलडी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नेटवर्थ और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक के लिए 2.5 करोड़ रुपए है।
- 1 जनवरी, 2006 से एनएलडी/आईएलडी के वार्षिक लाइसेंस शुल्क को घटाकर समायोजित सकल राजस्व का 6% (यूएसओ अंशदान सहित) कर दिया गया है।
- एनएलडी ऑपरेटर्स के लिए रॉल आउट दायित्व की अनिवार्यता नहीं है। आईएलडी ऑपरेटर्स के लिए रॉल आउट दायित्व, तीन वर्षों की अवधि के भीतर कम से कम एक आईएलडी गेटवे स्थापित करने का रॉल आउट दायित्व है।

अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (आईपी-I) का पंजीकरण प्रमाण-पत्र

- आईपी-I पंजीकरण के अंतर्गत, कंपनी लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टॉवर इत्यादि प्रदान कर सकती है। 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार 288 कंपनियों को अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I के रूप में पंजीकृत कर दिया गया है।

वॉयस मेल सेवा/ऑडियोटेक्स/एकीकृत संदेश सेवा

- नई दूरसंचार नीति (एनटीपी)-99 के अनुसार वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स सेवा के लिए नई नीति जुलाई, 2001 में घोषित की गई थी जिसमें यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा (यूएमएस) नामक नई सेवा भी शामिल की गई थी। यूएमएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा टेलीफोन उपकरण फैक्स मशीन, मोबाइल फोन इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि का उपयोग करते हुए एक मेल बाक्स से वॉयस मेल, फैक्स और ई-मेल (तीनों) प्राप्त किए जा सकते हैं।
- 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार 12 कंपनियों के पास 7 शहरों में वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विस प्रदान करने के लिए 20 लाइसेंस हैं।
- इनके लिए न तो कोई प्रवेश शुल्क है और न ही लाइसेंस शुल्क है।

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा लाइसेंस

- नई दूरसंचार नीति, 99 के अनुसार पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस (पीएमआरटीएस) की नीति 1 नवंबर, 2001 को घोषित की गई थी। पीएमआरटीएस के नए लाइसेंस बिना किसी भेदभाव के "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे।
- पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रदान करने के लिए 15 कंपनियों के पास 4 महानगरों और 16 सर्किलों में 55 लाइसेंस हैं।

जीएमपीसीएस सर्विस लाइसेंस

नई दूरसंचार नीति-99 की शर्तों में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस (जीएमपीसीएस) के लाइसेंस प्रदान करने की नीति 2 नवंबर, 2001 को घोषित की गई थी। अद्यतन स्थिति के अनुसार भारत में जीएमपीसीएस सेवा प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। मै0 नोएडा साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क लिमिटेड को जीएमपीसीएस लाइसेंस के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया है।



अन्य सेवा प्रदाता(ओएसपी) एवं टेली विपणनकर्ता

- ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत कॉल सेंटर्स (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू), नेटवर्क प्रचालन केन्द्रों और वाहन ट्रेकिंग प्रणालियों का पंजीकरण किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग मुख्यालय में ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत 2500 से अधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं।
- सितम्बर, 2007 से ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत काल केन्द्रों और टेलीमार्केटिंग श्रेणी के अंतर्गत विपणनकर्ताओं का पंजीकरण कार्य दूरसंचार विभाग मुख्यालय से विकेंद्रित कर 10 सर्किलों में टीईआरएम प्रकोष्ठों को प्रदान किया गया है। इसके अलावा 1 जून, 2008 से इस कार्य को विकेंद्रित कर इसे सभी टीईआरएम प्रकोष्ठों को सौंप दिया गया है। तथापि, दूरसंचार विभाग का सीएस प्रकोष्ठ नीतिगत मामलों की देखरेख करता रहेगा।
- ओएसपी पंजीकरण नीति 5 अगस्त, 2008 से संशोधित कर दी गयी है और नई नीति के अनुसार ओएसपी के काल केन्द्रों के लिए घर पर काम की अवधारणा को अनुमति दे दी गयी है।

वैरी स्माल अपचर टर्मिनल (वी सैट) सर्विस

मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक सीयूजी वी-सैट सेवा के लिए 12 लाइसेंस हैं। 30 सितम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार 90,000 से अधिक वाणिज्यिक सीयूजी वी-सैट प्रचालनरत हैं।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं

31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार, इंटरनेट सेवाओं के लिए 376 लाइसेंस हैं जिसमें 98 क श्रेणी के लाइसेंसधारक, 130 ख श्रेणी के लाइसेंसधारक और 148 ग श्रेणी के लाइसेंसधारक शामिल हैं। आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए दो इंटरनेट सेवा लाइसेंसधारकों को अनुमति दी गई है। इसके अलावा 30 सितम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट के 14.95 मिलियन उपभोक्ता और 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार ब्रॉडबैंड के लगभग 7.98 मिलियन उपभोक्ता हैं।

निवेश नीति (आईपी)

दूरसंचार सेक्टर को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे अधिक पसंदीदा सेक्टरों में से एक समझा जाता है। दूरसंचार सेक्टर हेतु मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति निम्नानुसार है :

बुनियादी और सेल्युलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी, वी-सैट, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सेवाएं (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्प्युनिकेशंस सर्विस (जीएमपीसीएस) और अन्य मूल्य वर्द्धित दूरसंचार सेवाएं।

74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर, जीडीआर परिवर्तनीय अधिमान शेयर और भारतीय संवर्द्धकों/निवेशक कंपनी में समानुपाती विदेशी इक्विटी सहित) अनुमत्य है। ऑटोमैटिक रूट के तहत 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है, प्रेस टिप्पणी सं 2/2009 के साथ पठित प्रेस टिप्पणी 3(2007 श्रृंखला) की शर्तों के अनुसार 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से।

आईएसपी (गेटवेज सहित), एंड टू एंड बैंडविड्थ और पेजिंग सर्विस

लाइसेंसिंग और सुरक्षा संबंधी जरूरतों के अध्यधीन 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है ऑटोमैटिक रूट के तहत 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है और 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से।

डार्कफाइबर राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टॉवर (श्रेणी-I), इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉयस मेल उपलब्ध कराने वाले अवसंरचना प्रदाता। गेटवे बिना आईएसपी।

100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इन शर्तों के अध्यधीन अनुमत्य है कि यदि ये कंपनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हैं तो ऐसी कंपनियां अपनी इक्विटी का 26% भाग 5 वर्षों में भारतीय जनता को हस्तांतरित कर देंगी। यह लाइसेंसिंग और सुरक्षा संबंधी जरूरतों, जहां भी आवश्यक है के भी अध्यधीन है। 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आटोमैटिक रूट के अंतर्गत और 49% के आगे एफआईपीबी द्वारा अनुमत्य है।



दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण

सेक्टरल आवश्यकताओं के अध्वधीन 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आटोमेटिक प्रवेश रूट के जरिए अनुमत्य है।

अप्रैल 2000 से अक्टूबर, 2009 तक दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अंतर्प्रवाह 38,345 करोड़ रुपये है। अप्रैल, 2000 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	एफडीआई की आमद	वर्ष	एफडीआई की आमद
2000-01	784	2005-06	2,776
2001-02	3,937	2006-07	2,155
2002-03	908	2007-08	5,103
2003-04	514	2008-09	11,727
2004-05	570	2009-10 (अप्रैल-अक्टूबर 2009)	10,277
		कुल जोड़	38,345

दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण

भारत दीर्घकालिक विकल्प के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के तौर पर विनिर्माण हब के रूप में तेजी से उभरा है। सरकार की नीति के फलस्वरूप देश में दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण में काफी प्रगति हुई है। देश में महत्वपूर्ण दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण आधार है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का संतुलित विकास हुआ है। पिछले पांच वर्षों में मोबाइल यंत्रों में देश का योगदान वैश्विक मोबाइल यंत्रों के उत्पादन में 0% से बढ़कर 6% तक हो गया है। अनेक भारतीय कम्पनियां दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग में वैश्विक स्तर पर उत्पादन कर रही हैं।

दूरसंचार उपस्करों के संबंध में विशेष रूप से मोबाइल दूरसंचार के क्षेत्र में व्यापक रूप से बढ़ रही मांग ने स्वदेशी तथा विदेशी पूंजी निवेशकों को विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। पिछले दो वर्षों में अनेक प्रख्यात दूरसंचार कम्पनियों ने भारत में अपने विनिर्माण आधार स्थापित किये हैं। नोकिया और नोकिया साइमेन्स नेटवर्क्स ने चेन्नै में अपने विनिर्माण संयंत्र स्थापित किये हैं। एरिक्सन ने जयपुर में जीएसएम रेडियो बेस स्टेशन विनिर्माण सुविधा स्थापित किया है। मोटोरोला, फाक्सकान (ओईएम) ने चेन्नै में विशाल विनिर्माण सुविधाएं स्थापित किया है। एल्कोटेक ने बेंगलुरु में हैण्डसेट विनिर्माण सुविधाएं स्थापित किया है। एलजी इलेक्ट्रानिक्स ने पुणे के समीप जीएसएम मोबाइल फोनों के विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है। एरिक्सन ने चेन्नै में अपना अनुसंधान और विकास केन्द्र शुरू किया है। फ्लेकस्ट्रानिक्स ने चेन्नै में एसईजेड स्थापित किया है। एल्काटेल, सिस्को जैसी बहुसंख्यक कम्पनियों ने भारत में अपने-अपने अनुसंधान एवम विकास केन्द्र स्थापित करने में अभिरुचि प्रदर्शित की है।

उपर्युक्त पहल से भारत को दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण हब बनने की संभावना है। आगामी ब्रॉडबैंड क्रांति से भारतीय और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध होने के साथ-साथ वायरलाइन उत्पादों, पारेषण उपस्कर, बेतार उपस्कर फाइबर और यंत्रों की मांग में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। भारत में सेमीकन्डक्टर ईकोसिस्टम और इलेक्ट्रानिक ईको सिस्टम दूरसंचार क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वदेशी और विदेशी कम्पनियां दोनों ही देश में समूचे पूर्ण मूल्य श्रृंखला वाले उत्पादों के प्रचालनों का विस्तार कर रही हैं।



2008-09, 2009-10 के दौरान निर्यात और आयात सहित दूरसंचार उपस्करों के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

2008-09 के दौरान

दूरसंचार उपस्कर का उत्पादन : 4,88,000 मिलियन रु0
भारत का दूरसंचार की मर्दों का निर्यात : 1,10,000 मिलियन रु0
भारत का दूरसंचार मर्दों का आयात : 52,674 मिलियन रु0
भारत का दूरसंचार मर्दों का निर्यात : 62.70 मिलियन रु0

2009-10 के दौरान

दूरसंचार उपस्करों का उत्पादन : 575840 मिलियन रु0 (अनुमानित)
भारत का दूरसंचार मर्दों का निर्यात : 132500 मिलियन रु0 (अनुमानित)
भारत का दूरसंचार परामर्श का निर्यात : 27.80 मिलियन रु0 (सितंबर, 2009 तक)

दूरसंचार उपस्कर परीक्षण तथा सुरक्षा प्रमाणीकरण केंद्र (टीईटीसी) की स्थापना

कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से वैश्विक आर्थिक विकास तथा जीवन के स्तर को बढ़ाने का आधार तैयार हुआ है। इन पर बढ़ी विश्वसनीयता के परिणामस्वरूप सूचना प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, जांची-परखी, सतत रूप से चलने वाली और जानबूझ कर किए गए हमलों तथा दुर्घटना से खराबियां उत्पन्न हो जाने दोनों परिस्थितियों में इसके उपलब्ध होने की आवश्यकता होगी। जिस प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप अभूतपूर्व वृद्धि हुई तथा अब हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को नई दिशा मिली के फलस्वरूप हमारी अवसंरचना की असुरक्षा भी बढ़ी है जिससे सूचना प्रौद्योगिकी आधारित हमारी समृद्धि को बनाए रखने संबंधी हमारी क्षमता को चुनौती मिली है। सुरक्षित नेटवर्क की आवश्यकता केवल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार उपस्करों के परीक्षण के लिए ही नहीं हैं अपितु अति विशिष्टता प्राप्त इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसके लिए गत्यमान लक्ष्य का अनुसरण करना होगा और बदमाशों और जोखिम पैदा करने वाले से एक कदम आगे चलना होगा। किसी को भी सुरक्षित नेटवर्क सुनिश्चित करने की दृष्टि से विस्तृत परीक्षण करवाने की आवश्यकता है। एक ऐसी परीक्षणशाला का सृजन करना महत्वपूर्ण होगा जिसमें प्रत्येक दूरसंचार उत्पाद के परीक्षण हेतु प्रोटोकॉल और कार्यविधि को तैयार करने तथा उनका परीक्षण करने और अनुसंधान कार्य करने में सरकार का समुचित नियंत्रण हो। इस परियोजना पर भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस) बेंगलूरु में पहले ही कार्य शुरू हो चुका है और कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है। प्रोफेसर बालकृष्णन के अधीन 6 प्रोफेसर और कई अनुसंधान विद्वानों का दल इस परियोजना पर कार्य कर रहा है। इस परियोजना के लिए निधि हेतु 20.00 करोड़ रु0 के पूंजीगत व्यय पर विचार किया गया है। इसमें से 8.00 करोड़ रु0 पहले ही टीईटीसी को दिए जा चुके हैं। टीईटीसी ने सुरक्षा परीक्षणों के लिए परीक्षण मानको को अंतिम रूप दे दिया है और मसौदा परीक्षण रिपोर्ट तैयार कर दी हैं।

दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र

नई प्रौद्योगिकियों के अधिकाधिक प्रयोग, निगमीकरण, प्रतिस्पर्द्धा की दिशा में कार्यवाही करने और विनियामक कार्यों को प्रचालनात्मक सेवाओं से अलग करने के लिए उच्च स्तर की नीति, विनियामक, प्रबंधकीय तथा प्रौद्योगिकीय सुविज्ञता होना अपेक्षित है। ऐसी सुविज्ञता उत्पन्न करने की क्षमता विकसित और सुदृढ़ करने की दृष्टि से सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद



और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूरु स्थित प्रधान शैक्षिक संस्थानों में प्रमुख दूरसंचार प्रचालक के सहयोग से संस्थापित सात दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्रों ने इस उद्योग के सहयोग से महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान की है तथा कुशल प्रतिभा पूल, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय अनुसंधान उपभोक्ता केंद्रित नियामक ढांचा और ग्रामीण भारत के लिए नए व्यावसायिक मॉडल संस्थापित किया है जिनका एकमात्र उद्देश्य दूरसंचार के जरिए अत्यंत निर्धन व्यक्ति को शिक्षा और आर्थिक प्रगति के लाभ उपलब्ध कराना है। अब तक ऊर्जा दक्ष युक्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बाधाओं को कम करने, नेटवर्क सुरक्षा, वॉइस मेल, बैंकिंग आदि के क्षेत्र में लगभग 16 करोड़ रू० की लागत से 70 आरएंडडी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भारत के दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा 4जी नेटवर्क के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल टेलीफोनी कार्ड डेटा प्रस्ताव हेतु मूल्य-निर्धारक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

इंडिया टेलीकॉम 2009

दूरसंचार विभाग ने नई दिल्ली में दिसम्बर, 2009 में "इंडिया टेलीकॉम 2009" नाम से प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्देश्य भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में क्षमताओं और अवसर को बढ़ावा देना और प्रदर्शित करना था। इस सम्मेलन में सरकार, नीति निर्माताओं, भावी निवेशकों, प्रचालकों, विनिर्माताओं, अवसरचं चना प्रदाताओं, विचार या सामग्री प्रदाताओं, शिक्षाविदों और गैर सरकारी संगठनों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया गया जहां उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात



नई दिल्ली में इंडिया टेलीकॉम 2009 में प्रदर्शनी हॉल का एक दृश्य

पर चर्चा की कि सकल घरेलू उत्पाद, विकास, रोजगार और राजस्व के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था के "सर्वतोमुखी विकास" में दूरसंचार किस प्रकार सहायक हो सकता है। इस सम्मेलन में सर्वतोमुखी विकास में दूरसंचार की भूमिका पर एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रगति मैदान में आयोजित की गई प्रदर्शनी को भी काफी सफलता मिली जिसमें 28 देशों से आए 200 से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें मुख्य बल भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए



नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टेलीकॉम 2009 में भाग लेते हुए भारतीय और विदेशी प्रतिभागी ठोस निर्णय लेने के लिए निर्णयकर्ताओं को एक मंच पर लाना तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र के विकास हेतु सरकार के विचारों का आदान-प्रदान करना था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के समापन के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित किया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में देश के भीतर और बाहर कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दौरों के अलावा भ्रमणकारी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श होते हैं। इनमें से कुछ बैठकों की सूची नीचे दी गई है :

दूरसंचार विभाग के अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई द्विपक्षीय सहयोग/संयुक्त आयोग की बैठकें :-

- जापान के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने 21-22 मई, 2009 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में संपन्न द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। दूरसंचार विभाग की ओर से उप-महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और निदेशक (अंतरराष्ट्रीय संबंध) ने बैठक में भाग लिया।
- 12वें भारत - आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री आयोग (जेएमसी) की बैठक 11 सितंबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। दूरसंचार विभाग की ओर से बैठक में एडीसी (आईसी-1) ने भाग लिया।
- भारत गणराज्य और अजरबैजान गणराज्य सरकारों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी अंत-सरकारी आयोग का पहला सत्र 26 नवम्बर, 2009 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ।
- भारत और बांग्लादेश के बीच माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने, सीमा पार अंतरराज्यीय, साइबर सुरक्षा और वर्ष में एक बार बैठक निर्धारित करने के संबंध में बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ उपमहानिदेशक (आईआर) दूरसंचार विभाग की बैठक 24 दिसंबर, 2009 को नई दिल्ली में संपन्न हुई।



बहुपक्षीय सहयोग

5 से 9 अक्टूबर, 2009 के दौरान जेनेवा में आयोजित आईटीयू टेलीकॉम वर्ल्ड, 2009 में माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। दूरसंचार विभाग ने भी एसोचैम (एएसएसओसीएचएएम) के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय पैवेलियन बनाया जिसमें 20 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के सेक्रेटरी जनरल और अन्य चुने हुए पदधारकों के साथ बैठक करने के अतिरिक्त इस प्रदर्शनी में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आस्ट्रेलिया, मैक्सिको, अजरबैजान और कोलम्बिया के प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय बैठकें की।

सचिव, दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आईटीयू काउंसिल, 2009 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। काउंसिल के पहले दिन अर्थात् 20 अक्टूबर 2009 को सचिव, दूरसंचार विभाग और सेक्रेटरी जनरल, आईटीयू ने भारत और आईटीयू के बीच मेजबान देश करार पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सदस्य (वित्त) दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त, एचई पीएमआई जेनेवा भी उपस्थित थे। 24 मई से 4 जून, 2010 के दौरान भारत वर्ल्ड टेलीकॉम डिवल्पमेंट कांफ्रेंस 2010, एचआईसीसी हैदराबाद की मेजबानी कर रहा है। हस्ताक्षर समारोह के संबंध में मीडिया में काफी प्रचार हुआ था और आईटीयू के सदस्य राष्ट्रों ने इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन में भारत के सहयोग की सराहना की थी।

उप महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय संबंध), दूरसंचार विभाग सर्वसम्मति से आईटीयू काउंसिल, 2009 सत्र के उपाध्यक्ष चुने गए। भारत को पहली बार आईटीयू की उपाध्यक्षता प्राप्त हुई।

विदेशी प्रतिनियुक्ति

- नेपाल में 14 से 16 अप्रैल, 2009 के दौरान द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल को प्रतिनियुक्त किया गया।
- विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में उपमहानिदेशक (आईआर), दूरसंचार विभाग को 16 से 17 अप्रैल, 2009 के दौरान टर्निशिया में भारत-टर्निशिया संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया।
- 29 अप्रैल से 1 मई, 2009 के दौरान नाडी, फिजी में टेलीकम्यूनिकेशंस आईसीटी नीति और विनियम की बैठक में भाग लेने के लिए दूरसंचार विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।
- दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अध्यक्ष दूरसंचार आयोग के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल को 05.-08 मई, 2009 को कुआलालाम्पुर, मलेशिया में एशिया प्रशांत रीजन की रीजनल प्रीप्रेटरी बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
- यूएसटीटीआई द्वारा वाशिंगटन में 11 से 15 मई, 2009 के दौरान महिला नेतृत्व पर आयोजित सेमिनार में सलाहकार(वित्त), दूरसंचार विभाग ने भाग लिया।
- 11 से 15 मई, 2009 के दौरान डबलिन, आयरलैंड में आयोजित वाई मैक्स (डब्ल्यूआईएमएक्स) फोरम मेम्बर कांफ्रेंस में उप-बेत्तर सलाहकार, डब्ल्यूपीसी दूरसंचार विभाग ने भाग लिया।
- जेनेवा, स्विटजरलैंड में 18 से 22 मई, 2009 के दौरान डब्ल्यूएसआईएस फोरम 2009 की बैठक में भाग लेने के लिए अपर सचिव (टी), दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल को प्रतिनियुक्त किया गया।
- दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अध्यक्ष दूरसंचार आयोग के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इंडिया टेलीकॉम प्रदर्शनी, 2009 और सम्मेलन के अंतरराष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए 16 से 19 जून, 2009 के दौरान सिंगापुर में कम्यूनिक एशिया में भाग लिया।



- रोम, इटली में 08-09 जुलाई, 2009 के दौरान एसेम्बली ऑफ पार्टिज ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशंस स्टेलाइट आर्गेनाइजेशन की 33वीं बैठक में भाग लेने के लिए दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल को प्रतिनियुक्त किया गया।
- वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 से 24 जुलाई, 2009 के दौरान आईटीयू/यूएसटीटीआई द्वारा दूरसंचार संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक नीति और दूरसंचार के विनियामक और निजीकरण संबंधी विषयों पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने के लिए उप महानिदेशक (एसयू), दूरसंचार विभाग को प्रतिनियुक्त किया गया।

दूरसंचार विभाग के शिष्टमंडल की विदेश यात्रा

उपर्युक्त के अलावा, इस अवधि के दौरान आईटीयू की आईटीयू-टी आइटीयू-आर, आईटीयू -डी की बैठकों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों जैसे एपीटी, एपीएससीसी, यूएनडीपी इत्यादि की बैठकों में भाग लेने के लिए विदेश में अधिकारियों को प्रति-नियुक्त किया गया।

विशेष सहायता और प्रक्रियाधीन परियोजनाएं

- टेली-मेडिसन संबंधी सार्क परियोजना
- टेली-एजुकेशन संबंधी सार्क परियोजना

महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अवसरों की मेजबानी

- भारत ने आईटीयू जेनेवा के साथ मिलकर 23 से 25 दिसंबर, 2009 के दौरान हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी फोरम की मेजबानी की।
- भारत ने 22 से 23 दिसम्बर, 2009 के दौरान साइबर सुरक्षा विषय पर सार्क कार्यशाला की मेजबानी की।

राजभाषा (हिन्दी) का प्रयोग

कार्यकलाप

वर्ष 2009-10 की अवधि (अप्रैल-दिसम्बर, 2009) के दौरान, दूरसंचार विभाग के राजभाषा प्रभाग द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर कार्य किए गए :

भारत सरकार की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

दूरसंचार विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं संबद्ध/सहायक कार्यालयों के कार्मिकों को राजभाषा अधिनियम और नियमों एवं उनके तहत जारी किए गए अनुदेशों से अवगत कराया गया। ताकि राजभाषा विभाग द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2009-10 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विभाग/इसके संबंध एवं अधिनस्थ कार्यालयों और दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई तथा जहां कहीं आवश्यक था, आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन किया गया।

मानीटरिंग और निरीक्षण

इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण भारत में फैले दूरसंचार विभाग के सभी कार्यालयों/इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा पर संसद की दूसरी उप-समिति द्वारा सात(7) निरीक्षण किए गए। ऐसे सभी निरीक्षणों की अवधि के दौरान राजभाषा प्रभाग ने एक समन्वय के रूप में कार्य किया। राजभाषा प्रभाग ने इस संबंध में जारी राजभाषा अनुदेशों के उपबंधों के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु स्वतंत्र रूप से ऐसे आठ (8) निरीक्षण भी किए।



राजभाषा सम्मेलन

दूरसंचार विभाग के दो अधिकारियों ने 2-4 अक्टूबर, 2009 तक राष्ट्रीय हिंदी अकादमी, रूपमबारा, कोडाइकनाल (तमिलनाडु) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान आयोजित खुली प्रतियोगिता में एक अहिंदी भाषी प्रतिभागी को पुरस्कार प्रदान किया गया। दूरसंचार विभाग के राजभाषा प्रभाग के दो अधिकारियों ने 28-30 अक्टूबर, 2009 तक गोआ में भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, दिल्ली द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।

हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण

जिन तीन (3) आशुलिपिकों ने हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण नहीं लिया था उन्हें हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। इसी प्रकार तीन (3) कर्मचारियों जिन्हें हिंदी में कार्य करने का ज्ञान नहीं था उन्हें प्रबोध और प्रवीण में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

नियमित अंतरालों पर विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं जिनमें विभाग में सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष के दौरान चार ऐसी तिमाही बैठकें की गईं।

हिंदी कार्यशाला

रिपोर्ट अवधि के दौरान इस विभाग के अनुभाग अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया जिसमें 15 अधिकारियों को अपना अधिकतम सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।



श्री पी० जे० थॉमस, सचिव (दूरसंचार) हिंदी पखवाड़ा 2009 के दौरान व्याख्यान देते हुए। उनकी दायीं तरफ हैं ; श्री सुबोध कुमार, अपर सचिव (दूरसंचार) और उनकी बायीं तरफ हैं ; सुश्री सुधा श्रोत्रिय, संयुक्त सचिव (प्रशा०) एवं सुश्री दया पंत, उप-निदेशक (रा०भा०)



हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में 14 सितम्बर, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। विभाग में राजभाषा की प्रगति से संबंधित 14 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए टिप्पण/मसौदा और निबंध लेखन के लिए अलग से प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में लगभग 151 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया। सफल होने वाले प्रतिभागियों को 21 दिसंबर, 2009 को आयोजित कार्यक्रम में सचिव (दूरसंचार) द्वारा नकद पुरस्कार/ प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

हिंदी सलाहकार समिति

दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल 8 अगस्त, 2009 को समाप्त हो गया है। इस समिति की पुनर्गठन की प्रक्रिया का कार्य चल रहा है।

अनुवाद कार्य

रिपोर्ट अवधि के दौरान संसदीय बैठकें/स्थायी समिति/अनुदान मांगे/संसद के आश्वासन इत्यादि से संबंधित दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिन्दी और इसके विपरीत अनुवाद किया। हिन्दी प्रभाग ने दूरसंचार विभाग की वेबसाइट के हिन्दी अनुवाद करने में भी सक्रिय योगदान दिया। नेमी अनुवाद कार्य के अलावा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण दस्तावेजों (विभाग द्वारा संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे जाने वाले समस्त कागजातों/रिपोर्टों सहित) का अनुवाद किया गया और उन्हें द्विभाषी रूप में तैयार किया गया।

कल्याण तथा खेलकूद संबंधी कार्यकलाप

कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल/कालेजों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को वाहन भत्ता/छात्रावास सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में विपत्तिग्रस्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और मनोरंजन भ्रमण यात्राओं आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

वर्ष 2009-10 के दौरान संशोधित योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :

- ☞ मृतक कर्मचारियों के परिवारों को 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए मात्र) की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई।
- ☞ 24 से 27 जून 2009 तक शिमला और निकटवर्ती स्थानों के लिए भ्रमण कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किया गया।
- ☞ दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) के कर्मचारियों को उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र (एनटीआर)/भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न खेलकूद-कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया।
- ☞ दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि वितरित की गई।

कल्याणकारी योजनाएं व्यापक तौर पर लिंग-निरपेक्ष और संयुक्त स्वरूप की हैं। तथापि, कुछ योजनाओं जैसे बुक अवार्ड, स्कोलरशिप अवार्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को अंकों में छूट दी जाती है। इन श्रेणियों के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है बुक अवार्ड/ स्कोलरशिप योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आवेदकों को प्रदान किए जाते हैं।



महिलाओं और अनुसूचित जाति के संबंध में कर्मचारी कल्याण निधि से किया गया व्यय निम्नानुसार है

महिला कल्याण पर व्यय की गई धन राशि	: 2,64,000.00/- रुपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास पर व्यय की गई धनराशि।	: 1,63,300.00/- रुपये

जेंडर बजटिंग

दूरसंचार विभाग में नवंबर 2006 में जेंडर बजट प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। विभाग का जेंडर बजट-प्रकोष्ठ सरकार की जेंडर बजट संबंधी पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों की आयोजना तथा प्रतिपादन के स्तर पर संबंधित जेंडर के सरोकार को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कारगर बनाने के संबंध में दूरसंचार विभाग की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। जेंडर बजटिंग के प्रयोजनार्थ संशोधित प्राक्कलन 2008-09 में गैर-योजना शीर्ष (कर्मचारियों की सुख सुविधा) के अंतर्गत 9.00 लाख रूपए की धन राशि आवंटित की गई थी।

वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के लिए दूरसंचार विभाग का बजट परिव्यय (योजना और गैर-योजना) प्राक्कलन: (रु० करोड़ में)

ब्यौर	2008-2009			2009-2010		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व व्यय	174.25	5765.00	5939.25	327.00	9823.00	10150.00
पूंजीगत व्यय	200.75	0.00	200.75	104.00	0.00	104.00
जोड़	375.00	5765.00	6140.00	431.00	9823.00	10254.00

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के अनुसरण में दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी अक्टूबर, 2005 से प्रशासनिक प्रभाग में इसके कार्यान्वयन की पहल की है। इस विभाग में सूचना का अधिकार की एक पृथक इकाई की स्थापना की गई, जिसने उप-सचिव के स्तर का एक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी, अवर सचिव के स्तर के एक सहायक जन सूचना अधिकारी और समूचे विभाग, इसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त निकायों तथा अन्य विभागों/मंत्रालयों के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में उप-महानिदेशक (समन्वय और प्रशासन) के साथ 1 जनवरी, 2007 से कार्य आरंभ किया।

दूरसंचार विभाग की सूचना का अधिकार इकाई जनता की संतुष्टि के अनुरूप आरटीआई आवेदनों के निपटान की प्रणाली को निरन्तर सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, 48 सीपीआईओ और प्रथम अपील प्राधिकारी के अलावा 13 अन्य केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को अतिरिक्त प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया।

वर्ष 2009-10 के दौरान 1350 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 333 आवेदनों को अन्य विभागीय लोक प्राधिकरणों और सावर्जनिक क्षेत्र उपक्रमों के पास भेजा गया। सूचना के साथ आवेदनों का निपटान लगभग 99% रहा। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो अपवाद हैं, उनको छोड़कर सूचना प्रदान करने से मनाही नहीं की गई।

लोक शिकायत और उनका निवारण

दूरसंचार विभाग अपने लोक शिकायत प्रकोष्ठ में माननीय प्रधानमंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, अध्यक्ष के कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा जनता से सीधे शिकायतें प्राप्त करता है। दूरसंचार विभाग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतों के शीघ्र और समय पर निपटान के लिए उनकी मॉनिटरिंग करता है।

2009-10 (अप्रैल से दिसंबर) की अवधि के दौरान लोक शिकायत प्रकोष्ठ में 95367 शिकायतें प्राप्त हुईं और 96584 मामलों का निपटान हुआ।



अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीति के अनुसार, निदेशक (कर्मचारी सम्बन्ध) के पर्यवेक्षण के तहत दूरसंचार विभाग में एक एससीटी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है जिन्हें दूरसंचार विभाग के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क अधिकारी न केवल विभाग के अधिकारियों को अपितु दूरसंचार विभाग के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

जनवरी से दिसम्बर 2009 की अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 32 निर्णय/आदेशों का कार्यान्वयन किया गया।



III. 1 बेतार आयोजना एवं समन्वय

भूमिका

दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध स्पैक्ट्रम प्रबंधन, बेतार लाइसेंसिंग, फ्रीक्वेंसी आबंटन, स्पैक्ट्रम प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय तथा रेडियो संचार प्रणालियों के लिए भारतीय तार अधिनियम 1885 (आईटीए, 1885) और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 (आईडब्ल्यूटीए, 1933) के प्रशासन का कार्य देखता है।

वर्ष 2009-2010 (दिसंबर तक) के दौरान कार्य-निष्पादन स्थलीय नेटवर्कों के लिए फ्रीक्वेंसी आबंटन

सीडीएमए नेटवर्कों के लिए फ्रीक्वेंसी का आबंटन सीडीएमए / कोरडेक्ट आधारित नेटवर्क, प्वाइंट-टु-प्वाइंट और प्वाइंट-टु-मल्टी प्वाइंट माइक्रोवेव नेटवर्क आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु आवश्यक तकनीकी जाँच, विश्लेषण और अन्य बेतार नेटवर्कों के साथ समन्वय स्थापित करके किया जाता है जो कि ऐसे सभी नेटवर्कों का निर्बाध प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए विद्युत चुंबकीय अनुरूपता स्थापित करने की दृष्टि से उचित हो। सीडीएमए आधारित नेटवर्कों के लिए 824-844 मेगाहर्टज के साथ युग्मित 869-889 मेगाहर्टज में फ्रीक्वेंसी का आवंटन किया जाता है और कोरडेक्ट आधारित नेटवर्कों के लिए 1880-1900 मेगाहर्टज में फ्रीक्वेंसी का आवंटन किया जाता है।

विभिन्न सेवा प्रदाताओं/प्रयोक्ताओं/विभागों को वी-सेट नेटवर्कों और अन्य उपग्रह के अनुप्रयोग सहित पब्लिक/कैप्टिव उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए फ्रीक्वेंसी आबंटन किए गए थे। विभिन्न प्रसारणकर्ताओं को भी, टीवी अपलिंकिंग अर्थ स्टेशनों के प्रचालन के लिए फ्रीक्वेंसी आबंटन किए गए थे।

रेडियों फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए)

एसएसीएफए, सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय स्थायी समिति है और यह सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं तथा अन्य बेतार प्रयोक्ताओं के लिए बेतार एंटीना की संस्थापना हेतु स्थल स्वीकृति के संबंध में नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। एसएसीएफए ने बेतार प्रयोक्ताओं द्वारा बेतार एंटीना के अप्राधिकृत इस्तेमाल/संस्थापना के मामलों का निपटान किया और किसी बेतार प्रयोक्ता/नेटवर्क के कारण होने वाले अंतःक्षेत्र/व्यवधान/उड़ान संबंधी खतरों के मामलों का भी निपटान किया। बेतार प्रयोक्ताओं को ढांचागत सुरक्षा, पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित अन्य स्थानीय उप-विधियों का अनुपालन करना होता है।

एसएसीएफए सचिवालय, 01.06.2007 से, एसएसीएफए अनुमति के लिए दर्ज कराए गए सभी आवेदनों के संबंध में स्थिर बेतार संस्थापनाओं के लिए "एसएसीएफए के साइट संबंधी आवेदन पंजीकरण शुल्क" के रूप में प्रति आईडी देय 1000/-रु0 (एक हजार रुपए मात्र) का प्रभार लेता है, पहले इन प्रभारों को अग्रिम धन के रूप में माना जाता था और इस राशि को संबंधित बेतार प्रयोक्ता के देय दूरसंचार विभाग के लाइसेंस शुल्क/देय राशि के प्रति समायोजित कर दिया जाता था।

राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना (एनएफएपी-2008)

नीतिगत दस्तावेज राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना-2008 (एनएफएपी-2008) को आईटीयू संस्करण 2008 के रेडियो विनियम के अनुरूप तैयार किया गया है ताकि मौजूदा उपयोगों पर अनुचित रूप से दबाव डाले बिना नई उभरती प्रौद्योगिकियों सहित स्पैक्ट्रम की परस्पर विरोधी मांग को पूरा किया जा सके। एनएफएपी-2008 को डब्ल्यूपीसी स्कंध की वेबसाइट पर प्रकाशित और उपलब्ध कराया जाता है। एनएफएपी-2008 का परिशोधन करने हेतु बेतार सलाहकार की अध्यक्षता में एनएफएपी समीक्षा/पुनरीक्षा समिति, 2010 का गठन किया गया है और दिनांक 10 दिसंबर, 2009 को इसकी दूसरी बैठक हुई थी।



उपग्रह प्रणाली समन्वय

उपग्रह प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय कार्य अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के अंतरराष्ट्रीय रेडियो विनियमों (आरआर) के उपबंधों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। नेटवर्कों के अंतःक्षेत्र रहित प्रचालनों तथा इनके पारस्परिक सह-अस्तित्व के लिए उपग्रह नेटवर्कों का अन्य देशों की सरकारों के उपग्रह नेटवर्कों के साथ फ्रीक्वेंसी आवंटनों का समन्वय आवश्यक है।

अन्य देशों की सरकारों के साथ उपग्रह समन्वय

भारत और कज़ाकिस्तान के बीच उपग्रह समन्वय बैठक के सारांश रिकार्ड संबंधी भारतीय प्रशासन के करार के संबंध में कज़ाकिस्तान और आईटीयू के प्रशासन को सूचित कर दिया गया है।

बीएसएस प्रचालन के लिए इनसैट और अरबसैट उपग्रह नेटवर्क के बीच समन्वय करार की सूचना सऊदी अरब और आईटीयू के प्रशासन को भेज दी गई है।

आईटीयू के साथ समन्वय

- अवस्थिति 82ई के लिए भारत के इन्सैट-टीटीसी उपग्रह नेटवर्कों के संबंध में विस्तृत समन्वय अनुरोध आईटीयू को भेजा गया।
- केयू बैंड में इन्सैट ईएक्सके (82.5ई) उपग्रह नेटवर्क के मामले में एपी 30 बी सूचना बीआरआईएफआईसी में प्रकाशन के लिए आईटीयू को भेजी गई।
- संकल्प 49 (रेव, डब्ल्यू आर सी-07) के तहत भारत के इन्सैट -के यू 10 (55ई) उपग्रह नेटवर्क के मामले में सुविचारित रिपोर्ट विशेष खंड में समुचित प्रकाशन के लिए आईटीयू को अग्रसारित की गई।
- भारत के इन्सैट-ई-के 83 (83ई) उपग्रह नेटवर्क और एसटीएटीएसआईओएनएआर 6(90ई) के बीच संगतता विश्लेषण इन्सैट-ई के 83(83ई) के पंजीकरण के लिए आईटीयू को भेजा गया।
- भारत के चंद्रयान-1 उपग्रह नेटवर्क के मामले में अधिसूचना बीआरआईएफआईसी के विशेष खंड में प्रकाशन के लिए आईटीयू को भेजी गई।
- भारत के ग्लोबल इंडियन उपग्रह प्रणाली (इन्सैट-जीएनएसएस), इन्सैट-मेट (81.5) ई और ओसनसैट-2 उपग्रह नेटवर्कों के मामले में अग्रिम प्रकाशन सूचना आईटीयू को बीआरआईएफआईसी में इसके प्रकाशन के लिए भेजी गई है।
- इन्सैट-ई के 48, इन्सैट-ईके 55, इन्सैट-ईके 74, इन्सैट ईके 83, इन्सैट ई के 93.5, इन्सैट ई के 48 आर, इन्सैट ई के 55 आर, इन्सैट ई के 74आर, इन्सैट-ई के 83आर और इन्सैट ई के 93.5 आर उपग्रह नेटवर्क के पंजीकरण के लिए अनुरोध आईटीयू को भेजा गया है।
- इन्सैट-केयू 11 (48) ई, इन्सैट के यू 11(74) ई, इन्सैट-केयू 11(83)ई, इन्सैट-केयू 11 (93.5)ई और इन्सैट-केयू 11 (111.5) ईके मामले में अग्रिम प्रकाशन सूचना बीआरआईएफआईसी में प्रकाशन के लिए आईटीयू को प्रस्तुत की गई।
- भारत के इन्सैट-एनएवी-ए (34), इन्सैट-एनएवी-ए (83), इन्सैट एनएवी-ए (131.5) और इन्सैट-एनएवी(जीएस) उपग्रह नेटवर्क से मिलकर बने आईआरएनएसएस तारामंडल के मामले में अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों के लिए समन्वय अनुरोध आईटीयू को भेजा गया।
- केयू बैंड में भारत के इन्सैट-केयू-11 (55) ई उपग्रह नेटवर्क के मामले में समन्वय संबंधी अनुरोध आईटीयू को भेजा गया।
- सी बैंड में भारत के जी5 (55) ई, इन्सैट-जी 5 (74)ई, इन्सैट जी-5 (82) ई और इन्सैट-जी 5(93.5) ई उपग्रह नेटवर्क के मामले में 387 फ्रीक्वेंसी आवंटनों के लिए समन्वय संबंधी अनुरोध बीआरआईएफआईसी में प्रकाशन के लिए



आईटीयू को भेजा गया।

- भारत के इन्सैट-टीटीसी (81.5) ई उपग्रह नेटवर्क के मामले में अग्रिम प्रकाशन सूचना और समन्वय संबंधी अनुरोध बीआरआईएफआईसी में प्रकाशन के लिए आईटीयू को भेजा गया है।

अन्य देशों के उपग्रह नेटवर्क से भारतीय अंतरिक्ष, स्थलीय और रेडियो खगोल विज्ञान सेवाओं की सुरक्षा

भारतीय उपग्रह नेटवर्कों के निर्बाध प्रचालन हेतु हमारी आबंटित फ्रीक्वेंसी तथा उपग्रह कक्षीय स्थिति की सुरक्षा के मद्देनजर आईटीयू द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक परिपत्रों के विशेष खंडों की सतत आधार पर विस्तृत जांच की गई है। रेडियो संचार ब्यूरो से प्राप्त अंतरिक्ष विषयक परिपत्रों की जांच की गई और हालैंड, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, वियतनाम, चीन, साइप्रस, इंडोनेशिया, थाइलैंड, अजरबैजान, जापान, यूएसए, लक्जेंबर्ग, चेक गणराज्य, सउदी अरब, आस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, कोटे डी आइवरी, रूस, नार्वे, लाओस, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान और इटली के प्रशासनों को भारतीय उपग्रह तथा स्थलीय नेटवर्कों की सुरक्षा के मद्देनजर विस्तृत समन्वय स्थापित करने का अनुरोध करते हुए आपत्तियां भेजी गईं।

अंतरराष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी सूचना परिपत्र (ब्रिफिक) के विशेष खंडों में निम्नलिखित भारतीय उपग्रह नेटवर्कों को प्रकाशित किया गया :-

भारत की जीएसओ अवस्थितियों (48ई, 55ई, 74ई, 83ई, 93.5ई और 111.5ई) पर इन्सैट-टीटीसी और इन्सैट-सी/केयू (86) ई उपग्रह नेटवर्कों के मामले में समन्वय संबंधी अनुरोध बीआरआईएफआईसी 2635/13.01.2009 में प्रकाशित किया गया।

भारत की जीएसओ अवस्थितियों 34ई, 83ई, 132ई, 131.5 ई पर इन्सैट-एन वी(55) इन्सैट-एनएवी ए-जीएस (एनजीएसओ), इन्सैट-एनएवी-ए, जीएसओ अवस्थितियों 48ई, 55ई, 74ई, 93.5ई और 111.5 ई उपग्रह नेटवर्कों के मामले में प्रगति रिपोर्टें बीआरआईएफआईसी में प्रकाशित हुईं।

जीएसओ अवस्थिति 55ई पर भारत के इन्सैट-ई के - 55 उपग्रह नेटवर्क की भाग-1 एस अधिसूचना बीआरआईएफआईसी में प्रकाशित हुई।

भारत के टीडब्ल्यूएसएटी (एनजीएसओ) तथा इनसैट-मेट 48ई, 55ई, 74ई, 82ई, 83ई और 93.5ई के उपग्रह नेटवर्क के संबंध में अग्रिम प्रकाशन सूचना बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित की गई थी।

बैठकें : भारतीय उपग्रह नेटवर्क के समन्वय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय उपग्रह प्रचालकों के साथ 4 बैठकें आयोजित की गई थीं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठकें

राष्ट्रीय हितों विशेषकर स्पेक्ट्रम प्रबंधन तथा रेडियो संचार से जुड़े मामलों के संरक्षणार्थ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) तथा एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) के तत्वावधान में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों के लिए राष्ट्रीय तैयारियों, भागीदारी तथा अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई थी।

- डब्ल्यूपीसी के अधिकारियों ने आईटीयू के रेडियो संचार क्षेत्र की निम्नलिखित बैठकों (जैसे-आईटीयू-आर) में भाग लिया।
- कार्यकारी दल 4ए तथा 4सी, जहां संबंधित आईटीयू-आर सिफारिश में शामिल करने के लिए भारतीय रेडियो नेवीगेशन उपग्रह सेवा (आरएनएसएस) की प्रणाली संबंधी विशेषताओं के संबंध में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी और इसे कार्यकारी दल 4 सी द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- अध्ययन समूह-5 तथा इसकी कार्यकारी पार्टियां जहां भारत ने पीपीडीआर संबंधी यूएचएफ बैंडों के सुमेलन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- कार्यकारी दल 3 के जहां भारत ने "शार्ट रेंज बेतार संचार प्रणालियां तथा बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्कों की डिजाइन संबंधी आंतरिक पर्यावरण में व्यक्तियों तथा वस्तुओं की गतिशीलता के प्रभाव" संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- अध्ययन समूह-1 तथा इसके कार्यकारी दलों जहां भारत ने काग्निटिव रेडियो संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया।



- डब्ल्यूपीसी के अधिकारियों एशिया प्रशांत टेलीकम्युनिटी (एपीटी) की निम्नलिखित बैठक में भाग लिया।
- विश्व रेडियो कम्युनिकेशन्स सम्मेलन 2011 (एपीजी-2011) के लिए एपीटी तैयारी समूह।
- एपीटी बेतार मंच (एडब्ल्यूएफ-7) की 7वीं बैठक।
- विनियामक/कार्यविधि संबंधी मामलों से संबंधित विशेष समिति के कार्यकारी दल तथा आईटीयू-आर अध्ययन समूह की बैठक। भारत विनियामक/कार्यविधि संबंधी मामलों से संबंधित समिति के उपाध्यक्षों में से एक है।
- आईटीयू परिषद की बैठक।
- भारत ने आईटीयू-आर कार्यकारी दल 5 डी की बैठक के विचारार्थ "फ्रीक्वेंसी बैंड 698-806 मेगाहर्टज में चैनल प्रबंधन" संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- भारत 15 मार्च से 1 अप्रैल, 2010 तक बंगलूर में आईटीयू-आर अध्ययन समूह के कार्यकारी दल 4ए, 4बी तथा 4सी की बैठक की मेजबानी कर रहा है।

विनियम

इस अवधि के दौरान राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा-7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रयोगात्मक सेवा तथा प्रदर्शन लाइसेंस में संशोधन से संबंधित निम्नलिखित अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई थीं :

- भारतीय बेतार टेलीग्राफी (प्रयोगात्मक सेवा) (संशोधन) नियमावली, 2009 भारत के राजपत्र में दिनांक 15 मई, 2009 को अधिसूचना सं0 जीएसआर 324 (ई) के तहत प्रकाशित की गई थी।
- भारतीय बेतार टेलीग्राफी (प्रदर्शन लाइसेंस) (संशोधन) नियमावली, 2009 भारत के राजपत्र में दिनांक 15 मई, 2009 को अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 325(ई) के तहत प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), नई दिल्ली द्वारा गठित "कोर ग्रुप" ने देश के भीतर राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एनडीसीएन) संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित कीं जिनमें डब्ल्यूपीसी स्कंध ने उल्लेखनीय योगदान किया। एनडीएमए को कोर ग्रुप की विभिन्न बैठकों के दौरान सूचित किया गया कि 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी मौजूदा राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना-2008 (एनएफएपी-2008) दस्तावेज को आईटीयू के ढांचे के भीतर विकसित किया गया है जिसके अंतर्गत तेजी से बदलते परिदृश्य में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की स्पेक्ट्रम जरूरतों का ध्यान रखा गया है ताकि नए उभरते तथा मौजूदा प्रौद्योगिकियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। साथ ही इसके अंतर्गत अंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) आदि के विश्व टेलीकम्युनिकेशन सम्मेलन 2003 और 2007 (डब्ल्यूआरसी-2003 और 2007) के निर्णयों/सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

एनएफएपी-2008 जो डब्ल्यूपीसी स्कंध की वेबसाइट अर्थात् www.dot.gov.in पर उपलब्ध है, के अनुसार मौजूदा एनएफएपी स्पेक्ट्रम नीति दस्तावेज में जन सुरक्षा तथा आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार संबंधी उपयुक्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी आपदा के दौरान विभिन्न बेतार संचार आवश्यकताओं के लिए स्पेक्ट्रम जरूरतों को पूरा किया जा सके। एनएफएपी - 2008 दस्तावेज में उल्लिखित संबंधित आईएनडी 73 अभ्युक्ति, जो इस समय प्रवृत्त है को विश्वव्यापी स्तर पर अपनाए गए अंतराष्ट्रीय रेडियो विनियम के तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि 380-400 मेगाहर्टज, 406.1-430 मेगाहर्टज, 440-470 मेगाहर्टज, 746-806 मेगाहर्टज, 806-824/851-869 मेगाहर्टज, 4940-4990 मेगाहर्टज तथा 5880-5925 मेगाहर्टज फ्रीक्वेंसी बैंडों में जन सुरक्षा तथा आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार की आवश्यकता पर यथा संभव विचार किया जा सकता है। ऐसा प्रत्येक मामले के आधार पर अलग-अलग तथा विशेष जरूरत और उपस्करों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।



स्पेक्ट्रम प्रबंधन का स्वचालन और अनुश्रवण प्रणाली का संवर्धन

"राष्ट्रीय रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन और अनुश्रवण प्रणाली (एनआरएसएमएमएस) परियोजना की डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापना और उसे चालू करने के कार्य को डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के अधीन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और अनुश्रवण कार्यों को स्वचालित किया गया है ताकि इन गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और कुशलतापूर्ण बनाया जा सके। एनआरएसएमएमएस के दो अंतरसंबंधित घटक हैं - "स्वचालित स्पेक्ट्रम प्रबंधन प्रणाली [एसएमएस] और "राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम अनुश्रवण प्रणाली (एसएमएस)"। एसएमएस संबंधी कार्य पूरा हो गया है और प्रचालन में है।

20 निर्धारित स्थलों तथा 21वी/यूएचएफ मोबाइल स्टेशनों, एसएचएफ पोर्टों (स्थिर एवं मोबाइल) को छोड़कर, के लिए एनआरएसएमएमएस सुविधाओं की प्रचालनगत स्वीकृति दिनांक 14.10.2008 को होने के उपरांत, दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) की एक वर्ष की अवधि की गणना 15.10.2008 से आरंभ हो गई है। वार्षिक अनुरक्षण संविदा एनआरएसएमएमएस के विभिन्न भागों के संदर्भ में दिनांक 15.10.2009 से 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू हो गई है। इस अवधि के दौरान इसके सुचारु कार्यकरण बनाया रखा जाए।

रक्षा सेवाओं हेतु ओएफसी आधारित परियोजना

परियोजना का नाम

स्पेक्ट्रम जारी करने के प्रयोजनार्थ सशस्त्र बलों हेतु ओएफसी परियोजना : उक्त अवधि के दौरान रक्षा परियोजना हेतु निम्नलिखित कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं।

यह उल्लेखनीय है कि "स्पेक्ट्रम को मुक्त करना तथा संसाधनों को प्राप्त करना" के संबंध में मंत्रियों के समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार तथा दिनांक 22.05.2009 को दूरसंचार विभाग और रक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप, रक्षा परियोजना हेतु समेकित ओएफसी परियोजना के अनुमोदन के लिए दूरसंचार आयोग ज्ञापन तैयार किया गया था। बीएसएनएल को सशस्त्र बलों के परामर्श से प्राक्कलन तैयार करने के लिए तैयार किया गया। सशस्त्र बलों के विनिर्देशनों के अनुसार, बीएसएनएल ने इस परियोजना के उद्देश्यार्थ 9970.16 करोड़ रु० का प्राक्कलन प्रस्तुत किया। इस प्राक्कलन में वायु सेना संघटक हेतु पूर्व में प्रस्तावित 1077.16 करोड़ रु० की राशि भी शामिल है।

पूर्ण दूरसंचार आयोग की बैठक 28.08.2009 को हुई ताकि इस परियोजना के लिए अनुमोदन प्रदान किया जा सके। दूरसंचार आयोग ने यह पाया कि सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट ओएफसी परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच अंतर्मंत्रालीय समूह द्वारा की जाए तथा पूर्ण दूरसंचार आयोग के विचारार्थ तत्संबंधी प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार, रक्षा परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बीएसएनएल को अनुरोध किया गया था। रक्षा सेवाओं हेतु समर्पित ओएफसी नेटवर्क के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के परामर्श से बीएसएनएल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई। दूरसंचार विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग के सदस्यों से अंतर्मंत्रालीय समूह का गठन किया गया। अंतर्मंत्रालीय समूह के निम्नलिखित सुझाव हैं :-

- बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट स्वीकार की जाए।
- थल सेना एवं नौ सेना के परियोजना लागत घटक की राशि बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 8893 करोड़ रु० है, जिसमें अनंतिम मार्गाधिकार प्रभारों की 400 करोड़ रु० की राशि शामिल है। परियोजना लागत और रॉल आउट अवधि में और भी कमी हो सकती है, यदि परियोजना हेतु एकबारगी मार्गाधिकार अधित्याग की सुविधा दी जाती है।



पूर्ण दूरसंचार आयोग ने 23 नवंबर, 2009 को हुई अपनी बैठक में स्पेक्ट्रम की निर्मुक्ति के लिए रक्षा सेवाओं हेतु वैकल्पिक संचार नेटवर्क बिछाए जाने संबंधी प्रस्ताव को निम्नलिखित आशोधनों सहित अनुमोदित कर दिया :

- मार्गाधिकार प्रभार सिर्फ पुनरुद्धार कार्य के लिए ही सीमित होगा और इसकी राशि 200 करोड़ ₹ या मौजूदा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित 400 करोड़ ₹ की राशि के बदले भुगतान की गई वास्तविक राशि होगी। तदनुसार, परियोजना लागत भी परिवर्तित होगी।
- बीएसएनएल की कार्यान्वयन लागत कुल लागत का 15 प्रतिशत न होकर 7 1/2 प्रतिशत होगी। अतः बीएसएनएल को देय कार्यान्वयन लागत की राशि 7533 करोड़ ₹ का 7 1/2 प्रतिशत या 565 करोड़ ₹ परिकल्पित होगी। इस प्रकार, थल सेना एवं नौ सेना के नेटवर्क की कुल लागत की राशि 8098 करोड़ ₹ होगी। इसमें सेवा कर जैसे कर शामिल होंगे लेकिन बीएसएनएल द्वारा इस राशि पर कोई लाइसेंस शुल्क देय नहीं होगा।
- परियोजना 36 महीनों में पूरी होगी।
- नेटवर्क हेतु अपेक्षित घटकों जैसे रूटर, स्विच, सर्वर एवं ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) इत्यादि का प्रापण पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए।
- रक्षा हेतु ओएफसी का बतौर मिशन निदेशक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल तथा मिशन टीम में रक्षा मंत्रालय एवं दूरसंचार विभाग के एक-एक प्रतिनिधि के सहयोग से मिशन-मोड परियोजना के रूप में क्रियान्वयन किया जाएगा।

सेना और नौसेना के लिए विशिष्ट रूप से समर्पित ओएफसी नेटवर्क की संशोधित परियोजना लागत निम्नानुसार है :

विवरण	लागत
उपस्कर का मूल्य, ओएफसी संस्थापना इत्यादि	7333 करोड़ ₹
पुनः स्थापन प्रभार	200 करोड़ ₹
कार्यान्वयन लागत (7533 करोड़ ₹ की 7.5% की दर पर)	565 करोड़ ₹
अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का अनुमोदन	8098 करोड़ ₹

अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का अनुमोदन

निम्नलिखित प्रस्तावों पर अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया :

- स्पेक्ट्रम निर्मुक्त करने के लिए रक्षा सेवाओं हेतु वैकल्पिक विशिष्ट रूप से समर्पित ओएफसी आधारित संचार नेटवर्क की स्थापना करने हेतु अनुमोदन।
- 36 महीने की अवधि में रक्षा सेवाओं हेतु वैकल्पिक संचार नेटवर्क बिछाने के लिए **9175.16 करोड़ ₹ (1077.16 करोड़ ₹ वायु सेना के लिए और 8098.00 करोड़ ₹ सेना और नौ सेना के लिए)** का वित्तीय अनुमोदन तथा दूरसंचार विभाग के बजट में इसके लिए बजटीय अनुमोदन।
- परियोजना के चालू रहने के दौरान सृजित परिसंपत्तियां दूरसंचार विभाग से संबंधित होंगी तथा उक्त परियोजना के पूरा होने के बाद ये परिसंपत्तियां रक्षा मंत्रालय को बुक ट्रांसफर के रूप में हस्तारित कर दी जाएगी।




अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने दिनांक 3 दिसंबर, 2009 की अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव को पूर्ण रूप से अनुमोदित कर दिया था।

उच्च स्तरीय निगरानी समिति : मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रही है। डॉ० सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में दिनांक 12/11/2009 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में यह निदेश दिया गया कि ओएफसी परियोजना को मिशन-मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिनमें मिशन निदेशक के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, बीएसएनएल तथा रक्षा मंत्रालय और दूरसंचार विभाग प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

वर्ष के दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन, नए फ्रीक्वेंसी आवंटन/जारी किए गए लाइसेंसों के संबंध में उपलब्धियां निम्नलिखित थीं :

वर्ष 2009-10 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान उपलब्धियां तथा (जनवरी-मार्च, 2010) से अनुमानित उपलब्धियां

	अप्रैल-दिसंबर, 2009 (वास्तविक)	जनवरी-मार्च 2010 (अनुमानित)
रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन		
विभिन्न प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत नई रेडियो फ्रीक्वेंसी	127864	36486
पंजीकरण हेतु आईटीयू के रेडियो संचार ब्यूरो को सूचित फ्रीक्वेंसी आवंटन	-	
अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे के लिए आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी	-	
एसएसीएफए (फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की आयोजित बैठकें	-	
आयोजित अंतर-मंत्रालयी बैठकों की सं०	-	
नए बेतार केंद्रों हेतु स्वीकृत स्थल	298272	11500
विशेष 1 मानीटरिंग मामलों की संख्या	-	
जारी किए गए बेतार लाइसेंस		
जारी किए गए आयात लाइसेंसों की सं०	3194	960
नए बेतार केंद्रों को जारी किए गए लाइसेंसों की सं०	29776	10956
नवीकृत लाइसेंसों (बेतार केंद्रों हेतु) की सं०	18564	6926
प्रवीणता प्रमाण-पत्र (सीओपी) परीक्षा/लाइसेंस		
आयोजित प्रवीणता प्रमाण-पत्र परीक्षाओं की सं०	2666	13
दाखिल किए गए उम्मीदवारों की सं०	1 75	2620
जारी किये गए लाइसेंसों की सं०	3663	1382
नवीकृत लाइसेंसों की सं०	2659	719
नए रेडियो एमेच्योर केंद्रों को जारी लाइसेंसों की सं०	150	75
पुराने रेडियो एमेच्योर केंद्रों हेतु नवीकृत लाइसेंसों की सं०	606	200



बेतार अनुश्रवण संगठन

वास्तविक उपलब्धियां

बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) 3जी, बीडब्ल्यूए इत्यादि जैसी नई सेवाएं प्रारंभ करने के लिए तेजी से संकुलित होते रेडियो वातावरण में आवश्यक तकनीकी डाटा प्रदान करने के साथ-साथ बाधा रहित बेतार सेवाएं सतत रूप से प्रदान कर रहा है।

डब्ल्यूएमओ का वर्तमान में प्राथमिक लक्ष्य सार्वजनिक मोबाइल रेडियो संचार सेवाओं, सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं और जीवन-सुरक्षा संबंधी सेवाओं की ओर है। डब्ल्यूएमओ बाधा रहित वातावरण में इन सेवाओं का सतत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों -- जन-शक्ति और मशीनी-शक्ति -- पर गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है। इन सेवाओं के बाधा रहित प्रचालन का प्राथमिक कारण भारतीय जनता को अत्यधिक महत्व देने में निहित है। सार्वजनिक मोबाइल सेल्युलर सेवा के संबंध में, डब्ल्यूएमओ के दो उद्देश्य हैं : (i) विभिन्न कारणों की वजह से होने वाली बाधा के स्रोतों को पहचानना और उन्हें दूर करना और (ii) मौजूदा 2जी सेवाओं के विस्तार और 3जी सेवाओं की शुरुआत के लिए अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना। जहां तक सार्वजनिक प्रसारण का संबंध है, इसके पारिषण से एयरोनोटिकल मोबाइल संचार (नागर विमानन) पर प्रभाव पड़ता देखा गया है और इससे लाइसेंसिकरण के मानदंडों का उल्लंघन भी होता है। इन अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएमओ ग्राहकों के अनुकूल रेडियो अनुश्रवण उत्पादों के अधिप्रापण पर कार्य कर रहा है।

दूरसंचार आयोग के अनुमोदन से, डब्ल्यूएमओ ने नवंबर, 2009 में भुवनेश्वर, देहरादून, लखनऊ, पटना, रायपुर और विजयवाड़ा में छह नए बेतार अनुश्रवण स्टेशन स्थापित करने का आदेश दिया है। इन छह अतिरिक्त बेतार अनुश्रवण स्टेशनों के लिए तकनीकी अवसंरचना अन्य बेतार अनुश्रवण स्टेशनों के पास मौजूदा उपलब्ध अवसंरचना की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से सार्वजनिक मोबाइल तथा प्रसारण सेवाओं की अनुश्रवण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। डब्ल्यूएमओ ने छह पी/यूएचएफ मोबाइल मॉनीटरिंग टर्मिनलों तथा छह पी/यूएचएफ मोबाइल जीएफ टर्मिनलों के अधिप्रापण हेतु दूरसंचार आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूएमओ इन छह नए डब्ल्यूएमएस के लिए छह एचएफ स्थिर मॉनीटरिंग सुविधाएं भी प्राप्त करना चाहता है। इन सुविधाओं की अनुमानित लागत लगभग 27.0 करोड़ ₹ है और अधिप्रापण वर्ष 2010-2011 में प्रभावी हो सकेगा।

नए बेतार अनुश्रवण केन्द्रों हेतु भूमि के अधिप्रापण का मामला वर्ष 2007 में संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया था। डब्ल्यू एम ओ के निरन्तर प्रयास से उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने बेतार अनुश्रवण केन्द्रों की स्थापना करने हेतु डब्ल्यू एम ओ को भूमि की पेशकश की है।

डब्ल्यूएमओ चालू वित्त वर्ष की योजना में 28.0 करोड़ ₹ की अनुमानित लागत के 4 “एसएचएफ माइक्रोवेव मॉनीटरिंग टर्मिनलों” का अधिप्रापण करना चाहता है। इन माइक्रोवेव टर्मिनलों का अधिप्रापण डब्ल्यूएमओ को माइक्रोवेव मॉनीटरिंग क्षमता से सुसज्जित करने का प्रथम चरण होगा।

अत्यधिक संकुलित रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के चलते नई अनुश्रवण चुनौतियों को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक दूर करने के लिए डब्ल्यूएमओ ने नई प्रौद्योगिकियों को लाने और क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए हैं। जहां तक नई प्रौद्योगिकियों का संबंध है साफ्टवेयर और हार्डवेयर का अधिप्रापण पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है। अनुश्रवण और सूचना प्रौद्योगिकी पर गहन प्रशिक्षण का लक्ष्य क्षमता-निर्माण है। इन दोनों पहलुओं को संयुक्त रूप से अनुश्रवण मुख्यालय और प्रशिक्षण व विकास केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।



जालना (महाराष्ट्र) में स्थित उपग्रह अनुश्रवण भू-केन्द्र भारत से संबंधित ज्यो-आर्क में स्थित सभी उपग्रहों से प्राप्त सिगनलों का अनुश्रवण सतत रूप से कर रहा है। निकट भविष्य में इसके मापन प्रकार्यात्मकता को बढ़ाने की योजना है।

विशाखापट्टनम और भोपाल में दो नए भवनों का निर्माण 2009 में पूरा हो गया था। इस स्थानों पर स्थित बेतार अनुश्रवण केन्द्रों ने नए निर्मित भवनों से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएमओ ने जालंधर और मेंगलौर स्थित बेतार अनुश्रवण केन्द्रों के कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए 9.3 करोड़ ₹ के व्यय की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त सीपीडब्ल्यूडी को नागपुर और सिलीगुड़ी स्थित नए भवनों के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करने के लिए कहा गया है।

डब्ल्यूएमओ ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त दूरसंचार सुधार परियोजना के माध्यम से रेडियो स्पैक्ट्रम अनुश्रवण क्षमताओं का व्यापक आधुनिकीकरण किया है। इस परियोजना के तहत 21वीं/यूएचएफ मोबाइल अनुश्रवण टर्मिनलों का अधिप्रापण किया गया। इसके अतिरिक्त एचएफ और डीएफ सुविधाओं को भी हासिल किया गया है।

वर्ष 2009-10 के दौरान सांख्यिकीय निष्पादन संबंधी आंकड़े

क्र०सं०	मदें	अप्रैल-दिसंबर, 2009 (वास्तविक)	जनवरी-मार्च 2010 (अनुमानित)
क	रेडियो अनुश्रवण के लिए प्रयुक्त चैनल दिवस	5360	3401
ख	किए गए अनुश्रवण कार्य	9367	2342
ग	रेडियो नॉयज मापकों की संख्या	170731	42683
घ	उन वायरलेस पारंपारिकों की संख्या जिनकी निगरानी की गई	94247	23562
ङ	सुधारात्मक कार्यवाही हेतु विभिन्न बेतार प्रयोक्ताओं को सम्प्रेषित अतिलंघन ।	6351	1588
च	विशिष्ट मानदंडों के भीतर अपना प्रचालन बनाए रखने के लिए प्रयोक्ताओं को तकनीकी सहायता	939	235
छ	निरीक्षण किए गए बेतार केन्द्रों की संख्या	13232	3308
ज	प्रशिक्षण/उच्च स्तरीय तकनीकी कार्य के लिए श्रम दिनों की संख्या	1262/120	500/300
झ	आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या	07	02
ञ	निपटाई गई उच्च प्राथमिकता/मानक अंतरावरोधन संबंधी शिकायतों की संख्या	45/10	अनुपलब्ध



III.2 दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र

प्रस्तावना


दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र, दूरसंचार विभाग का एक तकनीकी स्कंध है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं :-

- भारतीय दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रचालकों हेतु मानक और विनिर्देशन तैयार करना।
- उपस्कर और सेवाओं का मूल्यांकन करना।
- उपस्कर, प्रौद्योगिकी और सेवाओं हेतु अनुमोदन देना।
- नई प्रौद्योगिकी और सेवाओं का अध्ययन करना तथा भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सेवाओं को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग को तकनीकी परामर्श प्रदान करना।
- दूरसंचार विभाग को तकनीकी और परामर्शी सहायता प्रदान करना।
- दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर ट्राई, टीडीएसएटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल को तकनीकी सलाह देना।
- दूरसंचार विभाग की मूलभूत तकनीकी योजनाएं तैयार करना।
- दूरसंचार विभाग के माध्यम से एपीटी, ईटीएसआई और आईटीयू आदि जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से संवाद करना।
- एमआरए के लक्ष्यों का विस्तार करने के लिए सुविधाओं का सृजन।
- आर एण्ड डी के परिणामों और अद्यतन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आवश्यक दक्षता विकसित करना।
- दूरसंचार विभाग स्तर पर नीति नियोजन हेतु, दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकासों पर ब्यौरे प्रदान करने के लिए सी-डॉट के साथ समन्वय बनाना।

अप्रैल से दिसम्बर, 2009 के दौरान उपलब्धियां

जारी किए गए नए जीआर/आईआर	5
संशोधित जीआर/आईआर	16
जारी किए गए श्वेत पत्र	
तैयार की गई परीक्षण अनुसूचियां/प्रक्रियाएं	21

- अनुमोदन प्रदान करने संबंधी कार्यकलापों के भाग के रूप में, बीएसएनएल/एमटीएनएल नेटवर्क के साथ इंटरफेसिंग हेतु उत्पादों के लिए 88 इंटरफेस अनुमोदन जारी किए गए तथा निजी प्रचालकों के नेटवर्क कवरेज के लिए 26 अनुमोदन प्रमाण-पत्र और 8 टाइप अनुमोदन जारी किए गए।
- अप्रैल से दिसम्बर, 2009 के दौरान विभिन्न विक्रेताओं से परीक्षण शुल्क और दस्तावेजों की बिक्री से संकलित राजस्व की राशि 1.39 करोड़ रुपये है।
- दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र निर्वाध कार्यव्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए आईपीवी 4 से आईपीवी 6 तक अंतरण हेतु सूचना के विस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इस संबंध में दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच संवाद और सहयोग स्थापित करने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बनायी है। इस प्रकार की प्रथम कार्यशाला 21 जुलाई, 2009 को नई दिल्ली



में, 15 सितम्बर, 2009 को बेंगलुरु में द्वितीय, 22 अक्टूबर, 2009 को चेन्नै में तृतीय और 27 नवम्बर, 2009 को मुंबई में चतुर्थ कार्यशाला आयोजित की गयी थी। इसके अतिरिक्त दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र द्वारा मुंबई में 25 और 26 नवम्बर, 2009 को एशिया पैसिफिक नेटवर्क सेन्टर (एपीएनआईसी) के साथ एक आईपीटीवी 6 में दक्षता के लिए प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया था।

- चल रहे कार्यकलापों के एक भाग के रूप में दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र के पास स्विचन और पारेषण के संबंध में 3 क्षेत्रीय समस्याएं भेजी गयी थीं जिनकी जांच की गयी और विशेषज्ञ परामर्श प्रदान की गयी।
- दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र के अधिकारियों को दूरसंचार क्षेत्रों की नई प्रौद्योगिकियों से अवगत कराने हेतु जेनेवा में आयोजित आईटीयू एसजी-13 की बैठक में भाग लेने के लिए 2 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। बेंकाक में डब्ल्यूटीडीसी की एपीटी प्रीपेटरी ग्रुप और पीपी-10 के सदृश ग्रुपों के पदधारी अधिकारी के रूप में दो अधिकारियों को नामित किया गया था।
- नवम्बर, 2009 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एनजीएन परियोजना अनुमोदित की गयी थी और इसकी प्रापण प्रक्रिया चल रही है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में 40 वीएसएटी टर्मिनल स्थापित किये गये हैं और परियोजना पूरी होने के समीप है।
- दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र ने समय-समय पर वैद्युतिक, चुम्बकीय और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक क्षेत्रों में प्रभावन को 300 गेगाहर्ट्ज तक सीमित करने के लिए इन्टरनेशनल कमीशन आन नान - आयोनाइजिंग रेडियेशन प्रोटेक्शन (आईसीएनआईआरपी) द्वारा विहित सेल्युलर मोबाइल बेस स्टेशन से विकिरण के परीक्षण के लिए मार्गनिर्देश जारी किये हैं।
- 10 जीएमआरटीएस और 2 पीएमआरटीएस मामलों के संबंध में दूरसंचार विभाग को तकनीकी परामर्श दिया गया है।



III.3 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

संगठनात्मक ढांचा

संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के अध्यक्ष प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि हैं, जिन्हें निधि की देखरेख के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रशासक, यूएसओएफ को यूएसओ निधि स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं का निर्माण करने तथा यूएसओएफ से निधियों का संवितरण करने का अधिकार प्राप्त है। इनका कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के सृजन/प्रशासन के लिए तार अधिनियम में संशोधन

सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति 01.04.2002 से शुरू हुई। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति के दिशानिर्देश दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए और दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर 27 मार्च, 2002 को डाले गए। तत्पश्चात भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन हुआ जिसके द्वारा यूएसओ निधि को दिसंबर, 2003 को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी प्रकार की तार सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 का संशोधन करके 30.10.2006 को भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 के रूप में एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। तत्पश्चात 29.12.2006 को भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2006 पारित किया गया।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को प्रशासित करने के लिए नियमावली

निधि को प्रशासित करने के लिए नियमावली को शुरुआत में 26.03.2004 को अधिसूचित कर दिया गया था, इसे भारतीय तार (संशोधन) नियमावली कहा जाता है। तत्पश्चात देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं और ब्रॉडबैंड संयोजकता को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2006 के रूप में नियमावली में संशोधन करके 17.11.2006 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए पात्र प्रचालकों को तीन वर्ष की अवधि हेतु देश के लिए प्रति वर्ष 2000 करोड़ ₹ की उच्चतम सीमा के अध्यादेश, आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 18.7.2008 को नियमावली को फिर से भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2008 के रूप में संशोधित किया गया।

यूएसओ निधि के लिए संसाधन

सार्वभौमिक सेवा दायित्व के कार्यान्वयन के लिए संसाधन, सार्वभौमिक सेवा शुल्क द्वारा जुटाए जाते हैं, जो इंटरनेट, वायस मेल, ई-मेल सेवा प्रदाताओं आदि जैसे विशुद्ध मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व का 5% है। बुनियादी टेलीफोन सेवा/एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्थिर वायर-लाइन सेवाओं के लिए देय वार्षिक लाइसेंस शुल्क को 01.10.2008 से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार भी अनुदान और ऋण प्रदान कर सकती है। वित्तीय वर्ष के अंत में निधि में जमा शेष व्यपगत नहीं होता निधि में जमा संसदीय अनुमोदनों के माध्यम से किया जाएगा।

कार्यकलाप और उद्देश्य

यूएसओ निधि की स्थापना का मूल उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय और उचित दरों पर 'बुनियादी' तार सेवाएं प्रदान करना है। तत्पश्चात मोबाइल सेवा, ब्रॉडबैंड संयोजकता सहित सभी प्रकार की तार सेवाओं और ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अवसंरचना के सृजन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु



इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है। नियमावली के अनुसार, निधि द्वारा निम्नलिखित सेवाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, अर्थात :-

- **स्ट्रीम-I :-** सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना सेवाएं प्रदान करना:
 - (क) 1991 की जनगणना के अनुसार चिन्हित राजस्व गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का प्रचालन और अनुरक्षण तथा 2001 की जनगणना के अनुसार अतिरिक्त राजस्व गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का संस्थापन।
 - (ख) प्रत्येक राजस्व गांव में एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक फोनो का प्रावधान।
 - (ग) 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व संस्थापित मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रौद्योगिकी पर कार्यरत ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का प्रतिस्थापन।
- **स्ट्रीम-II :-** समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन प्रदान करना।
- **स्ट्रीम-III :-** ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु अवसंरचना का सृजन।
- **स्ट्रीम-IV :-** चरणबद्ध रूप में गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- **स्ट्रीम-V :-** दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना का सृजन करना।
- **स्ट्रीम-VI :-** ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी प्रणालियों का प्रवेश।

पूर्वोक्त भारतीय तार (संशोधन) नियमावली के अनुसार यूएसओ से संबंधित कार्यकलापों का क्रियान्वयन "पात्र प्रचालकों" द्वारा किया जाता है जिसमें बुनियादी सेवा प्रचालक, सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारी, अवसंरचना प्रदाता (आईपी-1) और इंटरनेट सेवा प्रदाता शामिल हैं। ये दूरसंचार सेवा प्रदाता सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के हैं। यूएसओ द्वारा किए जा रहे क्रिया कलापों की कार्यान्वयन स्थिति दूरसंचार विभाग की वेबसाइट (www.dot.gov.in) पर उपलब्ध है।

वर्तमान स्थिति: चालू यूएसएफ स्कीमें

स्ट्रीम-I :- सार्वजनिक अभिगम

1991 की जनगणना के अनुसार देश में चिह्नित राजस्व गांवों में मौजूदा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनो के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मार्च, 2003 में मैसर्स बीएसएनएल और छह निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 2001 की जनगणना के अनुसार अतिरिक्त राजस्व गांवों में संस्थापित वीपीटी के लिए आर्थिक सहायता भी स्वीकार्य है। 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार लगभग 5,66 लाख ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रचालन और अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्र हैं जिनमें भारत निर्माण तथा नीचे पैराओं में दिए गए नए वीपीटी करार के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे वीपीटी भी शामिल हैं।

भारत निर्माण के अंतर्गत वीपीटी सुविधारहित गांव

देश में 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों, घने वन क्षेत्रों में स्थित और उग्रवाद से प्रभावित गांवों को छोड़कर 62302 (पहले 66822) सुविधारहित गांवों में वीपीटी प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने हेतु नवम्बर, 2004 में मैसर्स बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इन गांवों में वीपीटी प्रदान करने के कार्य को भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार 61186 वीपीटी प्रदान किए गए हैं। शेष गांवों में चरणबद्ध रूप से सितंबर, 2010 तक वीपीटी प्रदान किए जाने की सम्भावना है।



नए चिन्हित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों में कार्यरत वीपीटी का हाल ही में चिन्हित मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए वीपीटी को ध्यान में रखकर सामंजस्य किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार शेष सभी 62443 आबादी वाले गांवों को जनसंख्या, दूरस्थता, पहुंच और कानून तथा व्यवस्था के मानदंडों को ध्यान में न रखते हुए, इस स्कीम के अंतर्गत यूएसओ निधि से आर्थिक सहायता प्रदान कर वीपीटी उपलब्ध कराने के लिए शामिल किया गया है। इस संबंध में हाल ही में, 27.02.2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अंतर्गत, 31.12.2009 तक 36,039 वीपीटी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष वीपीटी चरणबद्ध रूप में फरवरी, 2011 तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

एमएआरआर आधारित वीपीटी को बदलना (एमएआरआर-क और एमएआरआर-ख)

185121 वीपीटी को विश्वसनीय प्रौद्योगिकी द्वारा बदलने के लिए मैसर्स बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए, पहले ये फोन मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे थे और 01.04.2002 से पहले संस्थापित हुए थे। 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार कुल 1,84,521 एमएआरआर वीपीटी बदले जा चुके हैं।

ग्रामीण सामुदायिक फोन का प्रावधान

देश में 2000 से अधिक आबादी और पीसीओ सुविधा रहित गांवों में 40,705 ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान करने के लिए 30.9.2004 को करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें से, दिसंबर, 2009 तक 40694 आरसीपी प्रदान कर दिए गए हैं। शेष आरसीपी मार्च, 2009 तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

स्ट्रीम-II :- वैयक्तिक अभिगम

01.04.2005 के बाद संस्थापित ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल-ए और आरडीईएल-एक्स) के लिए आर्थिक सहायता

01.04.2005 से 31.3.2007 की अवधि के दौरान ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल) की संस्थापना के लिए मार्च, 2005 में मैसर्स बीएसएनएल, मैसर्स आरआईएल, मैसर्स टीटीएल और मैसर्स टीटीएल(एमएच) के साथ करारों पर हस्ताक्षर हुए थे। ये आरडीईएल 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में, जहां टेलीफोन प्रदान करने की लागत अर्जित राजस्व से अधिक है, में संस्थापित किए जाने थे। तत्पश्चात, आरडीईएल संस्थापित करने की अंतिम तिथि को 31.3.2010 तक बढ़ा दिया गया है। 31.12.2009 तक की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत यूएसओ निधि की आर्थिक सहायता से लगभग 70.49 लाख ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराई गई हैं।

बीएसएनएल के साथ 12.03.2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें एडीसी के हट जाने के बदले 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए यूएसओ निधि द्वारा बीएसएनएल को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 2000 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

स्ट्रीम-III :- मोबाइल सेवाएं

साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम (चरण-I)

ऐसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फीक्सड वायरलेस और मोबाइल कवरेज नहीं हैं, में मोबाइल सेवाएं प्रदान के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7436 अवसंरचना स्थलों (टॉवरो) को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है। करार की शर्तों के अनुसार वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण और प्राप्त सुविधा के आधार पर टॉवरो की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।



मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए, इस प्रकार सृजित अवसंरचना का उपयोग तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा रूप से किया जाएगा। 01.06.2007 से प्रभावी इस करार को मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 6956 टॉवर स्थापित की गई हैं। इस स्कीम के अंतर्गत ज्यादातर टॉवरों के चरणबद्ध रूप में मार्च, 2010 तक शुरू होने की संभावना है। इस प्रकार सृजित अवसंरचना का उपयोग करते हुए, विभिन्न सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं द्वारा बीटीएस शुरू किए जा रहे हैं और इन टावरों से चरणबद्ध तरीके से मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं।

स्ट्रीम- IV :- ग्रामीण स्तर तक वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रावधान के विस्तार के लिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम

मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर वायरलाइन नेटवर्क का उपयोग कर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ ने 20 जनवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर कर एक स्कीम शुरू की है। इसका उद्देश्य सेवा प्रदाताओं को ब्रॉडबैंड अवसंरचना सृजित करने के लिए सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड सुविधायुक्त करना है। फीक्सड मोड में डाटा, वायस और वीडियो सेवा सुपुर्द करने की क्षमता सहित प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध होने पर, कम-से-कम 512 केबीपीएस की गति प्रदान करेगा। ग्रामीण ब्रॉडबैंड संयोजकता, संस्थागत प्रयोक्ताओं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित साझा सेवा केन्द्र (सीएससी), ग्राम पंचायत, उच्चतर माध्यमिक स्कूल और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ गांवों में स्थित एकल प्रयोक्ताओं को सुविधा प्रदान करेगी।

बीएसएनएल द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात् 2014 तक एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वायरलाइन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 28,672 कियोस्क उपलब्ध कराए जाने हैं। यह आर्थिक सहायता (i) ब्रॉडबैंड संयोजन, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई), कम्प्यूटर/ कम्प्यूटिंग उपकरण और (ii) ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सार्वजनिक अभिगम्यता के लिए कियोस्कों की स्थापना। 5 वर्ष की अवधि में अनुमानित सब्सिडी 1500 करोड़ रु० की है जिसमें 9 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शनों, ग्राहक परिसर उपस्करों, कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग उपकरणों और कियोस्कों के लिए सब्सिडी भी शामिल है।

दिसंबर, 2009 तक 95011 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में 4 कियोस्क स्थापित किए गए हैं। इनमें से 79,232 ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 3 कियोस्क अप्रैल-दिसंबर, 2009 के बीच स्थापित कर दिए हैं, दिसंबर, 2009 तक 20.34 करोड़ रु० की सब्सिडी संवितरित की गई है।

स्ट्रीम-V :- ग्रामीण क्षेत्रों में ओएफसी जैसी सामान्य अवसंरचना का सृजन

यूएसओएफ ने वायस और डाटा परियात को अभिगम नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मुख्य नेटवर्क पर समाकलित करने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने के मद्देनजर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए पहल की है। इस स्कीम के आरंभ में जिला मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवर्क बिछाने का विचार है। इस स्कीम के माध्यम से यूएसओएफ जिले के भीतर उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन के लिए सब्सिडी सहायता इस शर्त पर प्रदान करेगा कि करार में निर्धारित दरों पर इस नेटवर्क को अन्य प्रचालकों के साथ साझा किया जाएगा। क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम असम को लिया गया है। असम के लिए निविदा 30.10.2009 को प्रारंभ की गई थी और बीएसएनएल को 98.89 करोड़ रु० की सब्सिडी दर पर सफल घोषित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, बीएसएनएल असम में कुल 27 जिला मुख्यालयों में 269 उप मंडल मुख्यालयों के अतिरिक्त, 58 एन-रूट/नए स्थलों समेत कुल 354 स्थलों को जोड़ने के लिए पूर्वयोजित अंतरा-जिला संविद्धित/सृजित ओएफसी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए सभी तरह के उपस्कर/अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन, स्वामित्व और प्रबंधन करेगा।

करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीने के भीतर असम के सभी जिलों में इंटीग्रेटिड वॉएस, डाटा और वीडियो सिग्नलों के लिए टीडीएम, आईपी, फ्रेम रिले, एटीएम इत्यादि सहित विभिन्न प्रोटोकॉलों के दक्ष परिवहन की क्षमता के साथ केबल रूट भिन्नता और कम से कम 2.5 जीबीपीएस की रिंग क्षमता सुनिश्चित करते हुए सभी स्थलों को जिला मुख्यालय



नोड के साथ वास्तविक ओएफसी रिंग रूट पर जोड़ा जाएगा। यह करार प्रभावी तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। इस स्कीम के तहत सृजित सहायता प्राप्त बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम **70%** असम के क्षेत्रों में लाइसेंसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के **26.22%** से कम की दरों पर साझा किया जाएगा।

यूएसएफ की नियोजित स्कीमें

स्ट्रीम-IV :- गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का चरणबद्ध तरीके से प्रावधान ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए बेतार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

यूएसओएफ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध मौजूदा निष्क्रिय अवसंरचना का उपयोग करते हुए बीटीएस जैसी बेतार ब्रॉडबैंड सक्रिय अवसंरचना के लिए सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम पर कार्य कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 5000 ब्लॉकों में लगभग 2 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान की जाएगी और शेष गांवों को अनुवर्ती स्कीमों के अंतर्गत यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को बीडब्ल्यूए और 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकार किया जाएगा। अनुमानित परिव्यय 1500 करोड़ रु का है।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए सेटलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

यूएसओएफ ने 5000 गांवों की पहचान की है जिनमें स्थलीय कनेक्टिविटी नहीं है, इन गांवों की सूची दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूएसओएफ तदनुसार स्कीम पर कार्य कर रहा है।

स्ट्रीम-V :- ओएफसी जैसी सामान्य अवसंरचना का सृजन - असम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अंतरा-जिला उप मंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन

असम में अंतरा-जिला उप मंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन की शुरुआत के बाद, आगे पूर्वोत्तर सर्किल (जिसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य शामिल हैं) और पश्चिम बंगाल सर्किल (जिसमें पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य शामिल हैं) को क्रियान्वयन के लिए लिया जाएगा। इस स्कीम के तहत, नेटवर्क में काफी बैंडविड्थ का सृजन किया जाएगा, जिसे करार में निर्धारित दरों पर अन्य प्रचालकों द्वारा साझा किया जाएगा।

बजट आवंटन और संवितरण

निधियों के संवितरण और उपलब्धता की स्थिति

वर्ष	आरंभिक बकाया	यूएसएल के रूप में उगाही गई निधिया	आवंटित निधियां	संवितरित निधियां	वर्ष के अंत में बकाया
2002-03	0.00	1653.61	300.00	300.00	1353.61
2003-04	1353.61	2143.22	200.00	200.00	3296.83
2004-05	3296.83	3457.73	1314.59	1314.59	5439.97
2005-06	5439.97	3533.29	1766.85	1766.85	7206.41
2006-07	7206.41	4211.13	1500.00	1500.00	9917.54
2007-08	9917.54	5405.46	1290.00	1290.00	14033.00
2008-09	14033.00	5759.52	1600.00	1600.00	18192.52
2009-10	18192.52		2400.00	1846.92 (दिसंबर, 09)	
जोड़		26163.96	10371.44		

* दिनांक 04.06.2008 के पत्र सं0 एफ-1 (20) बी (एसी)/2007 के अनुसार वित्त मंत्रालय का यह मत है कि उपलब्ध बकाया संबंधी आंकड़ों की गणना करते समय बीएसएनएल को वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि के दौरान ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने के संबंध में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों के लिए 6948 करोड़ रु की प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जाना चाहिए। बीएसएनएल को दी गई क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए उपलब्ध बकाया राशि 7085/- करोड़ रु (14033-6948) होगी।



III. 4 संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय

पेंशन और सेवांत हित लाभों के भुगतान के अलावा सभी दूरसंचार सर्किलों में दूरसंचार विभाग प्रकोष्ठों के प्रत्यायोजित कार्यों के दायरे में विस्तार हो जाने से इन दूरसंचार विभाग प्रकोष्ठों का नाम बदलकर संचार लेखा नियंत्रक का कार्यालय कर दिया गया। काफी लंबे समय से विभिन्न नीतिगत निर्णयों जैसे एनटीपी 1994, एनटीपी 1999, यूएसओ 2003 में संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों की अहम भूमिका रही है। संचार लेखा नियंत्रक यूनिट दूरसंचार विभाग और इसके विभिन्न स्टेक होल्डरों के बीच विभिन्न नीतिगत मुद्दों जैसे लाइसेंस शुल्क व स्पेक्ट्रम प्रभार प्रबंधन, यूएसओ निधि के संवितरण इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सहक्रिया विकसित करता रहा है।

संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य

समूचे देश में संचार लेखा नियंत्रक के 26 कार्यालय अवस्थित हैं और वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करते हैं :-

सांविधिक कार्य

सांविधिक कार्य जिनमें पेंशन तथा पेंशन से संबंधित मामले, लेखा-परीक्षा कार्य तथा केंद्रीय जन-सूचना कार्यालय(सीपीआईओ) से संबंधित कार्य शामिल हैं। इस समय संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय 1.8 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन संवितरण कर रहे हैं। 2008-09 के दौरान 1109.55 करोड़ रुपए पेंशन का संवितरण किया गया जबकि 2007-08 में 1511.94 करोड़ रुपए पेंशन का संवितरण किया गया था। 2009-10 के लिए (दूरसंचार विभाग के संबंध में दिसंबर, 2009 तक) यह राशि 1168.28 करोड़ रु० है।

राजस्व कार्य

इसके राजस्व कार्यों में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार का संग्रहण, कटौतियों का सत्यापन, स्पेक्ट्रम प्रभारों का संग्रहण, वित्तीय बैंक गारंटियों का रख-रखाव और कैप्टिव वी-सैट लाइसेंस शुल्क का संग्रहण शामिल है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्पेक्ट्रम प्रभार और लाइसेंस शुल्क के कारण राजस्व में वृद्धि हुई है, जो कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	मर्दे	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010 (दिसंबर तक)
1.	स्पेक्ट्रम प्रभार	1040	1396	2090.39	3055.72	3454.55	2860.28
2.	लाइसेंस शुल्क	6816	6624	7037.92	8855.24	3997.02	2113.80
3.	कुल	7856	8020	9128.31	11910.96	7451.57	4974.08

मुख्य आर्थिक कार्य

संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का संवितरण और उसकी निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते समय संचार लेखा नियंत्रक द्वारा निधियों के संवितरण के पूर्व दावों का सत्यापन किया जाता है। दावों की सत्यता सिद्ध करने के लिए वे उनका वास्तविक निरीक्षण और निगरानी भी करते हैं।



संवितरित की जा रही राशि में कई वर्षों से सतत वृद्धि होती जा रही है जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

वित्तीय वर्ष	प्रचालकों को यूएसओ लेवी का संवितरण (करोड़ रु0 में)
2003-04	200.00
2004-05	1314.58
2005-06	1766.85
2006-07	1500.00
2007-08	1290.00
2008-09	1599.60
2009-10 (दिसंबर तक)	1851.03
कुल	9522.06

प्रशासनिक कार्य

संचार लेखा नियंत्रक दूरसंचार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय डब्ल्यूएमओ और वीटीएम के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी का कार्य कर रहे हैं। अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के अलावा संचार लेखा नियंत्रक, विभागाध्यक्ष (एचओडी) के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर अदालती मुकदमों को भी देखते हैं जिनमें भारत सरकार लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम प्रभार, पेंशन, आमेसन संबंधी मुद्दों इत्यादि के मामलों में एक पक्षकार के रूप में होती है। संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय पेंशन से संबंधित शिकायतों का एकल मंच पर निपटारा करने के लिए पेंशन अदालतों का भी आयोजन करते हैं। यह एकल मंच पेंशनभोगियों को अब तक उपलब्ध नहीं था। संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों के कार्यों/कार्यकलापों, जो उनके अंतर्गत कवर होते हैं, के संबंध में बेहतर सूचना अभिगम्यता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए कई संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा वेबसाइटें शुरू की गई हैं। दूरसंचार विभाग/भारत सरकार और विभिन्न स्टेक होल्डरों के बीच परस्पर सह क्रिया करने के संबंध में संचार लेखा नियंत्रक की यूनिट की भूमिका पर बराबर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ वेबसाइटों की विषय-वस्तु ग्राहकों की विशिष्ट सूचना आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देकर तैयार की गई हैं। अल्पावधि में, संचार लेखा नियंत्रक यूनिटों ने दूरसंचार विभाग के विभिन्न शेरधारकों को एक साथ लाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है।



III.5 सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

दण्डात्मक सतर्कता

दूरसंचार विभाग के सतर्कता विंग और एमटीएनएल/बीएसएनएल की फील्ड यूनिटों को जनता, निजी, मंत्रियों, संसद सदस्यों/विधायकों, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो आदि से शिकायतें प्राप्त होती हैं। उसके बाद दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच हेतु इन शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। 2009-10 (अप्रैल-दिसम्बर) की अवधि के दौरान कुल 313 शिकायतों की छान-बीन की गई जिनमें से 87 शिकायतों पर जांच शुरू की गई। जांच के अलावा, 77 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक/अन्य कार्यवाही करने हेतु सलाह दी गई। इसी अवधि के दौरान 49 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किये गए। अनुशासनिक कार्यवाही पूरी होने पर 30 अधिकारियों/कर्मचारियों को दीर्घ शास्ति तथा 19 अधिकारियों/कर्मचारियों को लघु शास्ति द्वारा दंडित किया गया। इस अवधि के दौरान 7 अभियोजन अनुशास्ति जारी की गई और 19 अपीलीय मामलों का निपटान किया गया।

कर्मचारी प्रशिक्षण

सतर्कता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में कर्मचारियों को अवगत कराने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है :-

- दूरसंचार विभाग की सतर्कता शाखा द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में निवारक सतर्कता के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिये जाते हैं।
- इसी प्रकार, विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रौद्योगिकीय धोखाधड़ी के मामलों की मॉनीटरिंग करने और उनकी रोकथाम के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिये जाते हैं।
- विभिन्न दूरसंचार सर्किलों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उक्त अवधि के दौरान देश भर में ऐसे 16 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न स्तरों के कुल मिलाकर लगभग 397 अधिकारियों को सतर्कता और अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी दी गई। ये प्रशिक्षित अधिकारी बाद में आईओ, पीओ और वीओ के बतौर कार्य करने वाले अधिकारियों के पूल में शामिल रहते हैं।

सतर्कता निकासी

यह सतर्कता विंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसकी आवश्यकता पदोन्नति, विदेश में प्रशिक्षण, अन्य संगठनों/विभागों में प्रतिनियुक्ति, पासपोर्ट आदि प्राप्त करते समय पड़ती है। उक्त अवधि के दौरान, 3277 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए सतर्कता निकासी प्रदान की गई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श

यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जिसका सतर्कता संबंधी मामलों के लिए सभी मंत्रालयों/ विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि पर क्षेत्राधिकार है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समुचित परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। दूरसंचार विभाग का सतर्कता स्कंध दूरसंचार विभाग के सतर्कता संबंधी मामलों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करता है। इस अवधि के दौरान 26 सीवीसी शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 10 का निपटान कर दिया गया और दिसम्बर, 2009 में 39 मामले बकाया थे।



2009-10 के दौरान विभागीय सतर्कता क्रियाकलापों का सांख्यिकीय सार

	क्रियाकलाप	वास्तविक
1.	इस अवधि के दौरान छानबीन की गई शिकायतों की संख्या	313
2.	अधिकारियों की संख्या जिन्हें आरोप पत्र दिए गए	49
	(क) दीर्घ शास्ति	30
		-
	(ख) लघु शास्ति	19
		-
3.	दीर्घ/लघु शास्ति से दंडित अधिकारियों की संख्या	68
4.	जारी की गई अभियोजन संस्वीकृतियों की संख्या	7
		4
		3
5.	जाँच की गई अन्वेषण रिपोर्ट तथा सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए मामलों की संख्या (सीवीसी मामलों को छोड़कर)	51
6.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के लिए भेजी गई सीबीआई रिपोर्टों की संख्या	9
7.	उन अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में सतर्कता निकासी जारी की गई	3277
8.	जाँच के बाद निपटाए गए मामलों (पीएमओ के एसीयू से प्राप्त) की संख्या	-
9.	निपटाए गए अपील मामलों की संख्या	19
		6
		13



III.6 दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने के परिणामस्वरूप दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) स्तर पर दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा के मुद्दे के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) में "सुरक्षा" नामक एक नई इकाई का गठन किया गया है।

कार्यकलाप

(i) दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुवीक्षण (टीईआरएम) प्रकोष्ठों का समन्वय और प्रशासन

देश में टेलीफोन ऑपरेटरों की बढ़ती संख्या के कारण सरकार ने देश के सभी लाइसेंस क्षेत्रों और बड़े दूरसंचार जिलों में दूरसंचार प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता महसूस की। निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और आईएसपी की संख्या बढ़ने से दूरसंचार क्षेत्र में अवैध/गुप्त प्रचालन की भी वृद्धि हुई है। इस समस्या से निबटने के लिए आरंभ में सरकार ने 2004 में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नै में 4 दूरसंचार सतर्कता अनुवीक्षण प्रकोष्ठों (वीटीएम) का गठन किया। वर्ष 2006 के दौरान पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 9 और वीटीएम प्रकोष्ठ गठित किए गए। बाद में जनवरी 2007 में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), अंडमान एवं निकोबार, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर - I, पूर्वोत्तर - II, उड़ीसा एवं उत्तरांचल में 15 वीटीएम प्रकोष्ठ गठित किए गए। हाल ही में मार्च 2007 में कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, जयपुर और लखनऊ में 6 और वीटीएम प्रकोष्ठ स्थापित किए गए, जिससे वीटीएम प्रकोष्ठों की कुल संख्या 34 हो गई है। वीटीएम प्रकोष्ठ गठित होने के बाद से उन्हें अनेक अन्य कार्य सौंपे गए हैं, अतः इनके समग्र कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए वीटीएम प्रकोष्ठ का नाम बदल कर टीईआरएम (दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुवीक्षण) प्रकोष्ठ रखा गया है।

(ii) दूरसंचार विभाग में सी-डॉट के लिए नोडल यूनिट

सी-डॉट के संबंध में सभी समन्वय कार्य, निदेशकों और उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति, समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर, निधियों की निर्मुक्ति आदि सुरक्षा स्क्वड के माध्यम से की जाती है।

(iii) सुरक्षा संबंधी परियोजनाएं

(क) केंद्रीकृत निगरानी तंत्र


संबंधित विभिन्न एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद केंद्रीकृत निगरानी तंत्र संबंधी परियोजना की आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया गया। संकल्पना से संबंधित शोध-पत्र प्रदर्शित किया गया है और परियोजना संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्य जारी हैं।

(ख) विशिष्ट एवं पूर्णतः सुरक्षित संचार नेटवर्क

नेटवर्क की संरचना तथा विस्तार को अंतिम रूप दे दिया गया था। परियोजना के पैमाने एवं इसके आकार पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। विशिष्ट नेटवर्क का चरण I राष्ट्रीय राजधानी को कवर करेगा।

टीईआरएम प्रकोष्ठों को सौंपे गए कार्य

टीईआरएम प्रकोष्ठ क्षेत्र में दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में काम कर रहे हैं। ये प्रकोष्ठ तार प्राधिकारी और लाइसेंसदाता का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये निम्नलिखित कार्य करते हैं :



सुरक्षा संबंधी कार्य

- ☞ क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

निगरानी कार्य

- ☞ फील्ड में विभिन्न नेटवर्क प्रचालकों के बीच समन्वय तथा उनकी निगरानी।
- ☞ नेटवर्क पैरामीटरों की निगरानी।
- ☞ लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शर्तों तथा जनहित में लाइसेंस प्रदाता द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों का अनुपालन किए जाने के बारे में जांच करना।
- ☞ अंतर प्रचालक कॉलों के अधिकतम कॉल पूर्णता अनुपात को सुनिश्चित करना।
- ☞ ग्राहकों के कागजात का सत्यापन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोबाइल सेवा प्रचालक ग्राहकों को कनेक्शन प्रदान करने के पूर्व ग्राहकों के सत्यापन संबंधी दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं।
- ☞ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले।
- ☞ आपदा प्रबंधन : प्राकृतिक विपदाओं या अन्य आपात स्थितियों में नेटवर्क को अपने नियंत्रण में लेना।
- ☞ विभिन्न प्रचालकों की कमियों के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करना।
- ☞ देश एवं ग्राहकों के समग्र हित में दूरसंचार विभाग द्वारा इसे समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

सतर्कता संबंधी कार्य

- ☞ अवैध/गुप्त काले दूरसंचार बाजार क्रियाकलापों को रोकने के लिए निरीक्षण।
- ☞ लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता और आईएसपी के परिसर का निरीक्षण करना।
- ☞ दूरसंचार सेवाओं में अवैध क्रियाकलापों को रोकना।
- ☞ लाइसेंस रहित निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा गुप्त रूप से/अवैध रूप से चलाए जाने वाले दूरसंचार नेटवर्कों के प्रचालन पर नियंत्रण करना।
- ☞ दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना, मामलों के बारे में कार्रवाई करना, लागू विभिन्न अधिनियमों की शर्तों के उल्लंघन के बारे में समय-समय पर नोटिस जारी करना।
- ☞ विभिन्न लाइसेंसधारकों के कॉल/उपभोक्ता/ परियात संबंधी डाटा का विश्लेषण।
- ☞ लाइसेंसधारक के नेटवर्क के माध्यम से होकर गुजरने वाले सभी संचार के वैध अंतरावरोधन/निगरानी की तकनीकी व्यवस्था।
- ☞ यह सुनिश्चित करना कि लाइसेंसधारक अनुमत क्षेत्र के भीतर सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। दूरसंचार एवं आईएसपी लाइसेंसों के अंतर्गत लाइसेंस शर्तों को लागू करना।



अन्य प्रमुख कार्य

- ☞ लाइसेंस क्षेत्र में विभिन्न लाइसेंसयुक्त सेवा प्रदाताओं की सेवा का परीक्षण तथा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार रॉल आउट दायित्व की जाँच करना।
- ☞ सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में ओएसपी और टैलीमार्केटर्स का पंजीकरण।
- ☞ मोबाइल स्पेक्ट्रम उपयोग की जांच करना
- ☞ दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं से संबंधित शिकायतों की जाँच करना।

उल्लेखनीय उपलब्धियां

मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार है :-

- ☞ टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा क्षेत्र में प्रतिदर्श स्वरूप लगभग 4 मिलियन मोबाइल उपभोक्ताओं के कागजातों के सत्यापन का लेखा-परीक्षा किए जाने के परिणामस्वरूप सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रचालन संबंधी शर्तों का अनुपालन 60% से बढ़कर 85% से अधिक हो गया है। दूरसंचार विभाग, सुरक्षा एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के हुए चार त्रिपक्षीय कार्यशालाओं के आधार पर उपभोक्ताओं के सत्यापन संबंधी अनुदेशों की समीक्षा की गई है।
- ☞ टीईआरएम प्रकोष्ठों में ओएसपी एवं टैलीमार्केटिंग पंजीकरण का विकेंद्रीकरण होने की वजह से लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आयी है। उद्योग के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए ओएसपी के पंजीकरण के दिशा-निर्देश संशोधित किए गए हैं।
- ☞ मोबाइल सर्विस प्रदाताओं के सेवा परीक्षण से संबंधित कार्य का टीईआरएम प्रकोष्ठों में विकेंद्रीकरण किया गया है तथा सितंबर 2009 तक 300 से भी अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
- ☞ टीईआरएम प्रकोष्ठों में मोबाइल स्पेक्ट्रम से संबंधित डेटा के सत्यापन का कार्य शुरू किया गया है।
- ☞ सेवा प्रदाताओं द्वारा रॉल-आउट दायित्वों को पूरा करने के लिए टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा परीक्षण के लिए सेवा परीक्षण समय-सूची को संशोधित करना।



III.7 महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति में वर्णित महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और लिंग-भेद दूर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के नीतिपरक दृष्टिकोण के अनुसरण में दूरसंचार विभाग और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कुछ कदम उठाए हैं।

दूरसंचार विभाग अपनी सभी यूनिटों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों/अनुदेशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुसरण करते हुए विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। विभाग के विभिन्न कार्यशील स्कंधों के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयास नीचे दिए गए हैं: -

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

बीएसएनएल में विभिन्न स्तरों पर 40,000 से अधिक महिला कर्मचारी नियुक्त हैं। पदोन्नति पर उन्हें यथासंभव उसी स्थान पर रहने दिया जाता है जिस स्थान पर वे कार्य कर रही हैं। जहां कहीं पति भी नौकरी कर रहे हैं, सामान्यतः उन्हें उसी स्थान पर तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कार्रवाई की गई है। महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए स्वैच्छिक दूरसंचार महिला संगठनों द्वारा शिशु सदन/स्कूलों/सिलाई केन्द्रों को चलाया/अनुरक्षण किया जा रहा है। छात्राओं को बुक अवार्ड प्रदान करने के लिए अंकों में 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है। भारत संचार निगम लि0 में सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र के स्तरों सहित निगमित कार्यालय स्तर पर शिकायत समिति है।

महानगर टेलीफोन निगम लि0 (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लि0 में लगभग 9359 महिला कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं। कुल जनशक्ति में 20% से भी अधिक महिला कर्मचारी हैं।

इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। उनमें से कुछ उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

- रात्रि पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारी के मामले में विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके लिए विश्राम कक्ष उपलब्ध कराये जाते हैं और ड्यूटी अवधि पूरी होने के पश्चात उन्हें घर तक छोड़ने की सुविधा दी जाती है।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा इससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए इकाई स्तर और निगमित कार्यालय में यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- सेवा संबंधी शर्तें समान हैं तथा कोई लिंगभेद नहीं है।
- महिला कर्मचारियों के शिशुओं के लिए शिशु सदन की सुविधा भी प्रदान की गई है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रसूति छुट्टी नियम का प्रावधान है।
- दूरसंचार महिला केन्द्रीय संगठन, नई दिल्ली और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड महिला कल्याण संघ, मुम्बई हेतु विशेष अनुदान की मंजूरी दी जा रही है, जिसके द्वारा कार्यरत और सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के सगे-संबंधियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।



आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड, सामाजिक सचेतना वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो अपने प्रारंभ से ही कर्मचारियों के कल्याण की संकल्पना के प्रति प्रतिबद्ध है। महिला कर्मचारियों के कल्याण को यथोचित महत्व दिया जाता है। 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार आईटीआई में 892 महिला कर्मचारी हैं।

महिला कर्मचारियों को प्रदान की जा रही प्रमुख सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

- उनके लिए कैंटीन में अलग से भोजन कक्ष की व्यवस्था की गई है तथा इसकी इकाइयों में आराम कक्ष, शिशु सदन की व्यवस्था की गई है।
- कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा/प्रतिपूर्ति लाभ प्रदान करने हेतु कई बृहत् स्वास्थ्य योजनाएं हैं। कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विशेषकर महिला एवं बाल कल्याण के लिए बंगलौर, नैनी, मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में अस्पताल स्थापित किए गए हैं।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश यूनिटों में गैर-अधिकारियों और अधिकारियों पर लागू स्थायी आदेशों में यौन उत्पीड़न संबंधी खंड को शामिल करके इन्हें वर्ष 2004-05 के दौरान संशोधित किया गया है और इसी प्रकार से अधिकारियों पर लागू सीडीए नियमों को भी संशोधित किया गया है।
- कंपनी में किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत की जांच हेतु प्रत्येक इकाई में शिकायत समिति का गठन किया गया।
- यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि महिला कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाए।
- कंपनी के लिए यह गर्व का विषय है कि विगत में इसकी कई महिला कर्मचारियों को "श्रम देवी" पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और इस वर्ष भी इस पुरस्कार के लिए एक महिला को नामित किया गया है।

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

सी-डॉट प्रबंधन, लिंग भेद संबंधी मामलों के प्रति हमेशा ही गंभीर रहा है तथा एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति को सृजित करने में सतत् रूप से कार्य करता रहा है जिसमें लिंग समानता की झलक दिखती हो।

- ☞ सी-डॉट के कर्मचारियों में इस समय लगभग 31% महिलाएं हैं।
- ☞ हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारे महिला कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए 1999 में महिला कर्मचारियों का सी-डॉट के साथ लियन पर दो वर्षों की नियुक्ति बनाए रखने संबंधी एक योजना शुरू की गई है, यदि उनका एक लम्बी समयावधि के लिए सी-डॉट से अलग रहना अपेक्षित हो। वे सभी महिला कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
- ☞ सी डॉट ने तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त और प्रतिभाशाली महिलाओं को घर से कार्य करने का अवसर प्रदान करने की पहल भी की है। वर्ष 1999 में, बाहरी इंजीनियरों की योजना की शुरुआत की गई थी जिनमें सी-डॉट में विशिष्ट समयबद्ध परियोजनाओं के लिए महिला इंजीनियरों की भर्ती की गई थी। इन महिलाओं को घर से परियोजना पर कार्य करने की अनुमति दी गई थी और उनकी प्रतिपूर्ति परियोजना की पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर की जानी थी।



मौजूदा नीतियां

- ☞ सभी महिला कर्मचारियों को 135 दिनों का प्रसूति अवकाश लेने की अनुमति है जिसे बाद में 270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है (135 दिनों के प्रसूति अवकाश सहित)। गर्भस्त्राव/गर्भपात के लिए पूरी सेवा अवधि में कुल 45 दिन की छुट्टी देय है।
- ☞ सी-डॉट अपनी सभी महिला कर्मचारियों को उनकी अपनी पात्रता के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराते हुए आवासीय और परिवहन सुविधा देता है। इससे इस कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित हो जाती है।
- ☞ सी-डॉट में महिला कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। पिछले वित्त वर्ष में, उच्च ग्रेडों में पदोन्नत किए गए कुल कर्मचारियों में से 40% महिलाएं थीं। प्रबंधन संवर्गों में महिलाएं लगभग 30% हैं।



III.8 विकलांग व्यक्ति

भूमिका

दूरसंचार विभाग शारीरिक रूप से विकलांगों को नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को महत्व देता है तथा इस संबंध में विभिन्न सरकारी निर्देशों का विधिवत रूप से पालन करता है।

उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग ने हाल ही में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान (एनआईवीएच) की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के खण्ड 2 (यू) में यथापरिभाषित अल्प दृष्टिक्षम (लो विजन) व्यक्तियों को भी आईपी एंड टीएएफएस अधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए लिया जा सकता है।

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

सी-डॉट विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है। विगत वर्षों की भांति विकलांग व्यक्तियों को वर्ष 2008-09 के दौरान पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

दिल्ली स्थित सी-डॉट के नए अनुसंधान एवं विकास कॉम्प्लेक्स में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट स्वचालित सीढियां, विभिन्न कार्य क्षेत्रों के दो स्तरों को जोड़ने वाले रैम्प आदि जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं इस प्रकार के व्यक्तियों को अनुसंधान एवं विकास के कार्य संबंधी इस इंटेलेजेंट कॉम्प्लेक्स के एक स्कंध से दूसरे स्कंध में स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने में मदद करती है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

बीएसएनएल द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

दृष्टिहीन व्यक्ति अपने टेलीफोन पर निम्नलिखित छूट पाने के हकदार है :-

- किराये में छूट - सामान्य किराए का 50%
- अग्रिम किराया - सामान्य अग्रिम किराये का 50% तथा सामान्य उपभोक्ता पर यथा लागू द्विमासिक किराया।
- पंजीकरण - नॉन-ओ वाई टी विशेष श्रेणी के अंतर्गत स्वीकार्य

उपर्युक्त छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल या उससे उच्च स्तर के अस्पताल सीएमओ/एमएस/नेत्र-सर्जन द्वारा जारी किया गया 'दृष्टिहीन प्रमाण-पत्र' होना चाहिए। जिन दृष्टिहीन व्यक्तियों के पास पहले से ही टेलीफोन की सुविधा है वे अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके किराये में छूट प्राप्त कर सकते हैं तथा छूट श्रेणी परिवर्तन की तारीख से प्रभावी होगी।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नवीन कार्य योजनाएं बनाकर तथा कार्य योजनाओं का निष्पादन करके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के उन्नयन के प्रति हमेशा प्रयासरत रहा है। 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार 246 विकलांग कर्मचारी हैं।



अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों की भर्ती के लिए सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को जीविका प्रदान करने के लिए अग्रता आधार पर पीसीओ आबंटित किए जाते हैं तथा उन्हें अन्य लोगों के लिए 20% कमीशन की तुलना में 22% कमीशन भी दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, पीसीओ के आबंटन में बिलम्ब से बचने के लिए, उन्हें सीडीएमए/जीएसएम प्रौद्योगिकी पर आधारित मोबाइल बूथ प्रदान किए जा रहे हैं।

आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड सामाजिक रूप से जागरूक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, अपने प्रारंभ से ही कर्मचारियों के कल्याण की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण को यथोचित महत्त्व दिया जाता है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 155 विकलांग कर्मचारी हैं।

विकलांग व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

- ☞ नगर क्षेत्र में निर्मित आवासों में निवास कर रहे शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है परंतु अधिकतम राशि प्रतिमाह 75 रूपए होनी चाहिए।
- ☞ जो कर्मचारी कंपनी के नगर क्षेत्र में नहीं रहते किंतु अपने निवास स्थान से कारखाने तक आने जाने के लिए कम्पनी की परिवहन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं उन्हें प्रति माह मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जा रहा है। परंतु अधिकतम राशि प्रतिमाह 100 रूपए होनी चाहिए।
- ☞ शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को पारी की शुरुआत और बंद होने के समय में आने की उपस्थिति और जाने की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्रमशः 10मिनट की छूट दी जाती है।
- ☞ शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को "बिना बारी" के क्वार्टर आबंटित किए जाते हैं।
- ☞ आईटीआई ने सरकारी निदेशों के अनुसार भर्ती में शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण (1% अस्थि विकलांगों के लिए, 1% दृष्टि विकलांगों के लिए और 1% बधिर विकलांगों के लिए) रखा हुआ है और जहां कहीं लागू हो वहां पदोन्नति में भी आरक्षण रखा जाता है।
- ☞ शारीरिक दृष्टि से विकलांगों के मामले में कंपनी समूह ग और घ के पदों की भर्ती के मामले में 10 वर्ष की और समूह क और ख के पदों के मामले में 5 वर्ष की छूट प्रदान कर रही है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के हों तो समूह क और ख के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है।
- ☞ शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को व्यावसायिक कर से पूर्णतः छूट प्राप्त है बशर्ते कि वे सरकारी चिकित्सक से प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करें।



III. 9 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

हमारा स्वप्न

दूरसंचार के क्षेत्र में नेतृत्व, उत्कृष्टता, वहनीयता और विविधता के द्वारा एक ऐसी निर्बाध नेटवर्क सोसाइटी का विकास करना जो अच्छा प्रशासन देने में सहायक हो।

हमारा मिशन

हम अपने इस स्वप्न को विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना और सेवाओं को जुटाने की सुविधा देकर देश को "कभी भी - कहीं भी" संचार नेटवर्क से जोड़कर साकार करेंगे, ताकि हमारे देश में सामाजिक-आर्थिक विकास की गति तीव्र हो।

हमारे कार्यक्रम/लक्ष्य/उद्देश्य

नीतियों और कार्यक्रमों को, देश में एक विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना सृजित करने के आधारभूत लक्ष्य को ध्यान रखकर निर्धारित किया गया है, ताकि सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्र की अपेक्षाओं और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को कम से कम लागत में पूरा किया जा सके। हमारा लक्ष्य उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं को किफायती बनाना तथा हर किसी को किसी भी स्थान पर बुनियादी दूरसंचार सेवाएं आसानी से और वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराना है। हमारे प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- सभी नागरिकों को वहनीय और प्रभावी संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित, सभी सुविधा रहित क्षेत्रों में सर्व सुलभ संचार सेवा उपलब्ध कराना।
- दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया के बीच परस्पर तालमेल स्थापित करने के लिए एक आधुनिक और कुशल दूरसंचार अवसंरचना सृजित करना।
- दूरसंचार क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना, जिसमें सभी सेवा प्रचालकों को समान अवसर और सेवा की समान परिस्थितियां उपलब्ध हों।
- देश में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को सुदृढ़ करना।
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता लाना।
- देश के रक्षा और सुरक्षा संबंधी हितों की रक्षा करना।
- भारतीय दूरसंचार कंपनियों को वास्तविक अर्थों में वैश्विक सेवा-प्रचालकों की भूमिका निभाने में समर्थ बनाना।

हमारे ग्राहक

- दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंस प्राप्त प्रचालक/प्रदाता
- लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक/संगठन
- वायरलेस टेलीग्राफ उपकरणों को रखने के लाइसेंस प्राप्त करने और उसके नवीकरण के इच्छुक नागरिक।
- स्पेक्ट्रम/फ्रीक्वेंसियों/वायरलेस टेलीग्राफ लाइसेंस के आवंटन और संबंधित सुविधाओं को प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक/संगठन।
- दूरसंचार सेवाओं के प्रयोजन से टावर लगाने की अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक/संगठन।
- दूरसंचार सेवाओं के संबंध में अपने सेवा प्रदाताओं से सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत शिकायतों का समाधान न प्राप्त कर सकने वाले नागरिक।



हमारी सेवाएं

अब दूरसंचार विभाग भारतीय नागरिकों को स्वयं दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा है। तथापि, दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन हेतु इस विभाग द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत भारतीय पंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। दूरसंचार सेवाओं का प्रचालन निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा भी किया जा रहा है। बीएसएनएल और एमटीएनएल स्वतंत्र सांविधिक निकाय हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विधिवत् निगमित किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (दूरसंचार सेवाओं का नियामक निकाय) सभी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा गुणवत्ता पर नियमित रूप से निगरानी रखता है। जहां तक ट्राई और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों जैसेकि बीएसएनएल और एमटीएनएल का संबंध है, उन्हें अपना स्वयं का नागरिक चार्टर तैयार करने का निदेश दिया गया है।

विश्वभर में दूरसंचार सेवाओं को किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता दी गई है और इस प्रकार दूरसंचार अवसंरचना को भारत में सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निर्णायक कारक माना जाता है। तदनुसार दूरसंचार विभाग निम्नलिखित कार्यों का संचालन करता है :

1. दूरसंचार सेवाओं के तेजी से विकास के लिए विकासात्मक नीतियां तैयार करना।
2. विभाग एकीकृत अभिगम सेवा, इन्टरनेट, वीएसएटी सेवा, एनएलडी, आईएलडी, पीएमआरटीएस, वायस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस, जीएमपीएलएस, आईपीएलसी पुनर्विक्री जैसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस की मंजूरी के लिए भी जिम्मेदार है।
3. अवसंरचना प्रदाता (ओएसपी) और टेलीमार्केटर्स का पंजीकरण तथा अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) एवं टेलीमार्केटर्स का पंजीकरण।
4. विभाग अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल से रेडियो के क्षेत्र में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है।
5. यह देश विभाग में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण की निगरानी करके बेतार विनियामक उपायों को भी लागू करता है।
6. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन(आईटीयू), इसके रेडियो रेगुलेशन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो कम्यूनिकेशन सेक्टर (आईटीयू-आर), टेलीकम्यूनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर (आईटीयू-टी), डेवलपमेन्ट सेक्टर (आईटीयू-डी), इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन सेटलाइट आर्गनाइजेशन (इन्टेलसैट), इंटरनेशनल मोबाइल सेटलाइट आर्गनाइजेशन (इन्मारसैट), एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिकेशन (एपीटी) जैसे दूरसंचार का कार्य करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
7. दूरसंचार के मानकीकरण, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना।
8. दूरसंचार में निजी पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देना।
9. दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कार्मिक-शक्ति निर्मित करने हेतु वित्तीय सहायता, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :
 - (क) संस्थानों को सहायता, उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को सहायता; और
 - (ख) शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों सहित अलग-अलग छात्रों को अन्य रूप में वित्तीय सहायता की मंजूरी।
10. निम्न सभी में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित विधि प्रशासन, नामतः:




- (क) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13),
- (ख) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17); और
- (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1997 का 24)।

11. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को वहनीय और उचित मूल्यों पर तार सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का प्रशासन
12. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं

ग्राहकों से हमारी प्रत्याशा

दूरसंचार विभाग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंसप्रदाता की भूमिका में भारत के नागरिकों के रूप में दूरसंचार सेवाओं के प्रयोक्ताओं के अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। तदनुसार, लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों में दूरसंचार सेवाओं के ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ अधोलिखित सुरक्षा उपाय शामिल हैं जिन्हें लाइसेंसधारियों द्वारा अपनाए जाने की आशा है :-

- लाइसेंसधारी सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा जैसा टीआरएआई या लाइसेंस प्रदाता द्वारा विनिर्धारित है।
 - लाइसेंस जारी किए गए अभिगम सेवा प्रदाताओं के निदेश दिया जाता है कि वे पुलिस, अग्नि-शमन, एम्बुलेंस, रेलवे/रोड/वायु-दुर्घटना जांच आदि जैसी जन उपयोगी सेवाएं एवं आपात सेवाएं प्रदान करें।
 - लाइसेंसधारक की यह जिम्मेवारी होगी कि वह सेवा के प्रयोग के लिए अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करेगा अथवा बिल जारी करवाएगा।
 - भुक्तभोगी पक्ष और लाइसेंसधारक के बीच सेवा प्रदान करने से संबंधित कोई विवाद, केवल उन दोनों के बीच का मामला होगा, जिसे लाइसेंसधारक सभी को विधिवत सेवा प्रदान करने के पूर्व सूचित करेगा और किसी भी सूरत में लाइसेंसदाता की मामले के संबंध में कोई वचनबद्धता अथवा जिम्मेवारी नहीं होगी। लाइसेंसधारक अपने उभोक्ताओं और लाइसेंसधारक के बीच विवादों के निपटारे से उत्पन्न सभी दावों, लागत, प्रभारों अथवा क्षतियों से लाइसेंसदाता को क्षतिपूरित रखेगा।
1. दूरसंचार सेवाओं का लाइसेंस प्रदाता होने के कारण दूरसंचार विभाग भी नागरिकों/ग्राहकों से मोबाइल फोनों के उपयोग के लिए कतिपय शिष्टाचारों का पालन करने की आशा करता है, जो निम्नानुसार हैं :-
- i) मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं को सरकार/स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों आदि में प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/विनियमों/आदेशों/अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
 - ii) सार्वजनिक स्थलों में मोबाइल फोन को अस्पताल, हवाई जहाजों, रेलगाड़ियों, बसों, पूजा स्थलों, श्मशान भूमि/कब्रिस्तान, सभागार, सिनेमा हाल आदि में प्राधिकारियों द्वारा साइन बोर्डों पर दर्शाए गए अनुदेशों के अनुसार स्विच ऑफ मोड में अथवा वाइब्रेशन में अथवा साइलेंट मोड में रखना चाहिए।
 - iii) वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
 - iv) सार्वजनिक स्थलों पर मोबाइल प्रयोक्ता को उनके साथ बैठे अथवा खड़े लोगों का ध्यान रखना चाहिए। वे लोगों से दूर हट जाएं ताकि वे उनकी व्यक्तिगत/व्यावसायिक बातचीत सुनने को बाध्य न हों।



- v) मोबाइल फोन का उपयोग लोगों की जानकारी और सहमति के बिना उनके फोटो खींचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग निजी माने गए सार्वजनिक स्थलों जैसे स्विमिंग पूल, जिम आदि में फोटो खींचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कैमरा फोन के प्रयोक्ता के आसपास के लोगों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए।
- vi) रिंगटोनों को निम्न स्तर पर सेट किया जाना चाहिए और इससे आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
- vii) मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं को टेलीविज़न प्रचालकों से टेलीविज़नों के स्क्रीन पर उनके निजी एसएमएस प्रसारित करने का अनुरोध नहीं करना चाहिए।
2. नागरिकों से आशा की जाती है कि वे अवांछनीय, अवैध कार्यकलापों के लिए टेलीफोनों/मोबाइल का इस्तेमाल न करें।
3. नागरिकों से आशा की जाती है कि वे दूरसंचार सेवाओं से संबंधित अपनी शिकायतों के निवारण हेतु पहले अपने सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से निवारण करने के लिए कहें और उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे शिकायत की पृष्ठभूमि और निवारण हेतु जिन कर्मचारियों/चैनलों से संपर्क किया था उसका उल्लेख करते हुए शिकायत का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें।

शिकायत निवारण तंत्र

सभी शिकायतकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शिकायतों का निपटान पहली बार में ही अपने संबंधित सेवा प्रदाता से "त्रिवृतीय संस्थानीकृत शिकायत निदान पद्धति" की मार्फत करवा लें; (जिसका ब्यौरा टीआरएआई द्वारा जारी दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निपटान विनियमन, 2007 (2007 का 3) के अंतर्गत सेवा प्रदाता एवं उपभोक्ता समूह अनुभाग/उनके द्वारा स्थापित www.traai.gov.in पर उपलब्ध है) तीन वृत्त हैं :-

- संबंधित सेवा प्रदाता के कॉल सेंटर (समय सीमा: 3 दिन)
- संबंधित सेवा प्रदाता का नोडल अधिकारी और (समय सीमा: 10 दिन)
- सेवा प्रदाता की कंपनी में अपीलीय प्राधिकारी (समय सीमा: 3 माह)

शिकायत निपटान की जिम्मेदारी संबंधित संगठनों/अधीनस्थ इकाइयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मंत्रालय के प्रशासनिक अनुभागों की है। तथापि, दूरसंचार विभाग शिकायतकर्ता के समुचित न्यायालय में जाने के अधिकार के प्रति दुर्भावना न रखते हुए, अभी तक प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है।

शिकायतकर्ता उपरोक्त प्रगामी समय-सीमा के बीतने के बाद दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के जन शिकायत प्रकोष्ठ को संबंधित सेवा प्रदाता स्तर पर अपनी शिकायतों के समाधान न होने के साक्ष्य-कागजात के साथ निम्नलिखित माध्यम से संपर्क कर सकते हैं :

डाक द्वारा : जन शिकायत प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग, कमरा नं0 518, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

वैयक्तिक रूप से: सूचना एवं सुविधा केन्द्र, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

वेब पोर्टल : www.pgportal.gov.in द्वारा :

- शिकायत के तीव्र निपटान, तीव्र पहुंच और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने, वेब प्रौद्योगिकी (सीपीजीआरएएमएस) पर आधारित, एक एकीकृत आवेदन प्रणाली का क्रियान्वयन किया है जिसका उद्देश्य दूरसंचार विभाग और नागरिकों के मध्य तुरंत एवं सरल संचार के लिए कहीं से भी और किसी भी समय (24x7) शिकायतें



प्रस्तुत करने का है।

- ब्राउसर इंटरफेस का प्रयोग करके इंटरनेट की मार्फत (दूरसंचार विभाग से) पीडित नागरिकों से शिकायतों की ऑनलाइन प्रस्तुति करने पर इस प्रणाली से एक अलग पंजीकरण नम्बर उपलब्ध कराया जाता है।
- शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में निदान प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करने के लिए इस प्रणाली में नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

सूचना और सुविधा

दूरसंचार विभाग में संचार भवन, नई दिल्ली-110001 के मुख्य द्वार पर अवस्थित स्वागत कक्ष के साथ सूचना एवं सुविधा केन्द्र बनाया गया है।

आरटीआई मामलों के बारे में सूचना

इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम/स्वायत्त निकाय/ सोसायटी अर्थात् बीएसएनएल, एमटीएनएल, आईटीआई, टीआरएआई, टीडीएसएटी एवं एचटीएल आदि हैं जो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज) के अनुसार अलग "सार्वजनिक प्राधिकरण" हैं। उनकी अपनी वेबसाइट हैं और इनमें से प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में अलग सीपीआईओ/एपीआईओ हैं। इन प्राधिकरणों से संबंधित किसी भी सूचना के लिए इन संगठनों के संबंधित सीपीआईओ/एपीआईओ को ही आवेदन प्रस्तुत किए जाने हैं जैसा उनकी वेबसाइट में उल्लेख किया गया है।

तथापि, यदि कोई भारतीय नागरिक इस विभाग के बारे में कोई सूचना मांगना चाहता है तो उसे इस विभाग के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को आवेदन करना होगा। सीपीआईओ को आवंटित कार्य सहित उनका ब्यौरा और उनकी अपीलीय प्राधिकरण, शुल्क भुगतान प्रक्रिया आदि का ब्यौरा हमारी वेबसाइट में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उप-शीर्ष में है। उपरोक्त के अलावा, दूरसंचार विभाग की आरटीआई सेल निर्धारित सीपीआईओ के नाम के अलावा भेजे गए आवेदनों के समन्वय के मामलों की देखरेख करता है।

विभागाध्यक्ष

सचिव (दूरसंचार)

दूरसंचार विभाग

210, संचार भवन, नई दिल्ली-110001

टेलीफोन नं0 011-23719898, फैक्स सं0 23711514

ई मेल : secy-dot@nic.in

संपर्क सूत्र

श्री एस0एस0 सिंह

उप महानिदेशक (लोक शिकायत),

दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली-110001

1210, संचार भवन

टेलीफोन नं0 011-2337231 फैक्स नं0 23372605

ई मेल : ddgpg-dot@nic.in

हमारी वेबसाइट - www.dot.gov.in



IV. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का सर्वदा यह प्रयास रहा है कि नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में बेहतर गुणवत्ता और वहनीय मूल्यों के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए। दिनांक 9 जनवरी, 2004 की सरकारी अधिसूचना के तहत प्रसारण और केबल सेवाओं को ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2(ट) के संदर्भ में "दूरसंचार सेवा" की परिभाषा के भीतर लाया गया है।

प्राधिकरण की संरचना

प्राधिकरण की वर्तमान संरचना इस प्रकार है :-

नाम	पदनाम	तिथि जब से पद ग्रहण किया है
डॉ० जे०एस० शर्मा	अध्यक्ष	14.05.2009
श्री आर०एन० प्रभाकर	सदस्य	27.02.2007
श्री आर० अशोक	सदस्य	30.09.2009
प्रो० एन० बालाकृष्णन	अंशकालिक सदस्य	26.09.2006
डॉ० राजीव कुमार	अंशकालिक सदस्य	23.01.2007

अप्रैल 2009 से दिसम्बर, 2009 तक की अवधि के दौरान किए गए कार्य कलाप

चालू वर्ष 2009-10 के प्रथम 6 महिनों के दौरान ट्राई द्वारा निम्नलिखित विनियम और निर्देश जारी किए गए :

विनियमन

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम 2009 (2008 की संख्या 3) दिनांक 23 सितम्बर, 2009 (2009 का 8)

निर्देश

- मूल्य वृद्धित सेवाओं के आकस्मिक अंशदान को रोकने तथा उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के लिए पारदर्शिता बढ़ाने हेतु मूल्य वृद्धित सेवाओं के प्रावधान पर अभिगम सेवा प्रदाताओं का दिनांक 27 अप्रैल, 2009 का निर्देश।
- इंटरकनेक्ट करार का ब्योरा भरने के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुपालन के बारे में डीटीएच प्रचालकों, आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं और एचआईटीएस प्रचालकों का दिनांक 29 जुलाई, 2009 का निर्देश।
- इंटरकनेक्ट करार का ब्योरा भरने के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुपालन के बारे में प्रसारकों हेतु 29 जुलाई, 2009 का निर्देश।
- जुलाई 2009 से नए प्रारूप में अपनी निष्पादन मानिटरिंग रिपोर्ट जमा कराने के लिए सभी अभिगम सेवा प्रदाताओं के लिए दिनांक 10 अगस्त, 2009 का निर्देश।
- उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए 27 अप्रैल, 2009 के निर्देश हेतु 4 सितंबर, 2009 का संसोधन।



उपभोक्ताओं के हित को संरक्षण प्रदान करने के लिए किए गए उपाय

मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा: ट्राई ने (i) मीटरिंग और बिलिंग के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन की जा रही प्रक्रियाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाने; (ii) मापन की परिशुद्धता, बिलिंग की विश्वसनीयता से संबंधी मानक निर्धारित करने; (iii) समय-समय पर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त बिलिंग की परिशुद्धता का मापन करने तथा मानदंडों के साथ उनकी तुलना करने, ताकि निष्पादन के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके; (iv) बिलिंग संबंधी शिकायतों की घटनाओं को कम करने; तथा (v) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता के लिए पद्धति संहिता) विनियमन 2006 लागू किया था। इस विनियमन में सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे ट्राई द्वारा अधिसूचित किसी भी लेखा परीक्षक के माध्यम से वार्षिक आधार पर अपने मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा का इंतजाम करें तथा तत्पश्चात प्रति वर्ष 30 जून से पहले ट्राई को लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। विनियमन में यह भी व्यवस्था है कि एजेंसी द्वारा प्रमाण-पत्र में यदि कोई अपर्याप्तता इंगित की जाती है तो इस पर सेवा प्रदाता उपचारात्मक कार्यवाही करे तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी को प्रति वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर से पहले ट्राई को प्रस्तुत करे। सभी सेवा प्रदाताओं से वर्ष 2008-09 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है तथा इस संबंध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

उपभोक्ता शिक्षा तथा उपभोक्ता संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में कार्यकलाप उपभोक्ता समर्थन समूह (सीएजी) की अर्द्धवार्षिक बैठक

उपभोक्ता समर्थन समूह की अर्द्ध-वार्षिक बैठक 18 सितंबर, 2009 को दिल्ली में आयोजित की गई।

क्षेत्रीय कार्यशालाएं ट्राई द्वारा आयोजित

सीएजी की क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता शिक्षण पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं भुवनेश्वर (पूर्वी जोन) तथा इंदोर (पश्चिमी जोन) में क्रमशः 18 नवम्बर, 2009 और 18 दिसम्बर, 2009 को आयोजित की गई थीं। पूर्वी तथा पश्चिमी जोन में लगभग क्रमशः 115 तथा 75 भागीदारों ने उपभोक्ता समर्थन समूह, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, स्थानीय उपभोक्ता तथा नागरिक कार्यवाही फोरम सदस्यों तथा अन्य उपभोक्ता कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यशाला में भाग लिया। उत्तरी जोन में वर्ष 2010 के लिए कार्यशाला का आयोजन 12 मार्च, 2009 को उदयपुर में किया जाना है।

सीएजी के माध्यम से आयोजित

आउटसोर्स माडल पर सीएजी द्वारा आयोजित चार कार्यशालाओं का आयोजन 22 मई 2009 को कोलकाता, 20 जून, 2009 को चेन्नै, 31 जुलाई, 2009 को राजकोट तथा 3 दिसम्बर, 2009 को मिजोरम में किया गया। इन कार्यशालाओं में उपभोक्ताओं, स्थानीय उपभोक्ता संगठनों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विभिन्न खण्डों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (सीयूटीसीईएफ) के उपयोग पर समिति की बैठक

उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाओं से संबंधी गतिविधियों के व्यय को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग पर समिति की सिफारिश पर पूरा किया जाता है। उपभोक्ता शिक्षा और उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों पर प्राधिकरण की सिफारिशें करने के लिए नई दिल्ली में 27 अगस्त, 2009 और 28 जनवरी, 2010 को इस समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी।



दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत मानिट्रिंग प्रणाली (टीसीजीएमएस) का विकास

प्राधिकरण ने उपभोक्ता की शिकायतों के निपटान हेतु ऑनलाईन दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत मानिट्रिंग प्रणाली (टीसीजीएमएस) का विकास करने का निर्णय लिया है। टीसीजीएमएस के विकास, डिजाइनिंग और अनुक्षण का कार्य एनआईसी को सौंपा गया है। टीसीजीएमएस के साफ्टवेयर को विकसित करने का कार्य मार्च, 2010 को समाप्त तिमाही के दौरान पूरा होने की संभावना है।



डॉ जे एस सरमा, चेयरमैन, ट्राई, 12-14 अक्टूबर 2009 को सम्पन्न 'उभरते दूरसंचार परिदृश्य में नियामक चुनौतियाँ' पर तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए।

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना

बुनियादी (वायरलाईन), सेलूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (वायरलैस), ब्राडबैंड सेवा और डायलअप इंटरनेट सेवा के लिए सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट

प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता विनियमन दिनांक जुलाई, 2005 की समीक्षा की तथा 20 मार्च, 2009 को "बुनियादी (वायरलाईन) और सेलूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियमन के मानकों" पर संसोधित विनियमन जारी किए। ट्राई, सेवा प्रदाताओं से प्राप्त निष्पादन मानिट्रिंग रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से उक्त विनियमनों के द्वारा अपने द्वारा निर्धारित बेंचमार्कों के अनुसार तिमाही आधार पर बुनियादी और सेलूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा का निष्पादन करता है। ट्राई, सेलूलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएमपी) से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से पीओआई संकुलता की जांच भी करता है। बुनियादी सेवा प्रदाताओं, सेलूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं, ब्राडबैंड सेवा और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा जमा की गई तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण सेवा की गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्क के अनुसार उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।



नेटवर्क/प्वाइंट ऑफ इंटर कनेक्शन (पीओआई) रिपोर्ट

मोबाइल नेटवर्क का विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है तथा प्रति माह इसमें लगभग 15 मिलियन उपभोक्ता जुड़ जाते हैं। सीमलैस इंटरकनेक्शन की सुनिश्चितता के लिए, ट्राई मासिक आधार पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन की संकुलता के स्तर की जाँच कर रहा है। यह पैरामीटर उस व्यवस्था को सूचित करता है जिसमें एक नेटवर्क का उपभोक्ता अन्य नेटवर्क के उपभोक्ता से वार्तालाप कर सकता है। यह पैरामीटर यह भी प्रदर्शित करता है कि दो नेटवर्कों के बीच इंटरकनेक्शन कितना प्रभावी है। इस पैरामीटर के लिए बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाईन) और सेलूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियमन दिनांक 20 मार्च, 2009 की सेवा की गुणवत्ता के मानकों में ट्राई द्वारा अधिसूचित बेंचमार्क $<0.5\%$ है।

सितम्बर, 2009 को समाप्त तिमाही के लिए पीओआई संकुलन रिपोर्ट विश्लेषण से पता चलता है कि पीओआई पर संकूलन से संबंधित सीएमएसपी के निष्पादन में जून, 09 की तुलना में सितम्बर, 09 में कमी आई है। संकूलन वाले पीओआई की संख्या जून, 09 में 42 से सितम्बर, 09 में 50 हो गई है।

स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन

सेवा की गुणवत्ता बेंचमार्क के प्रति सर्वेक्षण के माध्यम से सेवा के उपभोक्ता अवबोधन के मूल्यांकन हेतु ट्राई अधिनियम के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता विनियमन भी प्रदान किया गया है। ट्राई ने स्वतंत्र एजेंसियों की नियुक्ति की है जो इस प्रकार है - लेखा परीक्षा के लिए देश के दक्षिण, पूर्व, उत्तरी जोन तथा सर्वेक्षण के लिए दक्षिण और पूर्वी जोन में मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, सर्वेक्षण के लिए उत्तरी जोन में मैसर्स सोलंटरी आर्गेनाइजेशन इन इंटरैस्ट आफ कस्टमर एजुकेशन (वाइस) सर्वेक्षण के लिए पश्चिमी जोन में मार्किट प्लस तथा लेखा परीक्षा के लिए पश्चिमी जोन में मैसर्स टीसीआईएल। ये एजेंसियां (i) कार्यान्वयन का मूल्यांकन तथा दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण तथा शिकायत निपटान विनियमन, 2007 की प्रभावशीलता और (ii) सर्वेक्षण के माध्यम से सेवा का उपभोक्ता अवबोधन तथा (iii) सेवा की गुणवत्ता की लेखा परीक्षा तथा वास्तविक मूल्यांकन के काम सुनिश्चित करना।

जनवरी से मार्च, 2010 की अवधि के लिए प्रत्याशित उपलब्धियां

ट्राई द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों के शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है:

- "कन्वर्जेन्स और विनियामक मुद्दे और उसका प्रभाव" पर अध्ययन पत्र
- ग्रामीण टेलीफोनी पर परामर्श पत्र
- मोबाइल टावरों पर परामर्श पत्र
- "नंबरिंग संसाधनों का प्रभावी प्रयोग" पर परामर्श पत्र
- "सह अवस्थिति प्रभारों" पर परामर्श पत्र
- ब्राडबैंड अभिग्रहण सर्वेक्षण
- इनमारसेट कॉलों के लिए उच्चतम टैरिफ
- टैरिफ विज्ञापनों पर विनियामक दिशा-निर्देश।



V. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी)

प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम 1997 (यथा संशोधित) में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने, विवादों पर अधिनिर्णय देने, अपीलों का निपटान करने और दूरसंचार क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने और इनसे जुड़े अथवा अनुषांगिक मामलों पर विचार करने के लिए ट्राई और टीडीएसएटी की स्थापना की व्यवस्था है।

दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) का सृजन लाइसेंस प्रदाता, सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के समूह के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान और उस पर अधिनिर्णय देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्राई अधिनियम 1997 अंतर्गत वर्ष 2000 में किया गया। जनवरी 2004 में टीडीएसएटी के कार्य क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमें दूरसंचार क्षेत्र के अतिरिक्त प्रसारण और केबल सेवाएं शामिल की गईं। टीडीएसएटी ट्राई के विनियमनों, निर्णयों, आदेशों और निर्देशों पर अपीलीय अधिकारों का प्रयोग करता है। यह अपने मूल अधिकार का भी प्रयोग करता है।

टीडीएसएटी का अधिकार क्षेत्र विशिष्ट है और इसके आदेशों को केवल कानूनी बिंदुओं पर ही भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। टीडीएसएटी के अंतरिम आदेशों के विरुद्ध सांविधिक अपील नहीं की जा सकती है। टीडीएसएटी एक विशेषज्ञ निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश हैं जबकि दो सदस्य प्रशासन/दूरसंचार क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं।

टीडीएसएटी सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के तहत नहीं है। इसने अपनी स्वयं की प्रक्रिया (टीडीएसएटी प्रक्रिया 2005) का गठन किया है जो कि सरल तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। टीडीएसएटी में याचिका, अपील तथा विविध आवेदन भरने के लिए कोर्ट शुल्क क्रमशः 5000/- ₹0, 10,000/- ₹0 तथा 1000/- ₹0 है।

पूरे विश्व में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विवादों को विनियामक और सामान्य न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। तथापि, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधी विवादों के तत्काल समाधान और अधिनिर्णय हेतु भारत में टीडीएसएटी के रूप में एक विशेष संस्था मौजूद है। अतः भारत में विवाद निपटान दूरसंचार विनियामक के कार्य-क्षेत्र से बाहर है। विभिन्न देशों के विनियामक प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ टीडीएसएटी के माननीय अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों की बैठकों और बातचीत के दौरान प्राप्त पुनर्निवेशन के अनुसार, संपूर्ण विश्व में विभिन्न दूरसंचार विनियामकों द्वारा विवादों के निपटान के लिए भारतीय मॉडल में बहुत रुचि दिखाई गई है।

मई, 2000 में अधिकरण की संस्थापना से प्रति वर्ष अधिकरण में मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। टीडीएसएटी के समक्ष वर्ष 2001 में दर्ज मामलों की कुल संख्या 103 थी जो 2008 में बढ़कर 506 हो गई। 1.1.2009 से 31 दिसंबर, 2009 तक टीडीएसएटी में कुल 491 मामले जमा किए गए हैं। दर्ज किए गए मामले साथ-साथ निपटा दिए गए हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि उच्च न्यायालय /आयुक्त की नियुक्ति आदि के समक्ष रिट याचिकाओं के तकनीकी कारणों/ विलंबन के कारण लंबित 5 मामलों को छोड़कर वर्ष 2004 तक जमा किए गए मामलों को निपटा दिया जाए।

टीडीएसएटी ने अपने प्रारंभ से, दूरसंचार के साथ-साथ प्रसारण और केबल सेक्टर से संबंधी दोनों क्षेत्रों में विशिष्ट निर्णय दिए हैं।

दूरसंचार, प्रसारण और केबल क्षेत्रों में विवाद समाधान तंत्र के संबंध में उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों में जागरूकता लाने और इन क्षेत्रों में शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के तरीकों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण देश के विभिन्न भागों में संगोष्ठियां आयोजित कर रहा है। अधिकरण ने वर्ष 2008-09 के दौरान चेन्नै, रांची, पुणे और जोधपुर में चार सेमिनार आयोजित किए। अधिकरण ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान लखनऊ में भी सेमिनार आयोजित किया है तथा इसका देश के विभिन्न भागों में भी सेमिनार आयोजित करने का प्रस्ताव है। टीडीएसएटी द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों के दौरान उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों सहित विशिष्ट वक्ताओं द्वारा टीडीएसएटी की डििलीवरी सिस्टम की प्रशंसा की गई। इन सेमिनारों में विभिन्न वक्ताओं ने टीडीएसएटी की रजिस्ट्री द्वारा वादी/प्रतिवादियों (मुकदमा लड़ने वाले)/विभिन्न पक्षों को परामर्श प्रदान किए जाने संबंधी कार्य की प्रशंसा की है।



टीडीएसएटी दूरसंचार और प्रसारण संबंधी कानूनों के प्रमाणिक सार-संग्रह का प्रकाशन भी करता है। यह सार-संग्रह निःशुल्क वितरित किया जाता है और स्टैकहोल्डरों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में उद्घरण के प्रयोजनार्थ संदर्भ नियमपुस्तिका के रूप में इस सार-संग्रह को अब उपयोग किया जाता है।

टीडीएसएटी प्रमुख विधि संस्थानों से विधि छात्रों को इंटरशिप प्रदान करता रहा है। वर्ष 2008 और 2009 के दौरान डी टयूडस पॉलिटिक्स संस्थान, पेरिस, फ्रांस और ओहियो विश्वविद्यालय यूएसए के एक-एक छात्र सहित विभिन्न संस्थानों के विधि छात्रों ने टीडीएसएटी में इंटरशिप प्राप्त की।

अधिकरण ने वसूली/दावे के मुकदमें संबंधी मामलों के न्यायालय शुल्क की मूल्यानुसार उगाही करना प्रारंभ किया है। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ वर्ष 2004-05 में राजस्व प्राप्तियां 5,47,670/रु0 थी जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 1,73,27,663/-रु0 हो गई। अप्रैल, 2009 से दिसंबर, 2009 तक राजस्व प्राप्तियां 1,01,29,017/-रु0 की हुई।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के सेक्टर सदस्य के रूप में, टीडीएसएटी आईटीयू तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है।

टीडीएसएटी का अपना वेबसाइट है और अधिकरण के सभी महत्वपूर्ण निर्णय तथा अन्य कार्यकलाप वेबसाइट www.tdsat.nic.in पर उपलब्ध है। टीडीएसएटी ई-मेल tdsat1@yahoo.co.in के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर सलाह देते हुए स्टैक होल्डरों, वकीलों, उपभोक्ताओं आदि के साथ विचारों का आदान-प्रदान भी करता है। टीडीएसएटी अधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध दैनिक मामलों से संबंधित सूचना मुकदमों के पक्षकारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस अधिकरण ने एसएमएस चेतावनी प्रणाली भी विकसित की है।

अधिकरण ने दिनांक 18 मार्च, 2009 को टीडीसैट के निर्णयों का सार संग्रह जारी किया। इस समारोह का उद्घाटन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के0जी0 बालाकृष्णन द्वारा किया गया। इस सार संग्रह में टीडीसैट द्वारा अपनी स्थापना के समय से दिए गए निर्णय तथा दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेक्टरों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रासंगिक निर्णय शामिल किए गए हैं।



VI. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणी

दूरसंचार विभाग

नमूना लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर बीएसएनएल और एमटीएनएल से संबंधित राजस्व पैराग्राफ

पटना में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की खराब काल दक्षता

पटना में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज 42 से 50 प्रतिशत के निर्धारित बेंचमार्क के प्रति काल पूर्णता अनुपात की रेंज मात्र 11 से 18 प्रतिशत के बीच ही रख सके। इससे 2005-08 की अवधि के दौरान 285 करोड़ रूपए के राजस्व की हानि के अतिरिक्त सेवा की खराब गुणवत्ता का पता चला जो कि अत्यधिक मिस्ड कॉल के कारण था।

(पैराग्राफ 2.1)

आर्थिक सहायता की हानि

गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) तथा महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत 31 गौण स्विचन क्षेत्रों की ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों ओर ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाषों को दोष रहित/कार्यात्मक बनाये रखने में विफल रहे इससे जून 2002 से मार्च 2008 की अवधि के लिए 32.65 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.2)

देय राशि का भुगतान नहीं किए जाने के बावजूद टेलीफोन सुविधाएं चालू रखना

उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), बिहार, झारखंड तथा महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत 21 गौण स्विचन क्षेत्रों में देय राशि का भुगतान नहीं करने के लिये उपभोक्ताओं तथा एसटीडी पीसीओ प्रचालकों के टेलीफोन कनेक्शनों को निर्धारित तिथि में काटने में विफलता रही जिसके परिणामस्वरूप 14.08 करोड़ रूपए के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.3)

सूचना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण बिल नहीं बनाया जाना

झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत छब्बीस गौण स्विचन क्षेत्र तथा चेन्नई दूरसंचार जिला अपनी अभियांत्रिकी तथा दूरभाष राजस्व लेखा (दूराले) यूनिटों के कार्यकलापों को समन्वित करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप दूर ले यूनिटों को सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुए और इसके परिणामस्वरूप दी गई दूरसंचार सुविधाओं के लिये बिल जारी करने में विफलता रही। इसके परिणामस्वरूप फरवरी 2000 से मार्च 2008 की अवधि के लिये 5.64 करोड़ रूपए के बिल नहीं बनाये गये।

(पैराग्राफ 2.4)

किराए के कम राशि के बिल बनाया जाना

बिहार, झारखंड तथा राजस्थान दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत गौण स्विचन क्षेत्र दूरभाष एक्सचेंजों की बढ़ी हुई क्षमता के अनुरूप उच्चतर दरों पर किराये के बिल जारी करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप मई 2002 से जून 2007 की अवधि के बीच 3.92 करोड़ रूपए के कम बिल बनाये गये

(पैराग्राफ 2.5)

अवसंरचना संबंधी प्रभारों के बिल नहीं बनाया जाना

झारखंड और महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत आठ गौण स्विचन क्षेत्रों द्वारा निजी सेवा प्रदाताओं को प्रदान की गई सुविधाओं के लिये अवसंरचना भागीदारी प्रभारों को वसूलने में विफलता के परिणामस्वरूप दिसम्बर 1996 से मार्च 2008 की अवधि के लिये 3.30 करोड़ रूपए की वसूली नहीं हुई।



(पैराग्राफ 2.6)

नमूना लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर बीएसएनएल से संबंधित व्यय संबंधी पैराग्राफ

व्यय संबंधी पैराग्राफों से संबंधित यह अध्याय नमूना लेखा परीक्षा के परिणामों पर आधारित है जिसमें अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, अनियमित/फिजूलखर्च और कुल मिलाकर 1164.38 करोड़ ₹ के अधिक भुगतान के बारे में बताया गया है।

अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन

भा सं नि लि निगमित कार्यालय विविध बैंकों के साथ कम अवधि की जमा पर 6.19 से 7.38 प्रतिशत वार्षिक औसतन रिटर्न दर से पर्याप्त नकदी आरक्षित रखने के बावजूद 7500 करोड़ रुपये की राशि का सरकारी ऋण, जिस पर वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में 14.50 प्रतिशत की दर से ब्याज देय था, वापस करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप वापस नहीं किए गए सरकारी ऋण पर ब्याज की भिन्नता के कारण 1089 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन राशि का अनियमित अतिरिक्त भुगतान

भा सं नि लि ने सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा दूरसंचार विभाग के अनुदेशों का उल्लंघन करके अपने कर्मचारियों के उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन राशि की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की कर दी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 के लिये कम्पनी के कर्मचारियों को 19.78 करोड़ रुपये की उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन राशि का अनियमित अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.2)

स्पेक्ट्रम प्रभारों का परिहार्य भुगतान

केरल दूरसंचार परिमंडल अपनी मोबाइल सेवाओं के समायोजित सकल राजस्व के परिकलन के लिए भा सं नि लि की बुनियादी सेवाओं से और बुनियादी सेवाओं के लिये इंटरकनेक्ट उपयोग प्रभारों के राजस्व तथा व्यय का हिसाब करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप 12.44 करोड़ ₹ के स्पेक्ट्रम प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

सेवा कर का अधिक भुगतान

केरल दूरसंचार परिमंडल में नौ गौण स्वचन क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2005-07 के दौरान उचित मानीटरिंग/नियंत्रण कार्यपद्धति स्थापित करने तथा सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 8.67 करोड़ ₹ के सेवा कर का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.4)

डब्ल्यू एल एल उपकरण वापस नहीं लिए जाने के कारण हानि

आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत 32 गौण स्वचन क्षेत्र स्वेच्छा से बंद कराए गए कनेक्शनों/काटे गये कनेक्शनों अथवा देय राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण स्थायी रूप से बंद किए गए कनेक्शनों से वायरलैस टर्मिनल उपकरण वापस लेने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 2002-08 की अवधि के लिये 7.11 करोड़ ₹ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.5)

सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलने के कारण हानि

आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल, परिमंडल दूरसंचार भंडार डिपो, सिकदराबाद को डीलर डिपो के रूप में पंजीकृत करने में विफल रहे ताकि इसे ऐसे इन्वायस अलग जारी करने में समर्थ बनाया जा सके जिसमें उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को स्वीकार्य भंडार मूल्य तथा उत्पाद शुल्क का अंश दर्शाया गया हो। इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार फ़ैक्टरी से अधिप्राप्त भंडारों के लिये सेनवेट क्रेडिट नहीं प्राप्त हुआ और इससे 5.91 करोड़ ₹ की हानि हुई।



(पैराग्राफ 3.6)

डिजिटल लूप कैरियर प्रणालियों का उपयोग नहीं किया जाना/कम किया जाना

राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत चार गौण स्विचन क्षेत्र द्वारा डिजिटल लूप कैरियर (डीएलसी) प्रणाली की अधिप्राप्ति आवश्यकता के बिना की गई जिसके परिणामस्वरूप 4.91 करोड़ ₹0 मूल्य के डीएलसी का उपयोग नहीं हुआ/कम उपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 3.7)

कार्मिकों को भाड़े पर लेने पर अनियमित अतिरिक्त व्यय

मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के चार गौण स्विचन क्षेत्रों में अवसरचना अनुरक्षण तथा रखरखाव सेवाओं के लिए संस्वीकृत संख्या से अधिक कार्मिक भाड़े पर लिये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2003-2008 के दौरान 3.70 करोड़ रूपए का अनियमित अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

होस्टल भवन के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश

मुंबई नगरपालिका निगम द्वारा विहित शर्तों का पालन करने तथा इससे अपेक्षित अधिग्रहण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप म टे नि लि मुंबई पांच से अधिक वर्षों तक होस्टल भवन के ऊपरी आठ मंजिलों का अधिग्रहण नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप 16.24 करोड़ ₹0 का निष्क्रिय निवेश हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

बिल डाक सेवा का लाभ नहीं उठाने के कारण अतिरिक्त व्यय

म टे नि लि मुंबई डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अपेक्षाकृत सस्ती बिल डाक सेवा का लाभ उठाने में विफल रहा और इसके द्वारा साधारण डाक के माध्यम से उच्चतर दरों पर दूरभाष बिल प्रेषित किये। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान 6.10 करोड़ ₹0 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.2)

प्रतिभूति जमा का अधिक भुगतान

म टे नि लि मुंबई वृहन्मुंबई बिजली आपूर्ति तथा परिवहन उपक्रम को अधिक भुगतान किये गये प्रतिभूति जमा की प्रतिपूर्ति का दावा करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 2.98 करोड़ ₹0 की राशि का अवरोधन हुआ तथा बेस्ट द्वारा अनुमत ब्याज तथा दिसम्बर 2007 को बैंक में जमा पर कम्पनी द्वारा अर्जित ब्याज के मध्य अन्तर के कारण 20.43 लाख ₹0 के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 5.3)

आई टी आई लिमिटेड

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलुरु को जनवरी 1950 में एक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था और जनवरी 1994 में आईटीआई लिमिटेड नया नाम दिया गया। कम्पनी की उत्पादन इकाइयों बंगलुरु पालक्कड, नैनी, रायबरेली, मनकापुर तथा श्रीनगर में स्थित हैं जहां विभिन्न श्रेणी के दूरसंचार उत्पाद जैसे स्वीचिंग उपस्कर, उपग्रह संचार उपस्कर आप्टिकल उपस्कर व दूरभाष उपकरण विनिर्मित किये जाते हैं। अध्याय में निर्दिष्ट किये गये पहलू निम्नलिखित हैं :
31 मार्च 2008 को 700 करोड़ रूपए के प्राधिकृत शेयर पूंजी के प्रति प्रदत्त पूंजी 588 करोड़ रूपए थी (इक्विटी पूंजी: 288 करोड़ रूपए तथा क्यूमूलेटिव रिडिमेबल प्रेफरेन्स शेयर: 300 करोड़ रूपए) भारत सरकार ने इसमें से 267-47 करोड़ रूपए निवेश किये थे।



चूंकि कम्पनी 2002-03 से हानि उठा रही थी, वर्ष 2002-03 से 2007-08 के लिये लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था।

स्वीचिंग उत्पाद के सम्बंध में (सी-डॉट एक्सचेंज के सिवाय) प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग 2004-05 के दौरान 47 प्रतिशत से कम होकर 2007-08 के दौरान 21 प्रतिशत हो गई।

खराब बिक्री निष्पादन तथा अधिक व्यय के कारण कम्पनी को वर्ष 2003-04 के दौरान 705,83 करोड़ रुपए की हानि हुई। वर्ष 2004-05 के दौरान हानि कम होकर 309,82 करोड़ रुपए हो गई जो कि मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान सहायता की प्राप्ति के कारण थी। बिक्री की लागत में वृद्धि के कारण हानि 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान क्रमशः 427,55 करोड़ रुपए तथा 404,70 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2007-08 के दौरान हानि में कमी 357,23 करोड़ रुपए की थी जो कि भारत सरकार से अनुदान सहायता की प्राप्ति के कारण थी।

2003-04 से 2006-07 के दौरान देनदारों की प्रतिशतता लगभग बिक्री आंकड़ों के बराबर थे लेकिन 2007-08 के दौरान 1.5 गुणा बढ़ गई।

(पैराग्राफ 6)

भारत संचार निगम लिमिटेड

दूरसंचार परियोजना परिमण्डलों का कार्यचालन

बी एस एन एल में सम्पूर्ण देश में डिजिटल ट्रांसमिशन नेटवर्क के सृजन हेतु बड़ी मात्रा में ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग किया जाता है और यह दूरसंचार अवसंरचना का एक अनिवार्य संघटक है। लोकल एरिया नेटवर्क, जो राजस्व जिला तक सीमित होता है, प्रादेशिका परिमण्डलों के अन्तर्गत सेकेन्डरी स्विचिंग एरिया द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित किया जाता है जबकि विभिन्न परिमण्डलों वाले लम्बी दूरी संचरण नेटवर्क दूरसंचार परियोजना परिमण्डलों (टीपीसी) द्वारा स्थापित किए जाते हैं। चालू करने के बाद ये लम्बी दूरी संचरण नेटवर्क इनके रखरखाव तथा उपयोग के लिए सम्बन्धित प्रादेशिक परिमण्डलों तथा दूरसंचार अनुरक्षण क्षेत्रों को सौंप दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त टी पी सी ब्राडबैंड तथा नैरोबैंड डिजिटल माइक्रोवेव सिस्टम, सेटेलाइट बेस्ड वोइस सिस्टम तथा सेटेलाइट बेस्ड हाईस्पीड डाटा नेटवर्क चालू करने के लिए उत्तरदायी है।

“बी एस एन एल में दूरसंचार परियोजना परिमण्डलों के कार्यचालन” की निष्पादन लेखापरीक्षा चार परिमण्डलों यथा, डब्ल्यू टी पी, एस टी पी, ई टी पी तथा एन टी पी को शामिल कर 2003-04 से 2007-08 तक टी पी सी द्वारा निष्पादन परियोजनाओं की योजना निर्माण तथा निगरानी के उद्देश्य से की गई।

वैश्विक दूरसंचार परिदृश्य में अग्रिम पंक्ति में करने के लिए भारत को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक तथा दक्ष दूरसंचार अवसंरचना सृजित करने के लिए नई दूरसंचार नीति 1999 के प्राथमिक उद्देश्य के प्रति लेखापरीक्षा में टी पी सी द्वारा योजना बनाने उपकरण तथा भण्डारों की खरीद लम्बी दूरी संचरण नेटवर्क परियोजना/योजनाओं के निर्माण तथा निगरानी में सर्वांगी कमियां देखी गईं। लेखापरीक्षा में इन परियोजनाओं के आरम्भ पूर्णता तथा चालू करने में भी विलम्ब और उपयोगकर्ता परिमण्डलों को उन्हें देर से सौंपना पाया गया। इसके अलावा लेखापरीक्षा में टी पी सी, इसके मंडलों तथा उपमंडलों में अनुपालन कमियां जैसे निगमित कार्यालय निर्देशों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा खरीद नियम पुस्तक के प्रावधानों का उल्लंघन देखा गया। इन सभी कमियों ने टी पी सी तथा कम्पनी के सम्पूर्ण निष्पादन को कमजोर बनाया।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का उद्देश्य प्राप्त करने और निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अधिक प्रतिस्पर्धा धार रखने के लिए कम्पनी द्वारा इन कमियों को दूर किया जाना है।

2009-10 की प्रतिवेदन सं. पीए 27



VII. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट)

प्रस्तावना

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र है।

सी-डॉट फिक्स्ड लाइन, मोबाइल तथा पैकेट बेस्ड कनवर्ज्ड नेटवर्कों तथा सेवाओं के लिए संपूर्ण दूरसंचार समाधान, प्रौद्योगिकियाँ तथा अनुप्रयोग विकसित करता है। सी-डॉट में पूर्णतः सॉफ्टवेयर आधारित प्रौद्योगिकियाँ विकसित की गई हैं जो सेवा उपलब्ध कराने और साथ ही नेटवर्कों और सेवाओं के प्रचालन और प्रबंधन के लिए भी सेवा प्रदाताओं हेतु उपयोगी हैं। सी-डॉट प्रौद्योगिकियों की भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सीधे तथा लाइसेंसधारकों के माध्यम से महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज है। सी-डॉट वर्तमान में नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क, लागत प्रभावी ग्रामीण वायरलेस समाधान, सॉफ्टवेयर आधारित प्रणालियाँ, ऑप्टिकल और उपग्रह पारिषण एवं अभिगम प्रौद्योगिकियाँ और समाधान उपलब्ध कराने और विकसित करने को महत्व दे रहा है, जो कार्यनीतिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सी-डॉट की उत्पाद सूची में फिक्स्ड लाइन पीएसटीएन प्रणालियाँ, एडवांस्ड इंटेलिजेंट नेटवर्क समाधान, अभिगम नेटवर्क उत्पाद, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की (एसडीएच) तथा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (डब्ल्यूडीएम) प्रणालियाँ, उपग्रह संचार प्रणालियाँ, नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियाँ, प्रचालन सहायक प्रणालियाँ, कॉग्निटिव रेडियो पर आधारित ग्रामीण वायरलेस अभिगम और ब्रॉडबैंड समाधान तथा एसडीआर आधारित जीएसएम प्रणालियाँ शामिल हैं। सी-डॉट फील्ड में पहले से स्थापित पारंपरिक प्रणालियों को भी समर्थन दे रहा है।

अप्रैल 09 से दिसंबर 09 की अवधि के दौरान की उपलब्धियाँ तथा जनवरी 10 से मार्च, 10 के दौरान की प्रत्याशित उपलब्धियाँ

विभिन्न अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों से संबंधित प्रमुख कार्यो/उपलब्धियों का ब्योरा निम्नवत है :

फाइबर तथा उपग्रह पर हाइब्रिट रेट नेटवर्क बैकबोन

वर्तमान में यह स्कीम महानगरों में एसओएचओ (स्मॉल ऑफिस/होम ऑफिस) / घरेलू ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क में ट्रिपल प्ले सर्विस (वॉइस, वीडियो और डेटा) उपलब्ध कराने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता हेतु गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) प्रणाली को स्वदेश में डिजाइन करने और विकसित करने पर केंद्रित है। वर्तमान में प्रणाली के एकीकरण और परीक्षण का कार्य चल रहा है जिसके पश्चात प्रयोगशाला में प्रणाली का वैधीकरण परीक्षण किया जाएगा। बाद में प्रणाली का टीईसी परीक्षण/फील्ड परीक्षण किया जाएगा। जीपीओएन प्रणाली में ट्रिपल प्ले सर्विस की आपूर्ति के लिए (i) केंद्रीय कार्यालय उपकरण अर्थात ओएलटी (ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन यूनिट) और ओएनयू (ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट) और (ii) ओएनटी (ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन) शामिल हैं। दो प्रकार के ओएनटी अर्थात घरेलू अनुप्रयोग के लिए एसएफयू (स्मॉल फैमलि यूनिट) से संबंधित ओएनटी-1 तथा एसओएचओ (स्मॉल ऑफिस/होम ऑफिस) अनुप्रयोग से संबंधित ओएनटी-2 विकसित किए गए हैं।

विधि प्रवर्तन एजेंसियों हेतु सुरक्षा प्रबंधन: केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीएमएस)

इस स्कीम का अनुसंधान एवं विकास घटक विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रयोग में लाए जाने के लिए केंद्रीकृत कॉल इंटरसेप्शन, उनके मॉनीटरन और विश्लेषण के लिए तैयार की गई प्रणाली के अनुसंधान, विकास और फील्ड परीक्षण पर केंद्रित है।



इस वित्त वर्ष के अंत तक सीएमएस के चरण-1 से संबंधित विकास कार्य के पूरा हो जाने की आशा है। इसमें पीएसयू टीएसपी (दूरसंचार सेवा प्रदाता) के लिए वॉइस इंटरसेप्शन, मॉनीटरन और विश्लेषण कार्य किए जाएंगे। प्रयोगशाला डेटा केंद्रों में काम चालू हो चुका है। सीएमएस डेटा केंद्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कनेक्ट करने और परीक्षण करने और बाद में सेवा प्रदान करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना संस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।



नई दिल्ली स्थित सी-डॉट के कार्यालय में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री गुरुदास कामत

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकियाँ

इस स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रणालियों के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनसांख्यिकी, भूभाग और परिस्थिति के लिए उपयुक्त पैकेट ओरिएन्टेड दूरसंचार प्रौद्योगिकियाँ
- वॉइस ओवर आईपी प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाएँ
- पहले से प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों से बदलना
- मोबाइल रेडियो अभिगम नेटवर्कों के लिए आईपी आधारित जीपीआरएस और दक्ष पैकेट इंटरफेस विकसित करना
- मोबाइल प्रचालक के नेटवर्क में विभिन्न जीएसएम सेवा प्रदाताओं से खतरों के प्रबंधन हेतु एक सर्वव्यापी नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली विकसित करना



सी-डॉट की परियोजनाओं से वर्ष के दौरान हुई उपलब्धियों का ब्योरा निम्नवत है :

वीओआईपी प्रौद्योगिकी

सी-डॉट का वीओआईपी समाधान तैयार है और इसका नोएडा में फील्ड संस्थापन किया गया है। बीएसएनएल भी सी-डॉट के वीओआईपी समाधान का उपयोग करके जयपुर में संस्थापित जीपीओएन द्वारा अपने उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार इसी सॉफ्ट स्विच के जरिए उन्नत पैकेट आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।

ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकी की संकल्पना को सिद्ध करना और पायलट परीक्षण

वर्तमान में 2.4 गीगा हर्ट्ज पर लंबी दूरी के प्वाइंट-टू-प्वाइंट और प्वाइंट टू-मल्टी प्वाइंट वायरलेस प्रणालियों के लिए वाइ-फाई आधारित प्रणाली (आईईईईई 802.11ई) के एकीकरण और परीक्षण का कार्य चल रहा है। 20 किमी दृष्टि रेखा (लाइन-ऑफ साइट) की त्रिज्या के भीतर के क्षेत्र में वायरलेस ब्रॉडबैंड संयोजकता प्रदान करने के लिए इस प्रणाली में सी-डॉट के वीओआईपी समाधान का भी उपयोग किया जा रहा है। वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में उपभोक्ता के परिसर तक संयोजकता प्रदान करने के लिए गुडगांव गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में सी-डॉट मैक्स-एनजी समाधान के साथ प्रणाली का फील्ड परीक्षण करने की योजना बनाई गई है। बाद में, इस प्रौद्योगिकी को पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

सी-डॉट फिक्स्ड लाइन प्रौद्योगिकी को अगली पीढ़ी की पैकेट प्रौद्योगिकी में बदलना - संकल्पना को सिद्ध करना और पायलट परीक्षण

वर्तमान में मैक्स एनजी के लिए प्रणाली एकीकरण और परीक्षण का कार्य किया जा रहा है जिससे फिक्स्ड लाइन स्विचन प्रणाली को पैकेट प्रौद्योगिकी में बदलना संभव हो सकेगा। प्रणाली का फील्ड परीक्षण वर्ष की चौथी तिमाही में करने की योजना बनाई गई है जो तीन स्थानों अर्थात् नोएडा (उ०प्र०), गुडगांव एसएसए (हरियाणा) और पालघाट (केरल) में की जाएगी तथा इसे इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रौद्योगिकी को पूरे देश में प्रयोग में लाने के लिए मै० बीएसएनएल को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिससे इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वोत्तर-1, पूर्वोत्तर -2 और असम) में प्रचालित सी-डॉट प्रौद्योगिकी पर आधारित फिक्स्ड वाइस लाइनों को नई प्रौद्योगिकियों के मेल से अपग्रेड करने और उनमें लगभग 0.63 मिलियन की वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होगी। इस प्रौद्योगिकी अंतरण से नई सेवाओं की संभावना प्राप्त होगी और दक्षता में भी वृद्धि होगी।



नई दिल्ली स्थित सी-डॉट के कार्यालय में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री गुरुदास कामत



ग्रामीण प्रौद्योगिकियां

इस स्कीम में ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में अनेक उपलब्धियां प्राप्त होने की परिकल्पना की गई है जिससे ग्रामीण टेलीघनत्व में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त होगी और भारत के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच प्रौद्योगिकीय अंतराल को समाप्त करने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना से होने वाले लाभों के संदर्भ में वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

एसजी - आरएएन (साझा जीएसएम रेडियो अभिगम नोड)

यह एक साझा जीएसएम समाधान है जिसमें बहुत से प्रचालकों / सेवा प्रदाताओं द्वारा सक्रिय अवसंरचनाओं अर्थात् रेडियो अभिगम नेटवर्क (आरएएन) जिसमें टीआरएयू, बीएससी और बीटीएस शामिल हैं, की साझेदारी की जा सकती है। साझा आरएएन प्रचालकों के सेवा विशिष्ट एमएससी से जुड़ा होगा और उन्हें अपने स्वयं के एमएससी के जरिए ब्रांडयुक्त व्यवसाय और सेवाएं प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार उनके पूंजी व्यय और प्रचालन व्यय में कमी आएगी और वे ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती मूल्य पर मोबाइल संचार सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। वर्तमान में बीटीएस को 1800 मेगा हर्ट्ज बैंड में प्रचालित करने की योजना है।

प्रौद्योगिकी विकास पूरा कर लिया गया है और वर्तमान में प्रणाली का प्रयोगशाला में एकीकरण और परीक्षण कार्य चल रहा है। इसके वित्त वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

वीओआईपी आधारित ग्रामीण ब्रॉडबैंड अभिगम नोड

ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम प्रौद्योगिकी से उपभोक्ताओं को एकीकृत डेटा और वीओआईपी कनेक्टिविटी के लिए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम प्राप्त होता है। परियोजना को लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विशेषताओं से युक्त वॉइस ऑन आईपी (वीओआईपी) सुविधा वहनीय मूल्य पर प्राप्त होगी और साथ ही ब्रॉडबैंड अभिगम भी उपलब्ध होगा।

वर्तमान में, 2.3 से 2.7 गीगा हर्ट्ज रेडियो आवृत्ति में वाइ मैक्स आधारित ब्रॉडबैंड प्रणाली (802.16डी) के लिए एकीकरण और परीक्षण कार्य चल रहा है।



एसजी-आरएएन परियोजना हेतु आउट डोर यूनिट



ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकियां

स्कीम का मुख्य उद्देश्य अभिगम और पारगमन दूरसंचार प्रणालियों के लिए पैकेट आधारित ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकियां विकसित करना है। इसके अंतर्गत आपूर्ति योग्य विभिन्न उपकरणों-ऑप्टिकल, वायरलेस, कॉपर आदि जैसे विभिन्न पारिषण माध्यम शामिल हैं। वर्तमान में सीपीई (उपभोक्ता परिसर उपकरण) हेतु डिजाइन एवं विकास कार्य किया जा रहा है।

कार्यनीतिक एवं उद्यम समाधान

इस स्कीम का उद्देश्य व्यावसायिक उद्यमों और कार्यनीतिक क्षेत्रों के लिए अनुप्रयोग और समाधान विकसित करना है जो सी-डॉट के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध होगा।

इस अवधि के दौरान कुछ सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों में (i) पारिषण नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (टीएक्स - एनएमएस) जिसे बीएसएनएल के नेटवर्क में क्रियान्वित करने के संबंध में मै0 बीएसएनएल को एक वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, और (ii) रक्षा पैकेट नेटवर्कों के मॉनीटरिंग और प्रबंधन हेतु आईपीएनएमएस शामिल हैं। इसके संबंध में पीओसी का प्रदर्शन डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) की प्रमुख प्रयोगशाला सेंटर फॉर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (सीएआईआर) के समक्ष किया जा चुका है। क्रियान्वयन शुरू करने के लिए सीएआईआर के समक्ष वाणिज्यिक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। (iii) बीएसएनएल और एमटीएनएल जीएसएम राष्ट्रीय रोमिंग के लिए क्लियरिंग हाऊस सर्विस को वाणिज्यिक आधार पर चालू कर दिया गया है: बीएसएनएल - उत्तरी और पूर्वी जोन (एमटीएनएल दिल्ली सहित); बीएसएनएल उत्तरी और पूर्वी जोन (एमटीएनएल - मुंबई सहित)। (iv) सी-डॉट की एटीएम प्रौद्योगिकी रक्षा अनुप्रयोगों के अनुरूप तैयार की गई है। विशाखापत्तनम में सीएमएस - एसएनएफ के पहले जहाज को आवश्यकता के अनुरूप करने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात सीएमएस - एसएनएफ को एकीकृत

फैक्टरी स्वीकार्यता परीक्षण (आईएफएसीटी) के लिए प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में प्रगति पर है। एआईएसडीएन-17 परियोजना के 3 जहाजों के लिए ऑन बोर्ड सहायता सेवा मुंबई में उपलब्ध कराई जा रही है। एटीएम प्रौद्योगिकी आधारित एआईएसडीएन-17 परियोजना और सीएमएस-एसएनएफ के लिए ऑन बोर्ड सहायता सेवा भी करार के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है।

दूरसंचार सहायक प्रौद्योगिकियों और नेटवर्कों पर बुनियादी अनुसंधान/अध्ययन/पायलट परियोजना

यह स्कीम सी-डॉट को बुनियादी अनुसंधान कार्य करने और अध्ययन कार्य करने तथा दूरसंचार सहायक प्रौद्योगिकियों और नेटवर्कों से संबंधित नए / ग्रीन फील्ड क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं शुरू करके अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट स्थिति को बनाए रखने में सहायता करती है।


अध्ययन परियोजना में गतिक स्पेक्ट्रम आवंटन (डीएसए), ब्रॉडबैंड एसटीबी कम पीसी, एसटीबी अंतः प्रचालनीयता, एक नंबर और साझा स्पेक्ट्रम के साथ सक्रिय अवसंरचना साझेदारी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान निम्नलिखित दो स्कीमों के अंतर्गत यूएसओएफ को तकनीकी परामर्शदात्री सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं :

- स्कीम 1 : चरण 2 - देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सेल्युलर मोबाइल कवरेज के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराना ।
- स्कीम 2 : ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड अवसंरचना का रॉल आउट

दूरसंचार नेटवर्कों और पायलट परियोजनाओं का संवर्धन/ नई विशेषताएं शामिल करना, अनुकूलन आदि तथा बुनियादी अनुसंधान एवं अध्ययन

यह स्कीम परिवर्तित हो रही आवश्यकताओं के दृष्टिगत संवर्धन, विकास, नई विशेषताएं शामिल करने मापनीयता, मूल्य योजन और ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप बनाने से संबंधित विकास प्रयासों पर केंद्रित है। यह सी-डॉट के विकसित, लागू की गई और लागू की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं।

यह कलपूर्जों के पुराने हो जाने, नई विशेषताएं शामिल करने तथा नए इंटरफेस के लिए अनुकूलन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर किया जाने वाला प्रौद्योगिकी उन्नयन क्रियाकलाप है। इन प्रौद्योगिकियों में मैक्स (एमएएक्स), कॉल अंतरावरोधन प्रणाली, नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली, क्लियरिंग हाऊस अनुप्रयोग, इंटेलिजेंट नेटवर्क प्रणाली, सी-डॉट एनजीएन (अगली पीढ़ी का नेटवर्क) प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।



इस अवधि के दौरान की विभिन्न उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) पायलट परीक्षण के लिए सी-डॉट वीओआईपी समाधान की स्वदेश निर्मित उप प्रणालियों का संस्थापन; (ii) पूर्व वैधीकरण क्रियाकलाप शुरू होने पर दिल्ली एनटीआर (उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र) और चेन्नै एसटीआर (दक्षिणी दूरसंचार क्षेत्र) में टीएएक्स-एनएमएस मॉड्यूलों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संस्थापन (iii) एक प्रौद्योगिकी के लिए चरण 2 जीएनएमएस (जीएसएम - एनएमएस) हेतु विकास कार्य पूर्ण होना और अन्य दो प्रौद्योगिकियों के लिए अपेक्षा अध्ययन/विश्लेषण कार्य प्रगति पर होना।

नेटवर्क में लागू की गई विभिन्न सी-डॉट प्रौद्योगिकियों जैसेकि एमएएक्स, आरएएक्स, सीआईआईएस (कॉल अंतरावरोधन प्रणाली) और एलएनएमएस (स्थानीय नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली) के लिए नियमित फील्ड सहायता प्रदान की जा रही है।

सी-डॉट के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह

सी-डॉट के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 अगस्त, 2009 को नई दिल्ली स्थित सी-डॉट कैम्पस में एक समारोह आयोजित किया गया। माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री गुरुदास कामत इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर श्री एस0जी0 पित्रोदा, संस्थापक परामर्शदाता और सी-डॉट बोर्ड के संस्थापक सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन को बधाई दी गई। इस समारोह का, जिसमें दूरसंचार जगत के प्रतिष्ठित अतिथियों और इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों ने भाग लिया, सी-डॉट द्वारा विकसित किए गए दूरसंचार समाधानों और प्रौद्योगिकियों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी उपयोग किया गया। बेंगलुरु में 28 अगस्त, 2009 को एक तकनीकी सेमिनार भी आयोजित किया गया।



माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री गुरुदास कामत और श्री सैम पित्रोदा - सी-डॉट के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में



VIII. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

	पृष्ठ
VIII.1 भारत संचार निगम लिमिटेड	87
VIII.2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	99
VIII.3 आईटीआई लिमिटेड	111
VIII.4 टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड	119



VIII.1 भारत संचार निगम लिमिटेड

भूमिका और कार्य

भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल) : इसका गठन 1 अक्टूबर, 2000 को तत्कालीन दूरसंचार प्रचालन विभाग और दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण से किया गया था। इस कम्पनी ने दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर समूचे देश में दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित दूरसंचार विभाग के तत्कालीन कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के पास लगभग 3.0 लाख के कुशल कार्मिक का एक विशाल आधार है। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार का शत-प्रतिशत स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

भारत संचार निगम लिमिटेड प्रौद्योगिकी प्रधान कम्पनी है और यह सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं नामतः लैण्डलाइन पर टेलीफोन सेवाएं, डब्ल्यूएलएल तथा मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इन्टरनेट, पट्टाशुदा सर्किट और लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है।

कम्पनी 100% डिजिटल नई प्रौद्योगिकी स्विकन नेटवर्क युक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी है। भारत संचार निगम लिमिटेड का राष्ट्र व्यापी दूरसंचार नेटवर्क सभी जिला मुख्यालयों, उपमण्डल मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और प्रायः सभी खण्ड मुख्यालयों को कवर करता है।

बिजली और परिवहन के साथ-साथ दूरसंचार एक बुनियादी अवसंरचना सुविधा है और इस प्रकार इसे देश में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ाने के साधन के रूप में मान्यता दी गई है। दूरसंचार द्वारा आधुनिक विश्व में वैश्विक अर्थ-व्यवस्था और एकल विश्व बाजार स्थल की अवधारणा की शुरुआत प्रत्याशित है। अतएव भारत संचार निगम लिमिटेड का दूरसंचार नेटवर्क विश्व के समूचे देशों को वायस और डाटा के रूप में सूचना का परिवहन करने के लिए अभिगम प्रदान करने वाले आधुनिक वैश्विक नेटवर्क का भाग बन गया है।

2009-10 की विशेषताएं

- भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल) दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर 24 दूरसंचार सर्किलों और चेन्नै तथा कोलकाता 2 महानगरीय जिलों के माध्यम से समूचे देश में दूरसंचार सेवाओं का प्रचालन करता है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा दूरसंचार प्रदाता है जिसके पास 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 909.57 लाख उपभोक्ता हैं। 2009-10 के दौरान इसने अपने उपभोक्ता आधार में 94.66 लाख और उपभोक्ताओं को जोड़ा है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड ने 2001 की जनगणना के अनुसार 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार देश में 5.94 लाख गांवों में से 5.49 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन(वीपीटी) प्रदान कर दिया है। 2009-10 के दौरान 31.12.2009 तक इसने 13409 गांवों को वीपीटी प्रदान किया जिससे कवरेज बढ़कर 5.63 लाख गांवों की हो गयी है।
- 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की कुल संख्या 292.04 लाख (अर्थात् कुल सीधी एक्सचेंज लाइनों का 35.84%) थी। 2009-10 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड ने 31.23 लाख ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें और जोड़ीं जिससे ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या बढ़कर 323.27 लाख) अर्थात् कुल सीधी एक्सचेंज लाइनों का लगभग 35.54%) हो गयी।
- 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार इसके नेटवर्क में 521.44 लाख वायरलेस (डब्ल्यूएलएल+जीएसएम) कनेक्शन थे। 2009-10 के दौरान इसने 107.17 लाख मोबाइल कनेक्शन और जोड़ा जिससे 31 दिसंबर, 2009 तक मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 628.61लाख हो गयी।



- 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार नेटवर्क में 54.33 लाख डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शन थे।
- 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल नेटवर्क में 56.31 लाख डब्ल्यूएलएल कनेक्शन है।
- 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड के पास 461.92 लाख लाइनों की परिसज्जित क्षमता युक्त 38.231 वायर लाइन टेलीफोन एक्सचेंज हैं और वायरलाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 293.46 लाख है। 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार जहां तक वायर लाइन की स्थिति का सम्बन्ध है, 460.07 लाख लाइनों की परिसज्जित क्षमता युक्त टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 38322 है और टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 280.96 लाख है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड उच्च गति की ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करता है और इसके पास 31.03.2009 तक 35.57 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं। इसने 2009-10 के दौरान 31.12.2009 तक 11.73 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन और जोड़े हैं जिससे ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 47.30 लाख हो गयी है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड इन्टरनेट सेवा प्रदाता(आईएसपी) है। यह फुलरेंज की इन्टरनेट सेवा प्रदान करता है जिसके लिए इसने नेशनल इन्टरनेट बैकबोन(एनआईबी) संस्थापित किया है। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड 36.93 लाख इन्टरनेट कनेक्शन प्रदान किया है। 2009-10 के दौरान 31.12.2009 तक भारत संचार निगम लिमिटेड 2.35 लाख इन्टरनेट कनेक्शन और जोड़े हैं जिससे 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार इन्टरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 39.28 लाख हो गयी है।



इंडिया टेलीकॉम 2009 " के दौरान आईटीआई स्टाल पर श्री गुरुदास कामत, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

वित्तीय निष्पादन

1 अक्टूबर, 2000 से पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग/ दूरसंचार प्रचालन विभाग की परिसंपत्तियां और देनदारियां भारत संचार निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गईं। 1 अक्टूबर, 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ली गई परिसंपत्तियों(अचल परिसंपत्तियां/सीडब्ल्यूआईपी एवं वस्तु सूची आदि) का मूल्य 63392 करोड़ रु. आकलित किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड को अंतरित की गई परिसंपत्तियों से उसे प्राप्त पूंजी ढांचे में 5000 करोड़ रु. की इक्विटी, 7500 करोड़ रु. की अधिमानी इक्विटी, 7500 करोड़ रु. का सरकारी ऋण, एमटीएनएल से 3056 करोड़ रु. का ऋण, एवं आरक्षित निधि के रूप में 40336 करोड़ रु. अधिशेष शामिल हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 35812 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा और एआरपीयू में भारी कमी के बावजूद कम्पनी ने कर पश्चात 574.85 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। इस वर्ष के दौरान कम्पनी के निवल मूल्य में 506 करोड़ रुपये की भी वृद्धि हुई जिससे यह बढ़कर 88634 करोड़ रुपये हो गई।



2009-10 के दौरान उपलब्धियां

क्र.सं.	पैरामीटर	यूनिट	2009-10 (31 दिसंबर, 2009 तक) के दौरान उपलब्धियां (लाख में)	31.दिसंबर.2009 की स्थिति के अनुसार (लाख में)
1.	वायरलाइन कनेक्शन	अदद	(-)12.50	280.96
2.	डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	अदद	1.98	56.31
3.	मोबाइल कनेक्शन	अदद	105.19	572.31
4.	ब्रॉडबैंड कनेक्शन	अदद	11.73	47.30
5.	इन्टरनेट कनेक्शन	अदद	2.35	39.28

इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क

इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क प्लेटफार्म (4 आर सामान्य प्रयोजन और 1 मास कालिंग) की 5 नई प्रौद्योगिकी चालू हो जाने से समूचे देश में इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न आईएन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे आईटीसी व कॉल नाउ (प्रीपेड कालिंग कार्ड्स), एसीसी (एकाउंट कार्ड कालिंग), एफपीएच (फ्री फोन), यूएएन(यूनिवर्सल एक्सेस नम्बर), पीआरसी(प्रीमियम रेट कालिंग), वायस वीपीएन(वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क), यूपीएन(यूनिवर्सल पर्सनल नम्बर) व टेलीवोटिंग एवं फिक्स्ड लाइन प्री-पेड(एफएलपीपी) सेवा।

- टेली-वोटिंग सेवा हैदराबाद स्थित बीएसएनएल के मास कालिंग आई एन प्लेटफार्म द्वारा इण्डियन आइडल, "कौन बनेगा करोड़पति" (केबीसी)", " सारेगामा" इत्यादि जैसे कार्यक्रमों को प्रदान की जाती है।
- फिक्स्ड लाइन प्री-पेड(एफएलपीपी) टेलीफोनी सेवा पीसीओ के लिए उपलब्ध है।
- एफएलपीपी प्री-पेड ओवर पोस्ट पेड सेवा टेलीफोन कनेक्शन पर उपलब्ध है।
- बीएसएनएल लैण्डलाइन, बीएसएनएल सेल वन व एमटीएनएल लैण्डलाइन सहित संयुक्त वायस वीपीएन सेवा उपलब्ध है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अधिकांशतः सभी प्राइवेट प्रचालकों के नेटवर्क के माध्यम से बीएसएनएल की टोल और यूएएन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अन्तः प्रचालनीयता करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क सेवाओं के प्री-पेड कालों की आन लाइन बिक्री उपलब्ध है।

कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी

सीडीआर - परियोजना का प्रूफ आफ कन्सेप्ट(पीओसी) चरण शुरू हो गया है। सीडीआर परियोजना के डाटा केन्द्र पूरबी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी अंचलों के लिए कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और चण्डीगढ़ में अवस्थित हैं। ये 4 डाटा केन्द्र संबंधित अंचलों में सर्किलों की लैण्ड लाइन सेवाओं से संबंधित सभी कार्यकलापों की देखरेख डाटा संलग्न है।

सभी 4 डाटा केंद्रों (कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और चंडीगढ़) की स्थापना कर दी गई है और वे कार्यरत हैं। यह परियोजना वैधीकरण तथा स्वीकृति परीक्षण की अंतिम अवस्थाओं में है। विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रयोग संरूपण तथा एण्ड-टू-एण्ड परीक्षण अंतिम चरण में है।

पीओसी चरण में कुल 23 एसएसए को कवर किया जाना है। उनमें से हैदराबाद प्रचालन को सीडीआर परियोजना में स्थानान्तरित कर दिया गया है। भोपाल और अन्य पीओसी एसएसए को डाटा केन्द्रों से जोड़ दिया गया है। अन्य पीओसी एसएसए मार्च, " 10 तक सीडीआर प्लेटफार्म में माइग्रेट हो जाएंगे। बीएसएनएल में ईआरपी सिस्टम कार्यान्वयन योजना, अखिल भारत आधार पर ईआरपी कार्यान्वयन परियोजना मैसर्स एचसीएल इन्फोसिस्टम को सौंपी गई है। ईआरपी प्रणाली के



कार्यान्वयन में सीडीआर डाटा केंद्र हैदराबाद में मुख्य साइट और सीडीआर डाटा केन्द्र कोलकाता में डीआर साइट का प्रस्ताव है। बीएसएनएल सभी सर्किलों और अन्य इकाइयों में मैसर्स एसएपी से ईआरपी अनुप्रयोग का कार्यान्वयन कर रहा है।

चरण-VI की जीएसएम विस्तार परियोजनाओं की भाग-IV ओएसएस और बीएसएस निविदा का सभी 4 जोनों में मूल्यांकन चल रहा है। केन्द्रीयकृत रंगीन बिल मुद्रण सुविधा के लिए निविदा जारी की गई है। सिम इन्वेंटरी प्रबंधन साफ्टवेयर सभी सर्किलों में कार्यान्वित किया गया है।

पीएसटीएन कॉल सेंटर सुविधा 265 एसएसए में शुरू की गई है जो सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए एक एकल केन्द्र उपागम है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 24 एसएसए शामिल किए गए।

2009-10 के लिए उपलब्धिया

- बीएसएनएल के सभी एसएसए में सीडीआर परियोजना को जून, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है। हैदराबाद, भोपाल, देहरादून, जम्मू, भुवनेश्वर और वेल्लोर एसएसए को सीडीआर प्लेटफार्म में जोड़ दिया गया है।
- पीएसटीएन (लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड) के लिए कॉल सेंटर प्रचालनों का मानकीकरण करने और उन्हें सुचारु रूप देने के लिए, एक नया उपागम अपनाया जा रहा है। उपागम द्वारा कॉल सेंटर सेवा प्रदाताओं की सहायता से आऊटसोर्सिंग आधार पर सर्किल स्तरीय कॉल सेंटर्स की स्थापना करना है। मानवशक्ति और सुविधाएं (भवन आदि) बाहर से ली जाएंगी। सर्किल स्तरीय कॉल सेंटर सर्किल के एसएसए को कवर करेगा। निविदा जनवरी, 2010 में जारी की जाएगी।
- बीएसएनएल ने ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की पेशकश करने के लिए राजस्व हिस्सेदारी आधार पर इंटरनेट डाटा सेंटर (आईडीसी) स्थापित करने के लिए 7 अक्टूबर, 2009 को अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी की है। विभिन्न शहरों में कुल 1,20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में ऐसे 10 डाटा सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। 23.12.2009 को विक्रेताओं से बोलियां प्राप्त हुईं और इनका मूल्यांकन चल रहा है। कार्य फरवरी, 2010/एन तक सौंपे जाने की संभावना है।

ग्रामीण टेलीफोनी

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

2001 की जनगणना के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 31.12.2009 तक देश के 593601 गांवों में से 5,62,703 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गयी है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 100 से अधिक की जनसंख्या वाले 66822 निर्विवादित, शांत, अभिगम्य और आबाद गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ एक करार किया है। यूएसओ निविदा के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड को आवंटित 66822 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से 31.12.2009 तक 61,186 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये जा चुके हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड ने जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा से वंचित अभिनव अभिजात 62443 आबाद गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ एक करार किया है। 62443 आवंटित गांवों में से भारत संचार निगम लिमिटेड ने दिसंबर, 2009 तक 36,039 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिया है। 2009-10 के दौरान कुल 10,607 वीपीटी प्रदान किए गए हैं। जनवरी, 2010 से मार्च, 2010 तक के दौरान लगभग 9,393 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने की संभावना है।

ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी)

भारत संचार निगम लिमिटेड ने 1991 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक की आबादी वाले 24822 गांवों में, जिनमें ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के अलावा कोई सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा नहीं है, ग्रामीण सामुदायिक फोन सुविधा प्रदान करने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ सितम्बर, 2004 में एक करार किया है। तदनन्तर यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग द्वारा ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान करने के लिए इस करार को संशोधित करके 21958 गांव कर दिया गया था। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा फरवरी, 2009 की समाप्ति तक 21958 ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान कर दिये गये हैं।



एमएआरआर वीपीटी को बदला जाना

बीएसएनएल ने 185,121 वीपीटी (जो पहले आवंटित 1,86,872 से संशोधित किया गया था), जो पहले मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे थे, को बदलने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ करार पर हस्ताक्षर किए थे। 31 दिसंबर, 2009 तक 184,521 एमएआरआर वीपीटी बदले गए हैं। 2009-10 के दौरान 31 दिसंबर, 2009 तक कुल 656 एमएआरआर बदले गए हैं।

दूरसंचार फैक्टरियां

कोलकाता, गोपालपुर, खड़गपुर, जबलपुर, भिलाई, रिच्छई और मुंबई में स्थित दूरसंचार फैक्टरियां, बीएसएनएल की घरेलू विनिर्माण इकाइयां हैं। वर्तमान में ये विनिर्माण इकाइयां पे फोन्स, मिनी पिलर्स, सीटी बॉक्स, डीपी बॉक्स, लाइन जैक यूनिट, ओएफसी अनुषंगी, एफडीएमएस, टॉवर, एसएस ड्रॉप तार, जॉइनिंग किट्स, डीडीएफ और सिम कार्ड आदि का उत्पादन कर रही हैं। बदलते दूरसंचार परिवेश में, दूरसंचार फैक्ट्रियां बीएसएनएल को विनिर्माणकारी और सेवा सहायता संगठन के रूप में सहायता देने के लिए नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। परंपरागत उत्पादों की मांग में लगातार हो रही कमी तथा कर्मचारियों की लगातार घट रही संख्या के कारण उत्पन्न हो रही सभी बाधाओं के बावजूद दूरसंचार फैक्टरियों ने 2009-10 (30.09.2009 तक) के दौरान 2232 टावरों सहित 199.51 करोड़ ₹ के मूल्य की दूरसंचार उत्पादों की आपूर्ति की है। सभी सातों दूरसंचार फैक्टरियों को अब आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। फैक्टरियाँ सी-डॉट कार्डों और फैक्टरियों के अन्य उत्पादों की मरम्मत के लिए कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, जबलपुर, भिलाई, जयपुर, बंगलुरु और विजयवाड़ा स्थित सेवा सहायता केंद्रों के माध्यम से मरम्मत संबंधी क्रियाकलापों में लगी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- अप्रैल-दिसंबर, 2009 की अवधि के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों के लिए बीएसएनएल के कुल 139 अधिकारियों को विदेशों में प्रतिनियुक्त किया गया।
- बीएसएनएल में कार्य कर रहे अधिकारियों के ज्ञान और उनकी कार्य कुशलता को अपग्रेड करने के लिए इनमें से 69 अधिकारियों को विभिन्न प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्त किया गया।
- बीएसएनएल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूरित उपस्करों के आपूर्तिकर्ता के परिसरों/प्रयोगशाला में परीक्षण और विधिमान्यीकरण के लिए 8 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजा गया।
- 62 अधिकारियों को प्रदर्शनी/बैठक/सम्मेलन/व्यावसायिक दौरों के लिए भेजा गया ताकि वे दूरसंचार के क्षेत्र की नवीनतम घटनाओं के बारे में मौकों पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकें।
- इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल के 9 अधिकारियों ने 23 से 25 सितंबर, 2009 तक हैदराबाद, भारत में आयोजित एशिया प्रशांत हेतु आईटीयू की क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा फ़ोरम में भाग लिया।
- आईटीयू द्वारा 20.08.2009 से 30.10.2009 तक आयोजित "सार्वभौमिक सेवाएं, नीतियां तथा पद्धति" संबंधी ई-शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए एक अधिकारी को नामित किया गया।
- आईटीयू द्वारा 21.09.2009 से 31.10.2009 तक आयोजित "रणनीतिक मानव संसाधन संबंधी चुनौतियां" की ई-शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए एक अधिकारी को नामित किया गया।
- आईटीयू द्वारा 25.10.2009 से 4.12.2009 तक आयोजित "लैंड मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी रूपरेखा" संबंधी ई-शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए तीन अधिकारियों को नामित किया गया।



चुनिदा क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विकास

विशेष संघटक योजनाएं : बीएसएनएल की वार्षिक योजना में विशेष संघटक योजनाओं के तहत (1) पूर्वोत्तर क्षेत्र, और (2) जनजातीय उपयोगना क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के तेजी से विकास पर विशेष बल दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की नेटवर्क स्थिति : पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है :

क्र० सं०	राज्य का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज	कुल क्षमता (लाइनों में)	कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)	प्रतीक्षा सूची (वायरलाइन)	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (2001 की जनगणना के अनुसार)
1	असम	606	6,96,844	3,28,418	358	23,833
(2ए)	मेघालय	125	88,192	64,934	0	3,298
(2बी)	मिजोरम	102	74,776	55,223	6	697
(2सी)	त्रिपुरा	129	124,568	79,628	0	804
	पूर्वोत्तर-1	356	2,87,536	1,99,785	6	4,799
(3ए)	अरुणाचल प्रदेश	107	87,252	48,428	0	1,536
(3बी)	मणिपुर	54	56,612	32,370	1	1,234
(3सी)	नागालैंड	63	61,032	45,575	0	2,069
	पूर्वोत्तर-2	224	204,896	1,26,373	1	4,839
4	सिक्किम	47	55228	21,564	0	408
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,233	12,34,504	6,76,140	365	33,879

विकास स्थिति : वर्ष 2009-10 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

मदें	2009-10	
	लक्ष्य (समझौता ज्ञापन के अनुसार)	उपलब्धि (31 दिसंबर, 2009 तक)
निवल स्विचन क्षमता (लाइनें) (तारशुदा+डब्ल्यूएलएल+सीएमटीएस) सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)	6,16,254	2,83,040
(i) तार	1,71,000	(-) 23,265
(ii) मोबाइल	4,55,000	2,98,314
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन(सं०)(2001 की जनगणना के अनुसार)	4,877	1,339
ब्रॉडबैंड क्षमता (पोर्ट)	41,105	16,628
ब्रॉडबैंड कनेक्शन (संख्या)	32,255	15,563



टेली-घनत्व : 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति और राज्य/सर्किल वार टेलीघनत्व का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

राज्य का नाम	टेली-घनत्व		
	बीएसएनएल शहर	बीएसएनएल ग्रामीण	बीएसएनएल कुल
असम	21.50	1.85	4.76
पूर्वोत्तर-1	23.92	4.13	8.90
पूर्वोत्तर-2	29.66	5.09	10.87
सिक्किम	122.29	7.94	22.27
संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र	24.51	2.68	6.48
सभी	1879	3.92	8.01

जनजातीय उपयोजना

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना का एक हिस्सा है। जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के संतुलित और त्वरित विकास के लिए इन्हें विशेष महत्व का क्षेत्र माना गया है। जनजातीय उपयोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

- जनजातीय क्षेत्रों में मांग पर दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराना
- जनजातीय क्षेत्रों के सभी एक्सचेंजों में एनएसडी सुविधा उपलब्ध कराना और
- सभी जनजातीय ग्रामों में सार्वजनिक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराना। जनजातीय क्षेत्र - अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर -I, पूर्वोत्तर -II, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल राज्यों/सर्किलों में पड़ते हैं।

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत वर्ष 2009-10 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

क्र०सं०	मर्दे	2009-10 के लिए लक्ष्य	2009-10	
			31.12.2009 तक स्थिति	31.12.2009 तक उपलब्धि
1.	टेलीफोन एक्सचेंज (सं०)	10	3881	12
2.	स्विचन क्षमता (लाख लाइनें)	28.51	91.13	9.95
3.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (लाख लाइनें)	14.79	68.50	5.75
4.	ब्रॉडबैंड कनेक्शन (संख्या लाख में)	1.60	1.67	0.46
5.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (संख्या)	13,129	109739	4,259
6.	ओएफसी (रुट कि.मी.)	4758	45479	2,384



कर्मचारी कल्याण

बीएसएनएल द्वारा किए गए उपाय/प्रदान की गई सुविधाएं

बीएसएनएल अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए बीएसएनएल के कल्याणकारी उपायों के भाग रूप में विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। इसने वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर 12 करोड़ रु0 व्यय किए हैं। बीएसएनएल कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। बीएसएनएल कर्मचारियों के अध्ययनरत बच्चों को बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। उन बीएसएनएल कर्मचारियों के परिवार को 15000/- रु0 की तत्काल वित्तीय सहायता जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है। गंभीर बीमारी और बड़े सर्जिकल आपरेशन के मामले में 25000/- की वित्तीय सहायता। प्राकृतिक आपदा/सांप्रदायिक हिंसा/उग्रवादी हमलों के पीड़ितों को अधिकतम 3000/- रु0 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्राइंग प्रतियोगिता और नारा लेखन प्रतियोगिता। पर्यटन यात्राओं के आयोजन के लिए वाहन किराए में वित्तीय सहायता।

समूह	कुल कर्मचारी	महिलाएं	अशक्त व्यक्ति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
क	7704	387	5	461	1327
ख	48312	7059	69	2041	7158
ग	198312	25282	367	10136	36247
घ	42739	7480	38	2242	10002
औद्योगिकी मज़दूर	2773	118	3	252	554
कुल	299840	40326	482	15332	55288

	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	औद्योगिक	कुल
अल्प दृष्टिक्षम	0	0	16	17	0	33
बधिर	1	0	29	4	0	34
पक्षाघात के कारण चलने में अशक्त	4	69	322	17	3	415



तालिका -1

विषय: 31.03.2009 और 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों और सीधी एक्सचेंज लाइनों की स्थिति।

क्र० सं०	सर्किल	की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या		की स्थिति के अनुसार सीधी एक्सचेंज लाइनें (फिक्स+ डब्ल्यूएलएल+ सीएमटीएस)	
		31.03.2009	31.12.2009	31.03.2009	31.12.2009
1.	अंडमान और निकोबार	48	47	99,037	125,900
2.	आंध्र प्रदेश	4,166	4,189	5,657,526	6,350,919
3.	असम	605	606	1,324,128	1,428,416
4.	बिहार	1,235	1,236	3,148,722	3,813,298
5.	छत्तीसगढ़	633	608	1,157,157	1,210,503
6.	गुजरात	3,225	3,227	4,574,565	4,824,598
7.	हरियाणा	1,285	1,309	2,580,484	3,128,423
8.	हिमाचल प्रदेश	1,095	1,128	1,267,336	1,566,332
9.	जम्मू और कश्मीर	369	367	1,170,478	1,294,365
10.	झारखण्ड	492	504	1,260,723	1,469,240
11.	कर्नाटक	2,753	2,769	4,916,904	5,574,041
12.	केरल	1,241	1,244	6,554,016	7,262,881
13.	मध्य प्रदेश	2,558	2,560	3,317,684	3,666,037
14.	महाराष्ट्र	4,937	4,933	7,086,925	7,318,826
15.	पूर्वोत्तर-I	344	356	569,530	635,946
16.	पूर्वोत्तर-II	222	224	535,179	636,985
17.	उड़ीसा	1,163	1,167	2,250,870	2,806,616
18.	पंजाब	1,529	1,526	4,241,213	4,741,307
19.	राजस्थान	2,334	2,336	4,721,530	5,190,226
20.	तमिलनाडु	2,030	2,028	5,572,185	6,255,015
21.	उत्तर प्रदेश(पू0)	2,280	2,193	7,538,520	8,861,542
22.	उत्तर प्रदेश (प0)	975	1,060	2,780,005	3,165,216
23.	उत्तराखंड	458	459	1,120,078	1,276,128
24.	पश्चिम बंगाल	1,385	1,385	2,960,002	3,044,200
25.	कोलकाता	542	536	2,948,318	3,101,617
26.	चेन्नई	327	325	2,137,550	2,208,576
	बीएसएनएल जोड़	38,231	38,322	81,490,665	90,957,153



तालिका-2

विषय: 31.03.2009 और 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति और प्रतिशतता

क्र०सं०	सर्किल	2008-09 (31.03.2009 की स्थिति के अनुसार)			2009-10(31.12.2009 की स्थिति के अनुसार)		
		ग्रामीण	कुल	ग्रामीण टेलीफोनों की प्रतिशतता	ग्रामीण टेलीफोन	कुल टेलीफोन	ग्रामीण टेलीफोनों की प्रतिशतता
1	अंडमान और निकोबार	47,972	99,037	48.44	59,300	125,900	47.10
2	आंध्र प्रदेश	2,417,557	5,657,526	42.73	2,807,369	6,350,919	44.20
3	असम	436,504	1,324,128	32.97	476,130	1,428,416	33.33
4	बिहार	1,296,414	3,148,722	41.17	1,527,213	3,813,298	40.05
5	छत्तीसगढ़	330,966	1,157,157	28.60	376,604	1,210,503	31.11
6	गुजरात	1,554,297	4,574,565	33.98	1,629,437	4,824,598	33.77
7	हरियाणा	1,394,394	2,580,484	54.04	1,884,689	3,128,423	60.24
8	हिमाचल प्रदेश	902,976	1,267,336	71.25	1,057,681	1,566,332	67.53
9	जम्मू और कश्मीर	169,412	1,170,478	14.47	193,496	1,294,365	14.95
10	झारखण्ड	339,878	1,260,723	26.96	431,604	1,469,240	29.38
11	कर्नाटक	1,251,964	4,916,904	25.46	1,285,459	5,574,041	23.06
12	केरल	4,002,329	6,554,016	61.07	4,232,346	7,262,881	58.27
13	मध्य प्रदेश	870,893	3,317,684	26.25	997,962	3,666,037	27.22
14	महाराष्ट्र	2,756,760	7,086,925	38.90	2,764,718	7,318,826	37.78
15	पूर्वोत्तर-I	208,038	569,530	36.53	224,079	635,946	35.24
16	पूर्वोत्तर-II	164,126	535,179	30.67	228,187	636,985	35.82
17	उड़ीसा	1,080,258	2,250,870	47.99	1,312,471	2,806,616	46.76
18	पंजाब	1,871,669	4,241,213	44.13	2,081,071	4,741,307	43.89
19	राजस्थान	1,696,444	4,721,530	35.93	1,889,638	5,190,226	36.41
20	तमिलनाडु	1,469,961	5,572,185	26.38	1,488,161	6,255,015	23.79
21	उत्तर प्रदेश(पू०)	2,216,969	7,538,520	29.41	2,423,757	8,861,542	27.35
22	उत्तर प्रदेश (प०)	663,218	2,780,005	23.86	777,781	3,165,216	24.57
23	उत्तराखंड	421,451	1,120,078	37.63	504,660	1,276,128	39.55
24	पश्चिम बंगाल	1,517,134	2,960,002	51.25	1,552,459	3,044,200	51.00
25	कोलकाता	0	2,948,318	-	0	3,101,617	-
26	चेन्नई	122,737	2,137,550	5.74	121,092	2,208,576	5.48
बीएसएनएल जोड़		29,204,321	81,490,665	35.84	32,327,364	90,957,153	35.54



तालिका-3

2001 की जनगणना के अनुसार 31.03.2009 और 31.12.2009 को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की स्थिति

क्र०सं०	सर्किल	2001 की जनगणना के अनुसार कुल गांव	2008-09 (31.03.2009 की स्थिति के अनुसार)		31.12.2009 की स्थिति के अनुसार	
			वीपीटी युक्त गांव	वीपीटी युक्त गांवों की प्रतिशतता	वीपीटी युक्त गांव	वीपीटी युक्त गांवों की प्रतिशतता
1	अंडमान और निकोबार	501	271	54.09	311	62.08
2	आंध्र प्रदेश	26,613	21,600	81.16	22,994	86.40
3	असम	25,124	23,369	93.01	23,833	94.86
4	बिहार	39,032	37,870	97.02	38,388	98.35
5	छत्तीसगढ़	19,744	17,480	88.53	17,890	90.61
6	गुजरात	18,159	16,504	90.89	16,886	92.99
7	हरियाणा	6,764	6,600	97.58	6,681	98.77
8	हिमाचल प्रदेश	17,495	17,045	97.43	17,277	98.75
9	जम्मू और कश्मीर	6,417	5,795	90.31	5,944	92.63
10	झारखण्ड	29,354	27,170	92.56	27,497	93.67
11	कर्नाटक	27,481	27,254	99.17	27,418	99.77
12	केरल	1,372	1,372	100.00	1,372	100.00
13	मध्य प्रदेश	52,117	51,893	99.57	51,986	99.75
14	महाराष्ट्र	41,442	38,437	92.75	38,906	93.88
15	पूर्वोत्तर-I	7,347	4,274	58.17	4,799	65.32
16	पूर्वोत्तर-II	7,456	4,066	54.53	4,839	64.90
17	उड़ीसा	47,529	40,783	85.81	43,136	90.76
18	पंजाब	12,301	12,008	97.62	12,047	97.94
19	राजस्थान	39,753	38,560	97.00	38,796	97.59
20	तमिलनाडु	13,837	13,794	99.69	13,823	99.90
21	उत्तर प्रदेश(पू०)	76,993	76,485	99.34	74,123	96.27
22	उत्तर प्रदेश (प०)	20,949	20,061	95.76	23,633	112.81
23	उत्तराखंड	15,761	13,005	82.51	14,502	92.01
24	पश्चिम बंगाल	37,512	31,533	84.06	33,400	89.04
25	कोलकाता	893	567	63.49	567	63.49
26	चेन्नई	1,655	1,498	90.51	1,655	100.00
बीएसएनएल जोड़		593,601	549,294	92.54	562,703	94.79



तालिका - 4

विषय: 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार शहरी/ग्रामीण टेली-घनत्व

क्र०सं०	सर्किल	31.12.2009 की स्थिति के अनुसार कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या			31.12.2009 की स्थिति के अनुसार टेलीघनत्व		
		शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	अंडमान और निकोबार	66,600	59,300	125,900	36.29	20.17	26.37
2	आंध्र प्रदेश	3,543,550	2,807,369	6,350,919	15.28	4.63	7.58
3	असम	952,286	476,130	1,428,416	21.50	1.85	4.74
4	बिहार	2,286,085	1,527,213	3,813,298	22.61	1.77	3.97
5	छत्तीसगढ़	833,899	376,604	1,210,503	15.37	2.04	5.07
6	गुजरात	3,195,161	1,629,437	4,824,598	13.63	4.62	8.22
7	हरियाणा	1,243,734	1,884,689	3,128,423	15.08	11.29	12.54
8	हिमाचल प्रदेश	508,651	1,057,681	1,566,332	69.55	17.67	23.32
9	जम्मू और कश्मीर	1,100,869	193,496	1,294,365	35.88	2.28	11.21
10	झारखण्ड	1,037,636	431,604	1,469,240	14.46	1.81	4.74
11	कर्नाटक	4,288,582	1,285,459	5,574,041	19.85	3.47	9.50
12	केरल	3,030,535	4,232,346	7,262,881	34.46	16.56	21.14
13	मध्य प्रदेश	2,668,075	997,962	3,666,037	13.67	1.94	5.17
14	महाराष्ट्र	4,554,108	2,764,718	7,318,826	14.51	4.55	7.94
15	पूर्वोत्तर-I	411,867	224,079	635,946	23.92	4.13	8.90
16	पूर्वोत्तर-II	408,798	228,187	636,985	29.66	5.09	10.87
17	उड़ीसा	1,494,145	1,312,471	2,806,616	22.39	3.90	6.96
18	पंजाब	2,660,236	2,081,071	4,741,307	22.92	12.20	16.54
19	राजस्थान	3,300,588	1,889,638	5,190,226	20.79	3.73	7.80
20	तमिलनाडु	4,766,854	1,488,161	6,255,015	18.28	4.69	10.82
21	उत्तरांचल	6,437,785	2,423,757	8,861,542	28.30	2.16	6.56
22	उत्तर प्रदेश(पू०)	2,387,435	777,781	3,165,216	11.85	1.88	5.14
23	उत्तर प्रदेश (प०)	771,468	504,660	1,276,128	28.15	7.17	13.05
24	पश्चिम बंगाल	1,491,741	1,552,459	3,044,200	14.32	2.43	4.10
25	कोलकाता	3,101,617	0	3,101,617	20.92	-	20.92
26	चेन्नई	2,087,484	121,092	2,208,576	19.98	-	21.14
बीएसएनएल जोड़		58,629,789	32,327,364	90,957,153	18.79	3.92	8.01



VIII. 2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

भूमिका

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 28 फरवरी, 1986 को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया। एमटीएनएल ने अप्रैल, 1986 में दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण, प्रबंधन, प्रचालन का उत्तरदायित्व लिया। एमटीएनएल स्थिर लाइन दूरसंचार सेवा (दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में) और जीएसएम मोबाइल सेवा (दिल्ली सहित इसके आस-पास के चार नगरों नोएडा, गुडगाव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में) का प्रमुख प्रदाता है तथा मुंबई सहित मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई निगम और थारण नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र इस कंपनी के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 800 करोड़ रूपए है। इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 630 करोड़ रूपए है जो प्रत्येक 10/- रूपए के 63 करोड़ रूपए शेयरों में विभक्त है। इस समय 56.25% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है तथा शेष 43.75% शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों तथा व्यक्तिगत निवेशकों सहित अन्यो के पास है।

एमटीएनएल को 1997 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है और इसे 2001 में न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल पृथक गैर अनन्य लाइसेंस करार के तहत दिल्ली और मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल ने वर्ष 2005 में अत्याधुनिक एडीएसएल 2+ प्रौद्योगिकी पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत की है। एमटीएनएल इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर तिहरी प्ले सेवाएं अर्थात ध्वनि (वीओआईपी सहित), उच्च गति इंटरनेट तथा आईपीटीवी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

वास्तविक कार्य निष्पादन

टेली सेवाएं

एमटीएनएल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल एक्सचेंजों से जुड़े उपभोक्ताओं को कंप्यूटरीकृत प्रातः अलार्म, वॉयस मेल, स्वचालित परिवर्तित नम्बर घोषणा, कंप्यूटरीकृत दोष बुकिंग/भुगतान प्रणाली आदि जैसी विभिन्न प्रकार की फोन प्लस सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

एमटीएनएल अपने उपभोक्ताओं को कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, वेक अप कॉल्स, ऐबसेन्ट सब्सक्राइबर सेवा, कॉलर आईडेंटिफिकेशन, फ्रेंड एंड फैमिली, नाइट टॉक, कॉल कान्फ्रेंस डब्ल्यू ए पी और वायस मेल आदि जैसी अनेक मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

हाल ही में एमटीएनएल को अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएलडी लाइसेंस भी प्रदान किया गया है।

एमटीएनएल ने उपभोक्ताओं के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। एमटीएनएल ने उन्नत बिल संग्रहण और भुगतान प्रक्रिया (इंटरनेट पर और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिल भुगतान सहित) की शुरुआत की है, टेली मार्ट खोले हैं जिनमें अधिकांश उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध हैं, इंटरनेट और सीडी-रोम पर टेलीफोन निदेशिका की शुरुआत की है तथा उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया है। एमटीएनएल की उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली उपभोक्ताओं को ऑन लाइन सेवाओं की श्रृंखला उपलब्ध कराने में हमारे कर्मचारियों को सक्षम बनाती है जिनमें नई टेलीफोन लाइनों हेतु पंजीकरण, पते में परिवर्तन और बिल जारी करना शामिल है तथा इससे हमें एकल सम्पर्क स्थल से शिकायतों के मॉनीटरिंग में



सहायता मिली है। एमटीएनएल ने सेवाओं का अत्यधिक उपयोग करने वाले “वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों” की पहचान की है और इन उपभोक्ताओं के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाने के यथासंभव प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के साथ दो-तरफा प्रभावी संचार बनाने के लिए टेलीफोन अदालतें और खुले अधिवेशन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

'रीडर्स डाइजेस्ट' द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण में, एमटीएनएल को लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक विश्वसनीय दूरसंचार कंपनी का दर्जा दिया गया है और इसे प्रतिष्ठित रीडर्स डाइजेस्ट प्लेटिनम अवार्ड भी प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान एमटीएनएल दिल्ली ने 4.40 लाख नए सेल्यूलर कनेक्शन और 4.04 लाख निवल नए कनेक्शन (डब्ल्यू एलएल और जीएसएम सहित) प्रदान किया है। 31.12.09 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियों का ब्यौरा इस अध्याय के अनुबंध-I में दिया गया है

इसी अवधि के दौरान मुंबई में 10 लाख लाइनों की निवल स्विचन क्षमता जोड़ी गई। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान एमटीएनएल मुंबई ने 4.95 लाख नए सेल्यूलर कनेक्शन और 4.41 लाख निवल नए कनेक्शन (डब्ल्यू एलएल और जीएसएम सहित) प्रदान किए हैं। 31.12.09 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियों का ब्यौरा इस अध्याय के अनुबंध-II में दिया गया है।

इस प्रकार वर्ष 2008-09 के दौरान एमटीएनएल द्वारा कुल 10 लाख लाइनों की निवल स्विचन क्षमता और 8.46 लाख निवल नए कनेक्शन (स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम सहित) जोड़े गए।

दोष दर

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान दोष दर निम्नवत है :-

दोषों की संख्या/100 टेलीफोन/माह

इकाइयां	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (दिसंबर, 2009)
दिल्ली	8.8	9.42	7.20	6.71	7.85
मुंबई	11.56	10.53	11.38	9.10	8.00

दोष दर में निरन्तर कमी आ रही है। चालू वर्ष के दौरान मुंबई में मुख्यतः मुंबई म्युनिसिपल एजेंसियों द्वारा किए जा रहे खुदाई कार्यों के कारण दोष दर में वृद्धि हुई है। आगामी महीनों में मुंबई के इन आंकड़ों में गिरावट होने की संभावना है।

प्रतीक्षा सूची का निपटान

सतत प्रयासों और विभिन्न परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली और मुंबई में प्रतीक्षा सूची "शून्य" हो गई है। एमटीएनएल सेवा क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन प्रदान कर रहा है।

विभिन्न सेवाएं

ब्रॉडबैंड नेटवर्क

एमटीएनएल द्वारा एडीएसएल 2 + आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर ट्रिपल प्ले सेवाएं अर्थात् वायस (वीओआईपी सहित) उच्च गति इंटरनेट और आईपीटीवी की पेशकश की जा रही है। उपभोक्ताओं के बीच यह सेवा काफी लोकप्रिय है। 31.12.09 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल का उपभोक्ता आधार 7,68,037 तक पहुंच गया है, तथा इसके नेटवर्क में और अधिक विस्तार हेतु पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। उपभोक्ता आधार 7.03 लाख तक पहुंच गया है। एमटीएनएल की योजना अपनी मौजूदा ब्रॉडबैंड क्षमता में 1 मिलियन पोर्टों की वृद्धि करने की है। यह परियोजना दो



चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा मुंबई में चरण-1 और 11 में से प्रत्येक में 300 हजार पोर्ट तथा दिल्ली में चरण-1 और 11 में से प्रत्येक में 200 हजार पोर्ट संस्थापित किया जाएगा। चरण-1 के लिए परियोजना हेतु क्रय आदेश जारी किया जा चुका है और उपकरण संस्थापित किए जा रहे हैं।

जीएसएम सेल्युलर मोबाइल सेवाएं

30 सितम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल के जीएसएम नेटवर्क की कुल क्षमता मुंबई में 2325 हजार लाइनों तथा दिल्ली में 2025 हजार लाइनों की है। दिल्ली और मुंबई में 1000 हजार 2जी/3जी जीएसएम लाइनों की क्षमता का विस्तार करने का क्रय आदेश क्रमशः मै0 मोटोरोला और मै0 आईटीआई को दिया गया। दोनों स्थानों पर उपस्करों को स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

महानगर टेलीफोन निगम लि0 ने "जादू ब्रॉड नाम से दिल्ली (एनसीआर सहित) और मुंबई के विभिन्न पाकेटों में 3जी की वाणिज्यिक सेवाएं शुरू की हैं। सम्पूर्ण शहर के भीतर निर्बाध कवरेज शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के बेहतर और दक्ष उपयोग से 3जी सेवाएं उपभोक्ताओं को वीडियो टेलीफोनी, हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड, मोबाइल टीवी वीडियो, स्ट्रीमिंग, वीडियो आन डिमांड, आन लाइन गेमिंग इत्यादि जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराएगी। 31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार मुंबई में लगभग 653 और दिल्ली में 382 नोड बी (माइक्रो + मैक्रो) स्थापित किये गये हैं।

महानगर टेलीफोन निगम लि0 ने अपने ग्राहकों को विश्व स्तर की सेवा/अनुभव प्रदान करने के संबंध में दिल्ली और मुंबई में लगाये जा रहे 3जी नेटवर्क का तकनीकी लेखा परीक्षा कराने के लिए मै0 क्वालकॉम को नियुक्त किया है। लेखा-परीक्षण में दिल्ली और मुंबई के 3जी/डब्ल्यूसीडीएमए नेटवर्कों के निष्पादन और नेटवर्क परिमाण का मूल्यांकन शामिल होगा। लेखा परीक्षक, नेटवर्क को वैश्विक गुणवत्ता का होगा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता, यदि हो, का स्पष्ट रूप से वर्णन करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। मै0 क्वालकॉम ने संबंधित कार्य पूरा कर लिया है और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के लिए एमटीएनएल के साथ विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया में है।

3जी के बाजार को प्रारंभिक चरण में हथियाने को ध्यान में रखते हुए महानगर टेलीफोन निगम लि0 ने 3जी सेवाओं की बिक्री करने और बिक्री के उपरांत सहायता प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में इस समय ईओआई (अभिरूचि की अभिव्यक्ति) का मूल्यांकन किया जा रहा है। फ्रेंचाइजी 3जी सेवाओं को एमटीएनएल के ब्रांड नेम से या किसी नये ब्रांड नेम से बेच सकता है। एमटीएनएल भी अपने निजी ब्रांड नाम से 3जी सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा। एमटीएनएल इसके अतिरिक्त अपनी सेवाओं की मांग बढ़ाने के लिए विभिन्न विक्रेताओं से डाटा कार्ड और हैंड सेटों के साथ अपनी सेवाओं की बंडलिंग भी कर रहा है।

एमटीएनएल में एमएनपी का कार्यान्वयन : एमटीएनएल देश में एक बार अर्थात् मार्च, 2010 में एमएनपी के लिए संशोधित लक्ष्य की तारीख को बैठक करने का प्रयास कर रहा है। एमटीएनएल इस समय विभिन्न मौजूदा विक्रेताओं के साथ नेटवर्क के उन्नयन की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करने एमटीएनएल के लिए आर्डर देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, एमएनपी गेटवे के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

फेम्टोसेल की स्थापना: स्पेक्ट्रम का दक्ष उपयोग करने और इसके भार को निश्चित मात्रा तक कम करने (क्योंकि यह दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन है) के लिए एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई में फेम्टोसेल समाधान स्थापित करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति 22 अक्टूबर 2009 को जारी की है। फेम्टोसेल एक लघु सेल्युलर बेस स्टेशन होता है, जो विशेष रूप से आवासीय और लघु व्यावसायिक माहोल में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। फेम्टोसेल ब्रॉडबैंड (जैसे डीएसएल अथवा केबल) की मार्फत सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के साथ जोड़ा जाता है ताकि ब्रॉडबैंड नेटवर्क द्वारा 3जी वायरलेस नेटवर्क परियात का संवहन हो सके। अभिरूचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में दो विक्रेताओं नामतः मै0 स्टर्लाइट टेक्नॉलाजीस लि0 और मै0 एल्काटेल-ल्युसेंट लि0 ने अपने तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। एमटीएनएल में शामिल करने की उपयुक्तता के लिए इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है। इन्हें दो चरणों में स्थापित किया जाएगा। चरण-1 प्रायोगिक स्थापना का होगा और चरण-11 वाणिज्यिक स्थापना का होगा। चरण-11 के लिए व्यावसायिक माडल (अर्थात् तत्काल खरीद-फरोख्त की जाए अथवा राजस्व हिस्सेदारी/प्रबंधित क्षमता माडल पर हो) के संबंध में निर्णय चरण-1 के पूरा होने के पश्चात किया जाएगा।

सीडीएमए आधारित मोबाइल सेवाएं : दिल्ली और मुंबई में सीडीएमए नेटवर्क 400 हजार लाइनों की क्षमता का प्रत्येक नेटवर्क अद्यतन सीडीएमए 20001 X प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क है जो 14 केबीपीएस तक की डाटा स्पीड की सहायता के लिए सक्षम होता है।



कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम परियोजना

कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम परियोजना का क्रयादेश टर्न-की आधार पर कन्वर्जेंट बिलिंग सिस्टम और सीआरएम सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और उन्हें चालू करने के लिए मै0 वीईएल को दिया गया था।

यह परियोजना मौजूदा उपस्करों के साथ स्थापित उपस्करों के एकीकरण और नये सिस्टमों में मौजूदा डाटा के अन्तरण कार्य में लगी है। मौजूदा अवसंरचना के साथ एक स्थान पर एक प्रौद्योगिकी से दूसरी प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण भिन्न-भिन्न होता है। इस परियोजना से सभी सेवाओं के लिए एक बिल, उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग में छूट और अभिनव टैरिफ पैकेज में सहायता मिलेगी और बिलिंग शिकायतें कम करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली में इन्टरनेट प्रयोग प्रभार (आईयूसी), बिल मुद्रण समाधान और सीडीएमए एलओबी चालू करने का कार्य कर लिया गया है और इनका वाणज्यिक प्रयोग शुरू हो गया है। जीएसएम एलओबी का प्रचालन परीक्षण चल रहा है और इसके मुंबई में मार्च, 2010 तक चालू कर लिये जाने की संभावना है। शेष एलओबी यथा समय चालू कर लिये जाएंगे।

डीडब्ल्यूडीएम

एमटीएनएल ने अपने पारिषण नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 10जीबी/चैनल डीडब्ल्यूडीएम उपस्कर वाले 40 चैनलों के 42 टर्मिनलों (20 दिल्ली और 22 मुंबई) की आपूर्ति के लिए क्रयादेश प्रस्तुत कर दिया है। दिल्ली में 4 टर्मिनलों और मुंबई में 6 टर्मिनलों के लिए उपस्करों का संस्थापन कार्य, जिसे विक्रेता द्वारा कराया जाना है, पूरा कर लिया गया है। शेष टर्मिनलों की स्थापना की जा रही है। उपस्करों का एटी पूरा हो गया है।

उपभोक्ता परिसर संबंधी उपस्कर

वित्तीय वर्ष 2010-11 की आवश्यकता के समक्ष विभिन्न किस्म के एडीएसएल 2+सीपीई की कुल मात्रा 314250 की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विधिमान्य अन्तरावरोधन सिस्टम (एलआईएस)

एमटीएनएल के ब्रॉडबैंड और अन्य आईपी नेटवर्कों के विधि मान्य अन्तरावरोधन सिस्टम की खरीद की निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मेल मेसेजिंग सिस्टम

एमटीएनएल के लिए अद्यतन ई-मेल प्लेटफार्म की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इन्टरनेट संबंधी अन्तरराष्ट्रीय बैण्डविड्थ

दिल्ली में 5.87 जीबी और मुंबई में 5.50 जीबी का इन्टरनेट संबंधी अन्तरराष्ट्रीय बैण्डविड्थ की खरीद कर ली गयी है। मांग के अनुरूप इसमें लगातार वृद्धि की जा रही है।

माइक्रोवेव अभिगम्यता (वाई-मैक्स) के लिए विश्वव्यापी अन्तरप्रचालनीयता

ब्रॉडबैंड वायरलेस ऐक्सेस (बीडब्ल्यूए) सेवा प्रदान करने के लिए एमटीएनएल को टीडीडी मोड में 20 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है। 06 अगस्त, 2009 को एमटीएनएल ने राजस्व हिस्सेदारी आधार पर दिल्ली और मुंबई में वाई मैक्स 802.16 ई नेटवर्क की स्थापना के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी की है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति में विभिन्न संदर्शी बोलीदाताओं से टिप्पणियां/पूछताछ प्राप्त हो गयी हैं। पूछताछ/स्पष्टीकरण के संबंध में उत्तर देने की कार्रवाई की जा रही है। विक्रेता सम्मेलन का आयोजन भी प्रस्तावित है ताकि सभी मुद्दों का सही परिप्रेक्ष्य में समाधान हो सके और व्यापक विक्रेता भागीदारी का अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में अभिकल्पन किया जा सके।



एमटीएनएल की परिसम्पतियों का उपयोग

एमटीएनएल ने संस्थागत उपयोग जैसे कि प्रशिक्षण केन्द्र आदि के लिए सेक्टर-62 नोएडा में 80,000 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहीत की है। चूंकि एमटीएनएल दूरसंचार क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुम्बई में आईएसओ अभिप्रमाणित अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर चुका है, इसलिए इस भूमि का वैकल्पिक उपयोग विभिन्न प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं (कॉल सेंटर आदि सहित) के लिए करने का निर्णय लिया गया। एमटीएनएल इस भूमि को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट सहभागिता) मॉडल पर एक कोर नोलेज पार्क में विकसित कर रहा है।

रक्षा सेवाओं से स्पेक्ट्रम मुक्त किया जाना

देश में 3जी सेवाओं की शुरुआत करने के लिए रक्षा बलों को स्पेक्ट्रम मुक्त करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से दूरसंचार विभाग ने रक्षा बलों अर्थात् थल सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए अखिल भारतीय स्तर पर वैकल्पिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्मित करने और उन्हें सौंपने का निर्णय लिया है।

यह परियोजना दूरसंचार विभाग और रक्षा बलों के परामर्श से एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है और इसे दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। एमटीएनएल को दिल्ली और मुम्बई में अपने सेवा क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दूरसंचार विभाग के निर्णय के अनुसार थल सेना और नौसेना के लिए निर्माण कार्य को फिलहाल प्रास्थगित रखा गया है और वायु सेना के नेटवर्क का कार्य कुछ इलाकों जैसे कि अपेक्षित अनुमति न मिलने से मुम्बई में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई समुद्री बंदरगाह आदि, को छोड़कर पूरा कर लिया गया है। एमटीएनएल ने दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया है कि वे इन प्राधिकारियों के परिसरों में बिना बाधा के खुदाई कराने और केबल बिछाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए इनके साथ मामले को उठाएं ताकि लंबित कार्य आगे बिना किसी बिलम्ब के पूरा किया जा सके।

कोनेक्सस मोबाइल गठबंधन में भागीदारी

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जीएसएम प्रचालकों के प्रतिष्ठित कोनेक्सस मोबाइल गठबंधन में शामिल हो गए हैं। फिलहाल, कुल 11 प्रचालक 11 देशों के गठबंधन का हिस्सा हैं। महानगर टेलीफोन निगम लि0 और भारत संचार निगम लिमिटेड ने जून, 2009 में दिल्ली में कोनेक्सस कार्यदल की बैठकों का संयुक्त रूप से आयोजित किया। कोनेक्सस मोबाइल गठबंधन का प्रचार करने के लिए कार्यदल की बैठकों (23-25 जून, 2009) के बाद जून 26, 2009 को एक संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित किया गया। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड गठबंधन गतिविधियों में सक्रियता से भाग ले रहा है। ब्लेकबेरी डाटा रोमिंग, फ्लेट रेट डाटा रोमिंग, कोनेक्सस वाइड एमएसएस आदि जैसी विभिन्न ग्राहकोन्मुखी स्कीमें गठबंधन द्वारा हाल ही में ली गईं नवीन पहलें हैं। इस गठबंधन ने अपनी पिछली तिमाही बैठक हांगकांग में आयोजित की और एक ग्राहक बैठक भी आयोजित की गई। वियतनाम से एक प्रचालक मैसर्स वीनाफोन भी कोनेक्सस गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इस गठबंधन में शामिल होने के लिए मैसर्स चाइना यूनीकॉम से भी इस गठबंधन द्वारा बात की जा रही है।

समुद्री केबल बिछाने की परियोजना

एमटीएनएल बीएसएनएल के साथ 50 : 50 ईक्विटी भागीदारी सहित अपने संयुक्त उद्यम मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) के माध्यम से समुद्री केबल सिस्टम संस्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसके अंतर्गत भारत के पूर्वी समुद्र तट से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तथा भारत के पश्चिमी समुद्री तट से लेकर मध्य-पूर्व तक मुख्य और शाखा खंड शामिल होंगे जिसका उद्देश्य विद्यमान तथा पूर्वी और पश्चिमी, दोनों मार्गों के माध्यम से हाल ही में नियोजित समुद्री केबलों के जरिए यूरोप और उत्तर अमेरिका को आगे संपर्कता प्रदान करना है। इसके लिए निविदा दिसंबर, 08 में खोली गई। फिलहाल निविदाओं का वित्तीय मूल्यांकन जारी है।



अभिसरित ओएसएस प्रणाली

एमटीएनएल ने अभिसरित प्रणाली को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए इसने पहले ही तीन विक्रेताओं (ईओआई के माध्यम से) का पैनेल बनाया है ताकि मौजूदा नेटवर्क एवं प्रणालियों का अध्ययन, अंतराल विश्लेषण किया जा सके तथा तदनुसार समाधान की सलाह देता है। चुनिंदा विक्रेता फील्ड में अध्ययन कर रहे हैं।

अभिसरित ओएसएस की योजना टीएमएफ (टेली प्रबंधन फोरम) के एनजीओएसएस (अगली पीढ़ी ओएसएस) के आधार पर बनाई गई है। अभिसरित ओएसएस एमटीएनएल की अभिसरित बिलिंग तथा क्रियान्वयनाधीन सी आर एम प्रणाली के साथ एकीकृत हो जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से तीन उदीयमान सूचना प्रौद्योगिकी शिल्प/प्रौद्योगिकियां यथा एनजीओएसएस, आभासीकरण एवं सेवोन्मुख शिल्प का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

इस प्रणाली के क्रियान्वयन से एमटीएनएल के संपूर्ण व्यवसाय क्षेत्र यथा पारिषण नेटवर्क, पीएसटीएन, मोबाइल, बीबी एवं एनजीएन, इत्यादि में सभी नेटवर्क एवं प्रणालियों हेतु केंद्रीकृत प्रचालन एवं प्रबंधन की सुविधा होगी। इसमें आपूर्तिकर्ता साझेदार प्रबंधन इत्यादि जैसे अन्य व्यवसाय प्रक्रिया स्वचालन के अतिरिक्त मुख्यतः केंद्रीकृत सेवा आश्वासन (एनएमएस) एवं केंद्रीकृत पूर्ति (संभरण) शामिल होंगे। ओएसएस प्रणाली के माध्यम से एसएलए आधारित आद्यांत प्रबंधन एवं एकल संभरण केंद्र पर एक ही स्थान पर सभी एमटीएनएल नेटवर्क एवं प्रणालियों का आद्यांत अवलोकन करने में सुविधा होगी।

इंटरनेट सुरक्षा समाधान

एमटीएनएल ने अपने ब्रॉडबैंड एवं नैरोबैंड इंटरनेट उपभोक्ताओं को "राजस्व साझेदारी मॉडल" के आधार पर उपभोक्ता आधारित नेटवर्क डाउनलोड करने लायक सुरक्षा समाधानों (जिसमें एंटी वायरस, एंटी स्पैम, सॉफ्टवेयर एवं फर्मवेयर इत्यादि आदि शामिल हैं) को उपलब्ध कराने हेतु अंतिम रूप से मैसर्स एफ-सिक्वोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को "इंटरनेट सुरक्षा समाधान प्रदाताओं" का स्वरूप प्रदान किया है, ताकि ग्राहक को सॉफ्टवेयर सुरक्षा कार्यों से मुक्त रखा जा सके तथा उन्हें संतुष्टि प्रदान की जा सके। इसके लिए मैसर्स एफ सिक्वोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एपीओ जारी कर दिया गया है।

आईएमएस आधारित एनजीएन नेटवर्क

मौजूदा विक्रेताओं से सहायता नहीं मिलने के कारण मौजूदा टीडीएम एक्सचेंज के प्रचालन की दृष्टि से अनुपयुक्त हो जाने तथा पुराने पड़ जाने की स्थिति से निजात पाने के लिए तथा अपने ग्राहकों को अगली पीढ़ी की मल्टीमीडिया सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, एमटीएनएल एनजीएन के क्रियान्वयन पर विचार कर रहा है, जो मुख्यतः आईएमएस प्लेटफार्म पर आधारित होगा। आरएफजी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है तथा निविदा को यथा समय जारी किए जाने की संभावना है।

प्रमाणन प्राधिकरण समाधान

डिजिटल सिग्नेचर की उपलब्धता हेतु प्रमाणन प्राधिकरण समाधान की निविदा के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है।

संयुक्त उद्यम

यूनाइटेड दूरसंचार लिमिटेड (यूटीएल)

नेपाल वेंचर (प्रा0) लिमिटेड (एनवीपीएल) सहित टीसीआईएल, वीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई है ताकि नेपाल में सीडीएमए आधारित बुनियादी एनएलडी और आईएलडी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। यूटीआई के पास राष्ट्रीय लंबी दूरी एवं अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं को प्रचालित करने का भी लाइसेंस है। एमटीएनएल ने अब तक यूटीएल में इक्विटी के रूप में 29.015 करोड़ रु0 का निवेश किया है।

वर्तमान में कंपनी का लगभग, 340000 का उपभोक्ता आधार है।

एमटीएनएल - एसटीपीआईआईटी सेवा लिमिटेड



एमटीएनएल - एसटीपीआईआईटी सर्विसेज लिमिटेड सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है। 2006 में बनाए गए संयुक्त उद्यम में एसटीपीआई का इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में गहरा अनुभव और एमटीएनएल का भारतीय समुदाय को प्रमुख वेबपोर्टल सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से भारत की अग्रणी दूरसंचार प्रचालन कंपनी के रूप में सुदीर्घ रिकार्ड का संयोजन विद्यमान है।

यह परियोजना तीन अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित की जाएगी। पोर्टल तथा निःशुल्क ई-मेल सेवाओं के अतिरिक्त, राजस्व के अभिज्ञात स्रोतों में एसएमएस के लिए होस्टेड मैसेजिंग सॉल्युशन्स फ़ैमिली मेल बॉक्स, वेब होस्टिंग, एप्लीकेशन होस्टिंग, उद्यम संसाधन आयोजना (ई0आर0पी0) सामाधान, पोर्टल के माध्यम से पोर्टल विज्ञापन आदि शामिल हैं। प्रस्तावित डाटा केंद्र के लिए स्थल की पहचान पहले ही कर ली गई है। उक्त डाटा केंद्र चेन्नै में एसटीपीआई भवन में बनाया जाएगा।

मैसर्स विप्रो को डाटा केंद्र हेतु अवसंरचना का सृजन करने के लिए आदेश दे दिया गया है और कार्य पूरा हो गया है। मुख्य डाटा केंद्र के लिए उपस्करों का मैसर्स एचसीएल को पहले दिया हुआ अग्रिम क्रयादेश (एपीओ) निरस्त कर दिया गया है और इस बावत पुनः निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी दौरान, वाणिज्यिक शर्तों पर विदेश मंत्रालय की "पासपोर्ट सेवा सर्विस" के लिए मैसर्स टीसीएस के सर्वरों का उपयोग करते हुए, संयुक्त उद्यम ने पहले ही सृजित अवसंरचना का वाणिज्यिक उपयोग करना आरंभ कर दिया है।

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल)

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के व्यापारिक हित को ध्यान में रखते हुए, एमटीएल को एमटीएनएल और बीएसएनएल की क्रमशः 50:50 की इक्विटी की सहभागिता वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। एमटीएल की पूर्व और पश्चिम दोनों मार्गों द्वारा मौजूदा/नए नियोजित समुद्री केबलों के माध्यम से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ आगे की कनेक्टिविटी के उद्देश्य से भारतीय पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय पश्चिमी तट से मध्य पूर्व तक 10000 कि0मी0 समुद्री ओएफसी केबल बिछाने की महत्वाकांक्षी योजना है। उक्त कार्य के लिए निविदा दिसंबर, 2008 में खोला गया था। वर्तमान में वित्तीय मूल्यांकन किया जा रहा है। एमटीएल को भारत सरकार द्वारा पहले ही अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है।

सहायक कंपनियां

महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल)

एमटीएनएल ने मॉरीशस में दूसरे प्रचालक के रूप में फिक्सड, मोबाइल और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए मॉरीशस में "महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड" (एमटीएमएल) के नाम से अपनी 100% सहायक कंपनी स्थापित की है। जनवरी 2004 में इसके लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था। कंपनी ने 110000 उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु सीडीएमए-1x इवीडीओ अवसंरचना स्थापित की है। आईएलडी सेवाएं प्रदान करने के लिए सीडीएमए एमएससी के साथ आईएलडी गेटवे पहले ही प्रदान कर दिया गया है। कंपनी ने फिक्सड (डब्ल्यूएलएल), मोबाइल और आईएलडी सेवाओं के माध्यम से वर्ष 2008-2009 के दौरान 6.1 मिलियन अमरीकी डालर का राजस्व अर्जित किया है। 31.12.09 की स्थिति के अनुसार एमटीएमएल का 1,00,000 का उपभोक्ता आधार है।

प्रतिस्पर्द्धा का सामना

एमटीएनएल ने उत्पाद नवीनता में अग्रणी भूमिका निभाकर उत्साहपूर्ण विपणन कार्यनीति का अनुपालन किया है तथा अपने उपभोक्ताओं को इन उत्पादों को वहनीय कीमत पर उपलब्ध करा रहा है। देश के भीतर आईपीटीवी, वीओआईपी और 3जी सेवा की शुरुआत करने में एमटीएनएल ने सबसे पहले शुरुआत की थी। ब्राडबैंड सेवा के लिए एडीएसएल 2 & प्रोद्यौगिकी, 3जी मोबाइल सेवा के लिए एचएसडीपीए जैसी अत्याधुनिक प्रोद्यौगिकी की शुरुआत करने में एमटीएनएल हमेशा आगे रहा है। उपभोक्ता इंटरफ़ेस को उन्नत करने तथा सेवा सुपुर्दगी अनुभव बढ़ाने के लिए एमटीएनएल ने पूरी दिल्ली और मुम्बई में 200 से अधिक उपभोक्ता सेवा केन्द्र खोले हैं। यह अपनी उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अभिसारित बिलिंग प्रणाली को कार्यान्वित कर रहा है।

फुटकर और निगमित ग्राहकों को लक्ष्य बनाकर पृथक विक्रय इकाइयों का निर्माण किया गया है। एमटीएनएल ने राष्ट्रमंडल



खेल 2010 के लिए राजकीय संचार साझेदार का चयन कर लिया है। एमटीएनएल में उपभोक्ताओं के विश्वास के साक्ष्यस्वरूप इसे लगातार पिछले तीन वर्षों से "सर्वाधिक भरोसेमंद ब्राण्ड" के रूप में चुना गया है।

दिल्ली और मुंबई महानगरों में विकास के सीमित अवसरों की अपनी बाध्यता से निजात पाने के लिए एमटीएनएल सतत रूप से विदेशी बाजार विशेषकर अफ्रीकी क्षेत्र में संघटित तथा असंघटित विकास अवसरों की खोज कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा में अपना आधार स्थापित करने के लिए एमटीएनएल ने बीएसएनएल के साथ 50:50 इक्विटी की संयुक्त उद्यम साझेदारी में मिलेनियम टेलीकॉम लि0 की स्थापना की है तथा साथ ही इसकी पूर्व और पश्चिम गलियारे में 10000 कि0मी0 से अधिक समुद्री केबल बिछाने की योजना है।

- भविष्य में अपनी अग्रणी स्थिति को कायम रखने के लिए एमटीएनएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए वाईमैक्स (डब्ल्यूआईएमएएक्स), एनजीएन आधारित फिक्सड सेवा, फिक्सड मोबाइल कन्वर्ज्ड सेवा इत्यादि शुरू करने की योजना बनाई है।

वित्तीय कार्य निष्पादन

वर्ष 2009-10 के दौरान एमटीएनएल का वित्तीय कार्य निष्पादन निम्नानुसार रहा है :-

अन्य प्रचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद एमटीएनएल ने पिछले वर्ष के 5329.94 करोड़ रूपए के कारोबार की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान 5250.27 करोड़ रूपए का वित्तीय कारोबार किया। एमटीएनएल ने पिछले वित्तीय वर्ष के 586.89 करोड़ रूपए के मुकाबले 211.72 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ दर्ज किया।

प्रौद्योगिकी पर पूंजीगत व्यय

वर्ष 2009-10 के दौरान, एमटीएनएल ने पिछले वर्ष में 932.46 करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय के मुकाबले 871.12 करोड़



श्री ए0 राजा, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री आरएसपी सिन्हा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - एमटीएनएल से अंतिम लाभांश का चेक लेते हुए। उनके सबसे बायीं तरफ हैं श्री सचिन पायलट, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा सबसे दायीं तरफ हैं श्री पी0जे0 थॉमस, सचिव (दूरसंचार)

रूपए की राशि खर्च की है। यह पूर्णतः आंतरिक संसाधन सृजन के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

राजस्व आश्वासन

राजस्व आश्वासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि नेटवर्क पर होने वाले बिल बनाने योग्य समस्त कार्यकलापों का ब्योरा सही ढंग से लिया जाए, दरे लगाई जाएं और उनके बिल बनाए जाएं। एमटीएनएल में भी एक राजस्व आश्वासन कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है जिसमें यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिकतम राजस्व बिलिंग और राजस्व वसूली की जाए ताकि अतिरिक्त बकाया देय राशि का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त कार्यक्रम में



निम्नलिखित बातें शामिल है :-

- वाणिज्यिक आंकड़ों और बिलिंग के आंकड़ों का मिलान।
- सृजित सीडीआर और बिल किए गए सीडीआर का मिलान।
- बिलों को समय पर जारी करना ताकि भुगतान शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो जाए।
- बिलों के भुगतान के लिए ऑन लाइन भुगतान सहित विभिन्न तरीकों की शुरुआत।
- इंटरकनेक्ट बिलिंग का निपटान
- पुरानी बकाया देय राशि आदि की वसूली हेतु प्राइवेट वसूली एजेंटों की नियुक्ति।

पुराने बकाया और समस्त राजस्व उगाही को ओर घटाने के लिए प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर राजस्व बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ।

इसके अतिरिक्त, ट्राई ने विभिन्न दूरसंचार प्रचालकों के लिए, ट्राई द्वारा ही बनाए गए लेखापरीक्षकों के पैनल द्वारा बिलिंग और मीटरिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा करवाना भी अनिवार्य कर दिया है जिससे एमटीएनएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राजस्व आश्वासन कार्यक्रम संपूर्ण हो जाता है।

कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल में विभिन्न श्रेणियों के कुल 46,091 (सफाई वाला को छोड़कर) कर्मचारी थे। कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 8369 है जो कुल कर्मचारियों का 18.13% है। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या 1580 है जो कुल कर्मचारियों का 3.42 % है।

समूह	कुल कर्मचारी	महिला	निःशक्त व्यक्ति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
क	1269	44	2	55	218
ख	5175	68	26	113	778
ग	27412	7596	180	512	4744
घ	12235	1264	38	900	2629
डीआरएम	64			-	-
जोड़	46155	9472	246	1580	8369

एमटीएनएल शेयरों का कारोबार

एमटीएनएल के शेयर देश में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नै स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। इन शेयरों का भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) में नियमित रूप से कारोबार किया जा रहा है। कंपनी द्वारा जारी किए गए एडीआर न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) में सूचीबद्ध हैं और वहां नियमित रूप से कारोबार किया जाता है।



विकास लक्ष्य/उपलब्धियां - दिल्ली

क्रम सं०	मर्दे	लक्ष्य (एमओयू) 2008-09	उपलब्धियां 2008-09	लक्ष्य (एमओयू) 2009-10	उपलब्धियां 2009-10 (दिसंबर तक)
क	स्विचन (हजार लाइनों में)				
I	कुल (क्षमता)	*	39.614	*	266.200
ii	रद्दी घोषित करना	*	39.614	*	54.334
iii	निवल क्षमता \$	500	0	500	211.866
ख	सीधी एक्सचेंज लाइनें (हजार लाइनों में)				
I	कुल	*	701.072	*	424.387
ii	निवल \$	475	404.451	500	255.933
ग	टीएएक्स/टैंडम (हजार लाइनों में)	48	32	*	0
घ	पारेषण (प्रणाली का नाम)	*		*	
क	एसडीएच प्रणाली			-	
(i)	एसटीएम-16		12	-	6
(ii)	एसटीएम-4		31	-	14
(iii)	एडीएम-1/एसटीएम-1		30	-	22
(iv)	टीएमएस-1	-	16	-	2
ङ	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	*	246.415	*	156.161
च	आप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी. में)	23000	11299.068	20000	8185.248
छ	आईएसडीएन	*	-506	*	-30
ज	प्रतीक्षा सूची	*	-	*	
झ	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	*	81488	*	48373
ञ	इंटरनेट कनेक्शन	*	7216	*	73
ट	आईपीटीवी उपभोक्ता	10000	5350	10000	-838
ठ	वीओआईपी	5000	2103	4000	1678

\$ इसमें (स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल तथा जीएसएम) शामिल हैं।

* एमओयू में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।



अनुबंध- II

विकास लक्ष्य/ उपलब्धियां-मुंबई

क्रम सं०	मर्दे	लक्ष्य (एमओयू) 2008-09	उपलब्धियां 2008-09	लक्ष्य (एमओयू) 2009-10	उपलब्धियां 2009-10 (दिसंबर तक)
क	स्विचन (हजार लाइनों में)				
i	कुल (क्षमता)	*	1123.268	*	51.852
ii	रद्दी घोषित करना	*	123.268	*	96.114
iii	निवल क्षमता \$	500	1000	500	-44.262
ख	सीधी एक्सचेंज लाइने (हजार लाइनों में)	*		*	
i	कुल	*	723.420	*	250.951
ii	निवल \$	475	441.419	500	48.976
ग	टीएएक्स/टैंडम (हजार लाइनों में)	48	45	*	0
घ	पारेषण (प्रणाली का नाम)			*	
क	एसडीएच प्रणाली				
(i)	एसटीएम-16		59	-	6956
(ii)	एसटीएम-4		45	-	44
(iii)	एडीएम-1/ एसटीएम-1	*	125	*	162
ङ	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	23000	545.85	20000	262.78
च	आप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी. में)	*	25239.45	*	17060.21
छ	आईएसडीएन	*	418	*	-364
ज	प्रतीक्षा सूची	*		*	-
झ	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	*	43421	*	24164
ञ	इंटरनेट कनेक्शन	*	65102	*	62464
ट	आईपीटीवी उपभोक्ता	10000	2127	10000	592
ठ	वीओआईपी	5000	1224	4000	653

\$ इसमें (स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल तथा जीएसएम) शामिल हैं।

* एमओयू में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।



VIII. 3 आईटीआई लिमिटेड

प्रस्तावना

आईटीआई लिमिटेड 1948 से दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख उपक्रम है।

छह स्थानों पर अत्याधुनिक विनिर्माणकारी सुविधाओं तथा देशव्यापी विपणन नेटवर्क/सेवा केन्द्रों के साथ यह कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी रेंज तथा सम्पूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है जिसमें स्विचन, पारेषण, अभिगम्यता और उपभोक्ता परिसर उपकरण का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। प्रौद्योगिकीय रुझानों के अनुरूप, आईटीआई ने जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल) तथा सीडीएमए (कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस) प्रौद्योगिकियों दोनों के आधार पर मोबाइल अवसंरचना उपकरण का निर्माण शुरू कर दिया है। आईटीआई ने ब्रॉडबैंड इफ्रा उपकरणों तथा आईपी प्रौद्योगिकी पर आधारित अगली पीढ़ी के नेटवर्क उपकरणों के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण भी किया है। आईटीआई के पास उपकरणों को संस्थापित करने और उन्हें चालू करने तथा टर्नकी परियोजनाओं को शुरू और मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समर्पित नेटवर्क प्रणाली इकाई है। आईटीआई ने पिछले चार वर्षों से भारतीय दूरसंचार में बेहतरीन टर्नकी सेवा कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त की है।

आईटीआई अपने मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में बीटीएस उपकरण के विनिर्माण सुविधा के उद्घाटन के साथ जीएसएम प्रौद्योगिकी की विश्व स्तर की कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिसके कारण देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरणों के उत्पादन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने बीएसएनएल से कुल 18 मिलियन लाइनों का आदेश प्राप्त किया है, जिसमें पश्चिम जोन और दक्षिण जोन प्रत्येक के लिए 9 मिलियन लाइनें शामिल हैं तथा दोनों आदेशों के लिए उपस्कर की आपूर्ति की जा रही है। प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता की सफलता आईटीआई की सभी इकाइयों में दिखाई पड़ती है जो आईएसओ 9001:2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के सर्वथा अनुरूप है। आईएसओ 14001 : 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक भी पालक्कड, मनकापुर (पीसीबी और हाइब्रिड सक्रिट डिवीजन) और बेंगलुरु संयंत्रों में सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। नई पीढ़ी के सॉफ्ट स्विच और एसटीपी (सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट) का उत्पादन इसके पालक्कड स्थित संयंत्र में किया जाएगा, जहां पहले से ही सिम (सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मोड्यूल) कार्डों का निर्माण किया जा रहा है। नैनी संयंत्र में डीएलसी (डिजिटल लूप कैरियर) उपकरणों के अलावा, एसडीएच (सिंक्रोनस डिजिटल हायरआर्की) तथा डीडब्ल्यूडीएम (डेंस वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग) ऑप्टिकल उपकरणों का निर्माण शुरू किया गया है।

कंपनी ने रायबरेली संयंत्र में विमेक्स/विमेक्स-सीपीई और जीपीओएन जैसे ब्रॉडबैंड उपस्कर का विनिर्माण भी चालू कर रही है। कंपनी रक्षा सेवाओं के सम्पूर्ण नेटवर्क और संचार संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सभी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। बेंगलुरु स्थित संयंत्र सीडीएमए इन्फ्रा उपकरण और आईएफडब्ल्यूटी (एकीकृत स्थिर बेतार टर्मिनल) और एडीएसएल सीपीई (एसी मेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंटों के निर्माण कार्य में लगा है तथा साथ ही बैंकों/वित्तीय सेक्टर और दूरसंचार से संबंधी अन्य साफ्टवेयर के लिए आईपी परियोजनाओं को संभालने हेतु राजस्व हिस्सेदारी माडल के आधार पर मै0 ट्राई मैक्स के साथ भागीदारी में डाटा केंद्र स्थापित कर रहा है।

अपनी गहन दूरसंचार विशेषज्ञता और व्यापक अवसंरचना का उपयोग करके, कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में कार्य शुरू कर रही है, जिसके कारण कनवर्जेंस मार्केट में इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल रहा है। डब्ल्यूएन (वाइड एरिया नेटवर्किंग) के क्षेत्र में आईटीआई की क्षमता की झलक बीएसएनएल के लिए सफलतापूर्वक चालू की गई निम्नलिखित दो प्रमुख परियोजनाओं में दिखाई पड़ती है : देशव्यापी एमएलएलएन (मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क) और एसएसटीपी (स्टैण्डएलोन सिग्नल ट्रांसफर प्वाइंट) । आईटीआई राष्ट्रीय आईडी कार्डों की तैयारी के लिए चुनी गई एजेंसियों में से एक एजेंसी है।



इंडिया टेलीकॉम 2009" के दौरान आईटीआई स्टाल पर श्री गुरुदास कामत, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

एमटीएनएल के इंटरनेट सेवा उपकरणों का विस्तार करने संबंधी परियोजना का सफल कार्यान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंपनी के अनवरत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामरिक संचार में कंपनी को विशेषज्ञता हासिल है और भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए सुरक्षित संचार नेटवर्क का निर्माण करने का आईटीआई का प्रमाणित रिकार्ड रहा है। विभिन्न उपभोक्ताओं को उनके अनुकूल समाधान प्रदान करने के लिए इनक्रिप्शन, एनएमएस, आईटी और अभिगम उत्पादों के विशिष्ट क्षेत्रों में कंपनी के अंदर ही व्यापक अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है।

पूंजीगत ढांचा

31मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 700 करोड़ रु0 थी। इस तारीख को प्रदत्त शेयर पूंजी 588 करोड़ रुपए थी (10-10/- रुपए मूल्य के 288 करोड़ रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर तथा 100-100 रुपए मूल्य के 300 करोड़ रुपए के अधिमानी शेयर)। 31मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में केन्द्र सरकार का शेयर प्रतिशत 92.87% है।

वर्ष 2008-09 के दौरान निष्पादन की विशेषताएं

- 944.03 करोड़ रु0 मूल्य के जीएसएम-इन्फ्रा उपस्कर की आपूर्ति की गई।
- 66.94 करोड़ रु0 मूल्य के डब्ल्यूएलएल-सीडीएमए इन्फ्रा, के उपस्कर की आपूर्ति की गई।



- 128.97 करोड़ ₹0 मूल्य के डीडब्ल्यूडीएम प्रणालियों की आपूर्ति की गई।
- 78.70 करोड़ ₹0 मूल्य के एसटीएम ऑप्टिक फाइबर उपकरणों की आपूर्ति की गई।
- 66.5 करोड़ ₹0 के एमएलएलएन उपकरण की आपूर्ति की गई तथा आई और सी का कार्य चल रहा है।
- एसएसटीपी उपकरण की आपूर्ति तथा सभी 24 स्थलों में 57.05 करोड़ रुपये मूल्य के आई और सी का कार्य संपन्न हुआ।
- 45.86 करोड़ ₹0 मूल्य के एडीएसएल-सीपीई, उपकरण की आपूर्ति की गई।
- 21.25 करोड़ ₹0 मूल्य के सिम कार्ड की आपूर्ति की गई।
- 12.44 करोड़ ₹0 मूल्य के सीडीएमए डब्ल्यू एल एल आई एफ डब्ल्यूटी टर्मिनल की सप्लाई की गई।
- 219.90 करोड़ ₹0 मूल्य के सेवा संबंधी व्यावसायिक कार्य निष्पन्न किये गये।

अप्रैल से दिसम्बर, 2009 के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

- 2135 करोड़ रुपये मूल्य के जीएसएम-इन्फ्रा उपकरण की आपूर्ति भारत संचार निगम लि0 (पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र) तथा महानगर टेलीफोन निगम लि0 मुंबई को की गयी।
- 297 करोड़ रुपये मूल्य के सीडीएमए - डब्ल्यूएलएल इन्फ्रा उपकरण की आपूर्ति की गयी और आई और सी का कार्य चल रहा है।
- 87.6 करोड़ रुपये मूल्य का सीडीएमए उन्नयन का आदेश निष्पादित किया गया।
- 135 करोड़ रुपये मूल्य के एसटीएम ऑप्टिक फाइबर उपकरणों की आपूर्ति की गयी।
- 106.59 करोड़ रुपये के एसएसटीपी उपकरण की आपूर्ति तथा सभी 24 स्थलों में आई और सी का कार्य सम्पन्न।
- 39.96 करोड़ रुपये मूल्य के जी-पॉन उपकरणों की आपूर्ति की गयी।
- 24.73 करोड़ रुपये मूल्य के ओसीबी 283 सीएसएन/कोर उपकरण की आपूर्ति की गयी।
- 13.5 करोड़ रुपये मूल्य के एमएलएलएन उपकरण की आपूर्ति की गयी।
- 7.58 करोड़ रुपये मूल्य के डीडब्ल्यूडीएम उपकरण की आपूर्ति की गयी।
- 7.20 करोड़ रुपये मूल्य के सिम कार्डों की आपूर्ति की गयी।
- 181 करोड़ रुपये मूल्य के सेवा संबंधी व्यवस्था इत्यादि का निष्पादन किया गया।



मई 2007-08, 2008-09 आरैर 2009-10 (अप्रैल-दिसंबर 2009) के लिए वास्तविक उपलब्धियों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

2007-08, 2008-09 और 2009-10 (अप्रैल-दिसंबर, 2009) के लिए वास्तविक निष्पादन

प्रमुख उत्पाद	अकाउंटिंग यूनिट	2007-08	2008-09	2009-10 अप्रैल-दिसंबर 2009 (अनंतिम)	प्रत्याशित जनवरी-मार्च, 2010
निर्माण उत्पाद					
ओसीबी - 283 सीएसएन/लोकल	करोड़ रू०	34.88	13.06	24.73	0.87
ओसीबी - टीएएक्स/टैंडम	करोड़ रू०	24.40	-	-	
एसएसटीपी/आईपी टीएएक्स	करोड़ रू०	2.61	57.05	106.59	-
सी-डॉट उत्पाद तथा अतिरिक्त उत्पाद	करोड़ रू०	41.77	18.87	4.22	3.46
एसटीएम/ ऑप्टिकल फाइबर उपस्कर	करोड़ रू०	45.67	78.70	135.29	80.0
एसएटीसीओएम	करोड़ रू०	8.89	7.48	1.74	10.74
पीसीएम एमयूएक्स	करोड़ रू०	17.48	16.11	6.34	
डीडब्ल्यूडीएम	करोड़ रू०	58.13	128.87	7.58	42.0
एमएलएलएन	करोड़ रू०	125.88	66.50	13.50	14.91
ईपीबीटी / क्लिप फोन	करोड़ रू०	8.21	0.06	1.18	0.10
एएसडीएल - डीएसएलएएम+सीपीई	करोड़ रू०	7.71	45.86	2.50	25.0
जी-पीओएन	करोड़ रू०	-	-	39.96	160.0
सिम कार्ड्स	करोड़ रू०	17.60	21.25	7.20	10.0
एसएमपीएस	करोड़ रू०	10.11	25.08	13.47	10.0
विविध उत्पाद	करोड़ रू०	35.39	19.12	23.10	25.0
टर्नकी परियोजनाएं	करोड़ रू०				
जीएसएम - इंफ्रा	करोड़ रू०	266.79	944.03	2135.05	1410.0
डब्ल्यूएलएल - सीडीएमए इन्फ्रा	करोड़ रू०	62.07	66.94	297.18	12.82
डब्ल्यूएलएल - सीडीएमए उन्नयन	करोड़ रू०	-	-	86.09	1.51
आईएफडब्ल्यूटी	करोड़ रू०	77.35	12.44	-	0.13
सेवा कारोबार	करोड़ रू०	365.10	219.90	181.0	150.0
जोड़(शुल्क सहित)	करोड़ रू०	1210.04	1741.32	3086.72	1956.54



नियोजित भावी प्रौद्योगिकियां

आईटीआई द्वारा शुरू किए जाने के लिए नियोजित नई प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं :-

डाटा केंद्र : आईटीआई ने मैसर्स ट्राइमैक्स के साथ मिलकर राजस्व साझेदारी मॉडल पर आईटीआई, बंगलूरु में 1,20,000 स्क्वेयर फीट जगह पर अत्याधुनिक विश्वस्तरीय टायर 3+ डाटा केंद्र की स्थापना की है। डाटा केंद्र के चरण-1 की संस्थापना हो चुकी है और इसने कार्य करना शुरू कर दिया है और 30 जून, 2009 को सचिव, दूरसंचार विभाग ने इसका उद्घाटन किया था।



श्री के0के0 खुराना, डीआर-एचआर श्री सुशील कुमार शिंदे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (बायें से दूसरे) से मनकापुर संयंत्र की ओर से सामान्य संवर्ग में वर्ष 2009 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार लेते हुए

जी-पीओएन : आईटीआई, मैसर्स एल्फियन कार्पोरेशन, यूएसए के साथ मिलकर तकनीकी साझेदारी द्वारा इस समय रायबरेली संयंत्र में जी-पीओएन उपस्कर का निर्माण कर रहा है। आईटीआई पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जिसे इस उत्पाद के लिए टीएसईसी प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इस साल आईटीआई बीएसएनएल पीओ का निर्माण और निष्पादन कर रहा है जिनकी कीमत लगभग 400 करोड़ रू0 है।

जीई-पीओएन : जीई-पीओएन उपस्कर का निर्माण करने के लिए आईटीआई ने मैसर्स जेडटीई कार्पोरेशन, चीन के साथ तकनीकी साझेदारी की है। इस वर्ष आईटीआई, आईटीआई को प्राप्त आरक्यू आदेश के निष्पादन के लिए इस उपस्कर का निर्माण करेगा, जिसके लिए टीएसईसी प्रमाणन हेतु उत्पाद का मूल्यांकन किया जा रहा है।

वाइमैक्स/वाइमैक्स सीपीई : आईटीआई ने वाइमैक्स कारोबार के लिए मैसर्स प्वाइंटरेड टेलीकॉम, बंगलूरु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के आधार पर आईटीआई वाइमैक्स बेस स्टेशन और वाइमैक्स नेटवर्क का टर्नकी आधार पर निर्माण करेगा। इसी बीच आईटीआई अनुसंधान और विकास वाइमैक्स सीपीई के विकास के लिए अपने विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है क्योंकि इसके लिए बाजार में बेहतर स्थिति है।



यू-सिम कार्ड : विभिन्न प्रकार के यू-सिम कार्ड का निर्माण शुरू करने के लिए आईटीआई अपनी सिम कार्ड निर्माण सुविधा को उन्नत करने की प्रक्रिया में है। इस समय इस उत्पाद का मूल्यांकन चल रहा है और आईटीआई को इन उत्पादों के लिए टीएसईसी प्रमाणन प्राप्त होने की संभावना है।

एनजीएन (अगली पीढ़ी के नेटवर्क) : आईटीआई द्वारा आईपी-टीएएक्स (एनजीएन श्रेणी 4) के संबंध में मैसर्स हुआवेई, चीन के साथ हुए करार का सकारात्मक परिणाम निकला है। वर्तमान में, पालक्कड संयंत्र में आरक्षित कोटा के अंतर्गत बीएसएनएल पीओ का निष्पादन प्रक्रियाधीन है। इसी बीच, आईटीआई ने एनजीएन श्रेणी 5 उपस्कर के विनिर्माण हेतु मैसर्स जेडटीई कार्पोरेशन, चीन के साथ करार किया है।

महत्वपूर्ण कार्यकलाप/घटनाएं

- कंपनी के दायित्वों के निर्वहन के लिए आईटीआई को पुनरूद्धार पैकेज के हिस्से के रूप में अगस्त, 2009 में 2820 करोड़ ₹0 अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं।
- इसके अलावा, सरकार ने रणनीतिक भागीदारी के तहत आईटीआई द्वारा 3 संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को भी अनुमोदित कर दिया है। उत्पादों और अवस्थितियों का वर्णन निम्नानुसार है :
 - रायबरेली में वाइमैक्स बेस-स्टेशन ट्रांसमिसिवर उपस्कर और संबंधित उपभोक्ता परिसर उपस्कर।
 - नैनी में जी-पीओएन/जीई-पीओएन तथा ऑप्टिकल ट्रांसमिशन उपस्कर।
 - बंगलूरु में आईपी कोर प्रणाली।

तदनुसार, आईटीआई ने संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन के लिए अधिकतर इक्विटी भागेदारी सहित रणनीतिक साझेदारों से बोलियों हेतु 30.10.2009 को अधिसूचना जारी की है।

- आईटीआई की नेटवर्क सिस्टम यूनिट को आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
- डब्ल्यूएलएल सीडीएमए इन्फ्रा और एसएसटीपी - एमएनपी के उपलब्ध क्रय आदेश, सभी उपस्करों की आपूर्ति कर दी गई है तथा आई एंड सी पर कार्य चल रहा है।
- जी पीओएन : बीएसएनएल से 388 करोड़ ₹0 मूल्य के आरक्यू और टीक्यू आदेश प्राप्त हुए हैं और उपस्करों की आपूर्ति की जा रही है।
- डब्ल्यूएलएल सीडीएमए इन्फ्रा - एमएनपी उपस्कर - सितंबर, 2009 में बीएसएनएल से 87.6 करोड़ ₹0 मूल्य के आदेश प्राप्त हुए हैं और उपस्करों की आपूर्ति पूरी हो चुकी है।
- एमएलएलएन - बीएसएनएल को 25 करोड़ ₹0 मूल्य के वीएमयूएक्स - 924 सं० उपस्कर के आदेश की आपूर्ति का कार्य चल रहा है।
- डीडब्ल्यूडीएम 40 सीएच : बीएसएनएल से 52 करोड़ ₹0 के आदेश प्राप्त हुए हैं और आपूर्ति जारी है।



श्री पी0जे0 थॉमस, सचिव दूरसंचार विभाग "गुड वर्क (अच्छा कार्य)" लिखकर सराहना व्यक्त करते हुए।

कार्मिक संबंधी स्थिति

कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या पिछले वर्ष के अंत में 13045 की तुलना में वर्ष 2008-09 के अंत में 12556 थी। वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना प्रचालन में नहीं थी। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के आरंभ से 13744 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को चुना है। 31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार 11970 कर्मचारी हैं।



VIII.4 टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

प्रस्तावना

टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में 10 मार्च, 1978 को निगमित किया गया था। कंपनी की स्थापना व्यापक भारतीय दूरसंचार विशेषज्ञताओं का लाभ भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखनेवाले विकासशील देशों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। कंपनी ने 1 अगस्त, 1978 से काम करना शुरू किया। तब से कंपनी ने मुख्यतः विकासशील देशों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए विश्वस्तरीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों को अपनाया जारी रखा है। कंपनी परिवर्तित दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश में स्वयं को स्थापित कर रही है तथा इसने सूचना और प्रौद्योगिकी तथा सिविल निर्माण के क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है।

परिकल्पना

"प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर अवसरों के माध्यम से विश्वभर में आईसीटी, विद्युत और नागरिक अवसररचना के क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करना।"

लक्ष्य

कंपनी का लक्ष्य वाक्य है "विश्व भर में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा सेक्टर में टर्नकी आधार पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए अग्रणी बने रहना।"

उद्देश्य

- दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में दुनिया भर में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी और भारतीय विशेषज्ञता प्रदान करना।
- उपयुक्त बाजार कार्य नीतियां विकसित करके विदेशी/भारतीय बाजारों में अपने क्रियाकलापों को बनाए रखना, उनमें विस्तार करना और उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- निरंतर आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अर्जित करते रहना और नेतृत्व बनाए रखना।
- साइबर पार्क, साइबर शहरों, इंटेलिजेंट भवनों, राजमार्गों एवं सड़कों तथा अन्य सिविल कार्यों में कार्यकलापों का विस्तार करना।
- नए दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्कों के निर्माण और पुराने नेटवर्कों के उन्नयन के लिए किफायती नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रवेश करना।
- ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कन्वर्जेंट सेवा नेटवर्क पर गतिविधियां केंद्रित करना।
- दूरसंचार बिलिंग, ग्राहक सेवा, मूल्यवर्धित सेवाएं, ई-गवर्नेंस नेटवर्क और अन्य ऐसी सेवाओं में प्रणाली संयोजक के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश करना।
- टीसीआईएल के तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशों में ओ एंड एम (संगठन और पद्धति) संबंधी ठेकों में अधिकाधिक संवर्द्धन करना।
- विदेशों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण अवसररचना का विकास करना।
- विभिन्न राज्यों में एसडब्ल्यूएन परियोजनाओं में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करना।



विशिष्ट क्षमता

कंपनी, भारत और विदेशों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में परियोजनाएं चला रही है। कंपनी की विशिष्ट क्षमताएं नेटवर्क परियोजनाओं, सॉफ्टवेयर सहायता, स्विचन और पारिषण प्रणालियों, सेल्युलर सेवाओं, ग्रामीण दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर आधारित बैकबोन नेटवर्क, सीडीएमए आधारित बुनियादी सेवाएं नेटवर्क, विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए बिलिंग, मिडिएशन एवं उपभोक्ता सेवा तंत्र के क्षेत्र में हैं। कंपनी अपने क्रियाकलापों का अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी प्रसार कर रही है जैसे कि बिजली संबंधी उपयोगिताओं के लिए ग्राउंड वायर, ऑप्टिकल फाइबर भारत में राज्य सरकारों के लिए ई-गवर्नेन्स, हवाई अड्डा टर्मिनलों और लाइट हाउसों के लिए संचार व्यवस्था, इंटेलिजेंट भवन, साइबर पार्को, सड़कों, इत्यादि का निर्माण।

कंपनी ने भारत और विदेशों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से बुनियादी और अन्य लाइसेंसीकृत सेवाओं के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। टीसीआईएल की राजस्थान में संयुक्त उद्यम के माध्यम से जीएसएम सेल्युलर मोबाइल सेवा तथा एमटीएनएल, वीएसएनएल तथा एक नेपाली साझेदार के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से नेपाल में डब्ल्यूएलएल प्रणाली आधारित बुनियादी सेवाएं प्रचालन में हैं।

कंपनी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों में भाग लेकर कारोबार प्राप्त कर रही है। कंपनी पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार आदि में सामरिक संचार लिंक उपलब्ध कराने में भी सहायता प्रदान कर रही है।

टीसीआईएल में सरकारी निवेश

कंपनी 10 लाख ₹ की प्रदत्त पूंजी के साथ 1978 में निगमित की गई थी। वर्ष 1982-83 में कंपनी की प्रदत्त पूंजी बढ़ाकर 30 लाख ₹ कर दी गई थी। 1987-88, 1992-93, 1994-95, 1996-97, 2001-02, 2002-03 और 2008-09 में सात बोनस इश्यू जारी किए जाने के बाद कंपनी की प्रदत्त पूंजी 43.20 करोड़ ₹ हो गई है। कंपनी ने 30 लाख ₹ के प्रत्यक्ष सरकारी निवेश पर अब तक भारत सरकार को लाभांश के रूप में कुल 167 करोड़ ₹ से अधिक राशि प्रदान की है। 31.3.2009 को कंपनी का निवल मूल्य 405.60 करोड़ ₹ था।



सर्व अफ्रीकी ई-नेटवर्क के क्रियान्वयन हेतु नई दिल्ली में महामहिम श्री मोथेट जोआ मेटसिंग, लेसोथो के माननीय मंत्री और श्री गुरुदास कामत माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री - लेसोथो गणराज्य के साथ कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हुए



विदेशी कार्यकलाप

कंपनी ने अब तक 58 देशों में काम किया है। मौजूदा चालू कार्यकलाप मॉरीशस, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, अल्जीरिया, नेपाल, भूटान, इथोपिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान, बहरीन तथा कतर में हैं। कंपनी अफ्रीका में सभी 53 सदस्य देशों को शामिल करते हुए ई-शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है।

2009-10 की मुख्य-मुख्य बातें

परियोजना निर्यात

वर्ष 2009-10 के दौरान परियोजना निर्यात 235.72 करोड़ रु0 होने की आशा है।

कारोबार एवं लाभ

वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष के 646.41 करोड़ रु0 के कारोबार की तुलना में 688 करोड़ रु0 का कारोबार होने की आशा है तथा समझौता ज्ञापन लक्ष्य 680 करोड़ रु0 है।

हार्डटेक परियोजनाओं पर विशेष बल

कंपनी ने ओपीजीडब्ल्यू आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्कों, जीएसएम/सीडीएमए परियोजनाओं, एफटीटीएच, तट से जहाजों की निगरानी की संचार प्रणाली, उपग्रह नेटवर्कों, ई-चिकित्सा, ई-शिक्षा, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की नई प्रौद्योगिकियों और साइबर शहरों के निर्माण में परामर्श का कार्य तथा विधिसम्मत अंतरावरोधन अनुश्रवण प्रणाली (एलआईएम) संस्थापित करने संबंधी हार्ड-टेक परियोजनाओं पर विशेष बल दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

दूरसंचार परिदृश्य में परिवर्तन होने पर, कंपनी ने साहसपूर्ण कदम उठाते हुए नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रयास किए तथा संबद्ध क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों के विस्तार का समावेश किया। कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग परियोजनाओं में भाग लेने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को सॉफ्टवेयर विकास से सुदृढ़ और पुनर्गठित भी किया है तथा इसे विकास का प्रमुख क्षेत्र बनाया है। इन पहलों से बहुत लाभ पहुंचा है और इसे एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से युक्त उच्च प्रौद्योगिकी कंपनी में तब्दील कर दिया है जो फाइबर टु द होम (एफटीटीएच), विधिसम्मत अंतरावरोधन, नई पीढ़ी का नेटवर्क (एनजीएन), आईटी कन्सलटेंसी, ई-गवर्नेंस आदि जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रचालन में सक्षम है।

प्राप्त हुए आदेश

वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के दौरान कंपनी को 680 करोड़ रु0 के आदेश प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख आदेश निम्नानुसार हैं :

- ❖ नेपाल में 25.50 करोड़ रु0 के मूल्य की हिलेपानी-डिकतेल रोड का निर्माण और उन्नयन ।
- ❖ ओमानटेल द्वारा 13.29 करोड़ रु0 मूल्य की एफओसी केबल की संस्थापना, एकीकरण, परीक्षण और चालू करने संबंधी कार्य ।
- ❖ 9.00 करोड़ रु0 मूल्य के ओएसपी कार्यों के लिए एसटीसी मोबिली, सऊदी अरब ।
- ❖ 4.76 करोड़ रु0 मूल्य की प्रदीप रिफाइनरी परियोजना हेतु परियोजना प्रबंधन के लिए परामर्शी सेवा ।
- ❖ 4.50 करोड़ रु0 मूल्य की एनआईबी-॥ में प्री-पेड बिलिंग समाधान की आपूर्ति, संस्थापना और चालू करना ।



- ❖ 3.22 करोड़ ₹0 मूल्य की सेटलाइट के प्रचालन एवं अनुरक्षण परियोजना एसटीसी, आईटीसी की एफटीटीबी और ओएसपी परियोजना तथा सऊदी अरब में सऊदी अरायकों की टॉवर पेंटिंग ।
- ❖ कंपनी ने कुवैत में 43.55 करोड़ ₹0 मूल्य की नेटवर्क अनुरक्षण परियोजना एमओसी-पीटीटी-803 (एनएमपी) संबंधी कार्य प्राप्त किया।
- ❖ ओखला, नई दिल्ली में 166 करोड़ ₹0 मूल्य की ईएसआईसी-अस्पताल का निर्माण किया ।
- ❖ उत्तराखंड में 23.42 करोड़ ₹0 मूल्य की धरासू-गंगोत्री रोड़ को चौड़ा करने/सुधार करने का कार्य।
- ❖ हरिद्वार में 42 करोड़ ₹0 मूल्य की प्रेक्षागृह का निर्माण ।
- ❖ डीएमआरसी के पांच एलिवेटेड स्टेशनों के लिए 19.46 करोड़ ₹0 मूल्य की वास्तु संबंधी सज्जा तथा नलसाज़ी संबंधी कार्य ।
- ❖ 42 करोड़ ₹0 मूल्य का बीएसएनएल के लिए एनआईबीएएमसी ठेका ।
- ❖ पैकेज नं0 20, पीडब्ल्यूडी देहरादून के लिए 36.86 करोड़ ₹0 मूल्य की सड़क निर्माण कार्य ।
- ❖ नूह हरियाणा में लघु सचिवालय और न्यायालय ब्लॉक के निर्माण के लिए क्रमशः 16.92 करोड़ ₹0 और 16.60 करोड़ ₹0 मूल्य का कार्य ।
- ❖ राष्ट्रमंडल खेलों से 70 करोड़ ₹0 मूल्य की दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी तथा नेटवर्किंग परियोजना का टर्नकी आधार पर कार्यान्वयन ।

टीसीआईएल के संयुक्त उद्यम

भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (हेक्साकॉम इंडिया लिमिटेड - पूर्व नाम)

टीसीआईएल राजस्थान सर्किल में सेल्युलर टेलीफोन सेवाएं टीसीआईएल द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उद्यम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के माध्यम से प्रचालित कर रही है तथा इस समय नई दिल्ली स्थित भारती टेलीवेंचर्स लिमिटेड के साथ साझेदारी में सेवाओं का प्रचालन कर रही है। इस समय कंपनी के उपभोक्ताओं की संख्या 9.8 मिलियन से अधिक है तथा बाजार में इसका शेयर 30% से अधिक है। इस कंपनी में 106.20 करोड़ ₹0 के निवेश के साथ टीसीआईएल की शेयरधारिता 30% है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी ने दिसंबर, 2009 तक 1647.33 करोड़ ₹0 का टर्नओवर और 407.67 करोड़ ₹0 का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनी में टीसीआईएल की हिस्सेदारी के विनिवेश को अनुमोदित कर दिया है तथा यह प्रक्रियाधीन है।

इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल)

इस कंपनी में 36 लाख ₹0 के निवेश के साथ टीसीआईएल की शेयरधारिता 36% है। इस कंपनी ने दिसंबर, 2009 तक 2.70 करोड़ ₹0 का कारोबार किया और 0.14 करोड़ ₹0 का कर पूर्व लाभ अर्जित किया।

तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल)

तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल) को 1988 में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) के साथ ही शुरू किया गया। कंपनी ने ऑप्टिक फाइबर केबल का विनिर्माण करके अपने प्रचालन कार्यों में विस्तार किया है। टीसीआईएल ने टीटीएल में 6.95 करोड़ ₹0 का निवेश किया है। सरकार ने टीटीएल के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसमें टीसीआईएल के शेयर तथा 15.43 करोड़ ₹0 के अन्य देयताओं को परिवर्तन करने से टीसीआईएल का शेयर बढ़कर 49% तक अर्थात् 22.38 करोड़ ₹0 हो जाएगा। कंपनी ने दिसंबर, 2009 तक 39.38 करोड़ ₹0 का कारोबार किया है।

टीसीआईएल बेलसाउथ लिमिटेड

टीसीआईएल ने अमरीका की बेलसाउथ कंपनी के साथ मिलकर टीसीआईएल बेलसाउथ लिमिटेड (टीबीएल) को संस्थापित किया है। इस कंपनी की इक्विटी में टीसीआईएल का शेयर 84 लाख ₹0 है। टीबीएल ने यूक्रेन, मलेशिया, जिम्बाब्वे और



बोलिविया समेत अनेक देशों में दूरसंचार बिलिंग और प्रशासन परियोजनाओं का निष्पादन किया है। टीबीएल ने में मलावी, स्वाजीलैंड और नेपाल में बिलिंग प्रणाली और ग्राहक सेवा पैकेज का क्रियान्वयन किया है। कंपनी ने दिसंबर, 2009 तक 0.02 करोड़ ₹ का कारोबार किया है।

टीसीआईएल सऊदी कंपनी लिमिटेड

टीसीआईएल ने सऊदी अरब में "टीसीआईएल सऊदी कं० लि० (टीएससीएल)" के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है जिसमें 67 लाख ₹ के निवेश के साथ टीसीआईएल की इक्विटी 40% है। अन्य हिस्सेदार नाटेल की इक्विटी 60% है। नाटेल ने संयुक्त उद्यम कंपनी की हिस्सेदारी छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। किसी अन्य उपयुक्त हिस्सेदार द्वारा उनका स्थान लिए जाने तक संयुक्त उद्यम कंपनी ने नाटेल के साथ यह व्यवस्था की है कि टीसीआईएल टीएससीएल के नाम पर परियोजनाएं चलाएगी और लाभ तथा हानि के लिए जिम्मेदार होगी जबकि नाटेल की प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं होगी तथा नाटेल को ऐसे ठेकों के मूल्य का 3% से 5% प्रायोजन शुल्क के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार, टीएससीएल के माध्यम से किया गया कारोबार टीसीआईएल प्रचालनों के साथ विलयित कर दिया गया है। टीएससीएल प्रचालनों के अतिरिक्त, टीसीआईएल अपने नाम से भी परियोजनाएं चला रही है। दिसंबर, 2009 तक कंपनी ने 22.50 करोड़ ₹ का कारोबार किया और 1.87 करोड़ ₹ का लाभ कमाया है।

यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड

टीसीआईएल ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टाटा कम्यूनिकेशन्स लि० (पूर्ववर्ती वीएसएनएल) और नेपाल वेन्चर्स प्रा० लि० (एनवीपीएल) के साथ मिल कर संयुक्त उद्यम कंपनी यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड का गठन किया है। कंपनी को नेपाल में वायरलेस-इन-लोकल लूप प्रदान करने के लिए सीडीएमए प्रौद्योगिकी आधारित बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस दिया गया है। यूटीएल ने सितंबर, 2003 में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। इस समय कंपनी का उपभोक्ता आधार 3.4 लाख से अधिक है। कंपनी ने दिसंबर, 2009 तक 31.74 करोड़ ₹ का कारोबार किया है।

टीसीआईएल ओमान एलएलसी

वर्ष 2008-09 के दौरान इस कंपनी ने ओमान की एमएसई के साथ मिलकर एक अन्य संयुक्त उद्यम की स्थापना की। इस कंपनी में टीसीआईएल की शेयरधारिता 70% अर्थात् 1,05,000/- ₹ है। यह संयुक्त उद्यम कंपनी ओमान में संविदाएं (ठेका) प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं को विभिन्न विभागों के साथ पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में है।



थाइलैंड के महामहिम राजकुमार का 20 अगस्त, 2009 को टीसीआईएल का दौरा




IX. सांख्यिकी परिशिष्ट

	पृष्ठ
सारणी 1 सापेक्ष निष्पादन	127
सारणी 2 प्रति सौ व्यक्ति टेलीफोन-शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व)	128
सारणी 3 टेलीफोनों की संख्या (वायर लाइन और वायर लैस)	129
सारणी 4 उन गांवों की संख्या जिनमें दूरसंचार सेवाओं की सीधी सुविधा उपलब्ध है	130
सारणी 5 कर्मचारियों की संख्या - अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और आक्त) और महिलाएं	131
सारणी 6 विकलांग कर्मचारियों की संख्या	131

सारणी - 1
मार्च'08 - दिसम्बर'09 के दौरान सापेक्ष निष्पादन

क.सं.	विवरण	अंत में स्थिति		संपूर्ण निष्पादन (4-3)	अंत में स्थिति		संपूर्ण निष्पादन (7-9)
		मार्च'08	मार्च'09		मार्च'09	दिसम्बर'09	
1	2	3	4	5	6	7	8
	कुल	3004.92	4297.25	1292.33	4297.25	5622.11	1324.86
	वॉयर लाईन	394.13	379.65	-14.48	379.65	370.64	-9.01
	वॉयरलेस	2610.79	3917.60	1306.81	3917.60	5251.47	1333.87
1	फोन (लाख में)	795.49	895.46	99.97	895.46	993.24	97.78
	निजी	2209.43	3401.79	1192.36	3401.79	4628.88	1227.09
	ग्रामीण	765.00	1235.13	470.13	1235.13	1745.79	510.66
	शहरी	2239.92	3062.12	822.20	3062.12	3876.32	814.20
	कुल	26.22%	36.98%	-	36.98%	47.88%	-
	सार्वजनिक	6.94%	7.71%	-	7.71%	8.46%	-
2	टेलीघनत्व	19.28%	29.27%	-	29.27%	39.43%	-
	निजी	9.46%	15.11%	-	15.11%	21.19%	-
	ग्रामीण	66.39%	88.84%	-	88.84%	110.69%	-
	शहरी	26.47%	20.84%	-	20.84%	17.67%	-
3	अंशों का प्रतिशत	73.53%	79.16%	-	79.16%	82.33%	-
	ग्रामीण	25.46%	28.74%	-	28.74%	31.05%	-
	शहरी	74.54%	71.26%	-	71.26%	68.95%	-
4	स्विचन क्षमता (लाख में)	959.76	1103.68	143.92	1103.68	1174.74	71.06
5	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन वीपीटी)	519616	549294	29678	549294	561182	11888
6	पीसीओ (लाख में)	22.91	20.89	-2.02	20.89	19.42	-1.47
7	ओएफसी रुट कि.मी.	564166	609223	45057	609223	629005	19782
8	टेक्स लाइन (लाख में)	86.85	88.33	1.48	88.33	88.36	0.03






सारणी - 2

क.सं.	सर्किल / राज्य	प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन-शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व) 31 मार्च'09 - दिसम्बर'09 की स्थितिनुसार												समग्र टेलीफोनो में ग्रामीण टेलीफोनो का प्रतिशत	
		टेली घनत्व						टेलीफोन						मार्च'09	दिसम्बर'09
		समग्र		शहरी		ग्रामीण		समग्र		शहरी		ग्रामीण			
मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09
1	अंडमान और निकोबार	21.24	26.37%	28.89	36.29%	16.57	20.17%	99037	125900	51065	66600	47972	59300	48.44%	47.10%
2	आंध्र प्रदेश	39.59	52.36%	103.38	131.10%	15.22	22.24%	32952403	43894303	23783900	30410398	9168503	13483905	27.82%	30.72%
3	असम	20.65	26.91%	86.98	88.03%	9.36	16.37%	6161988	8106471	3774963	3898810	2387025	4207661	38.74%	51.90%
4	बिहार	22.18	32.97%	133.00	184.72%	9.17	15.14%	21102313	31704943	13296677	18673918	7805636	13031025	36.99%	41.10%
5	छत्तीसगढ़	5.15	5.33%	16.69	16.51%	1.81	2.04%	1217845	1272411	886879	895807	330966	376604	27.18%	29.60%
6	गुजरात	45.16	53.44%	75.43	88.48%	25.21	30.13%	26224524	31365789	17400289	20748099	8824235	10617690	33.65%	33.85%
7	हरियाणा	43.75	54.47%	75.98	91.66%	28.10	36.09%	10777566	13588917	6120251	7561479	4657315	6027438	43.21%	44.36%
8	हिमाचल प्रदेश	55.50	71.94%	179.81	256.22%	40.47	49.42%	3700542	4831955	1293426	1873837	2407116	2958118	65.05%	61.22%
9	जम्मू और कश्मीर	32.76	45.20%	77.42	106.38%	16.72	23.04%	3743780	5216677	2338207	3264074	1405573	1952603	37.54%	27.43%
10	झारखण्ड	4.11	4.74%	13.02	14.46%	1.44	1.81%	1260723	1469240	920845	1037636	339878	431604	26.96%	29.38%
11	कर्नाटक	45.21	60.48%	98.73	128.02%	14.36	21.14%	26326639	35502623	21023170	27660730	5303369	7841893	20.14%	22.09%
12	केरल	58.48	74.81%	125.35	169.97%	35.43	42.05%	19976503	25695341	10976819	14949736	8999684	10745605	45.05%	41.82%
13	मध्य प्रदेश	30.08	40.39%	80.36	103.75%	11.07	16.31%	21057043	28616019	15435929	20242629	5621114	8373390	26.69%	29.26%
14	महाराष्ट्र	37.90	46.65%	69.67	80.94%	21.70	28.96%	34615611	43015206	21493048	25406204	13122563	17609002	37.91%	40.94%
15	पूर्वांचल-I	44.49	60.27%	139.10	139.15%	14.67	35.22%	3150042	4305268	2360195	2395484	789847	1909784	25.07%	44.36%
16	पूर्वांचल-II	9.21	10.87%	27.36	29.66%	3.69	5.09%	655179	636985	371053	408798	164126	228187	30.67%	35.82%
17	उड़ीसा	23.30	33.64%	78.09	115.00%	12.55	17.51%	9334750	13566600	5133558	7674683	4201192	5891917	45.01%	43.43%
18	पंजाब	58.25	69.87%	95.85	114.26%	33.11	39.67%	16530246	20031401	10899559	13261535	5630687	6769866	34.06%	33.80%
19	राजस्थान	37.15	48.42%	102.56	111.37%	16.71	28.71%	24422555	32231314	16050138	17677440	8372417	14553874	34.28%	45.15%
20	तमिलनाडु	50.46	67.83%	79.48	105.38%	25.62	34.67%	30038512	40518112	21819719	29519943	8218793	10998169	27.36%	27.14%
21	उत्तरांचल	11.59	13.05%	25.97	28.15%	6.04	7.17%	1120078	1276128	698627	771468	421451	504660	37.63%	39.55%
22	उत्तरप्रदेश-(पूर्व)	24.91	34.00%	77.76	103.64%	10.24	14.58%	28674570	39683955	18646938	25353235	10027632	14330720	34.97%	36.11%
23	उत्तरप्रदेश-(पश्चिम)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19659617	27189328	14128941	19101397	5530676	8087931	28.13%	29.75%
24	पश्चिम बंगाल	22.51	30.35%	77.86	93.61%	13.50	20.08%	16612575	22555774	8042754	9724286	8569821	12831488	51.59%	56.89%
25	कोलकाता	89.68	111.65%	-	0.00%	-	0.00%	13180947	16549382	12138680	15913707	1042267	635675	7.91%	3.84%
26	वेन्नाई	127.38	148.79%	-	0.00%	-	0.00%	10633508	12674798	10510771	12553706	122737	121092	1.15%	0.96%
27	दिल्ली	140.18	164.58%	-	0.00%	-	0.00%	24501382	29381403	24501344	29381374	38	29	0.00%	0.00%
28	मुम्बई	110.52	133.62%	-	0.00%	-	0.00%	22114803	27205191	22114677	27205191	126	0	0.00%	0.00%
	अखिल भारत	36.98	47.88%	88.84	110.69%	15.11	21.19%	429725181	562211434	306212422	387632204	123512759	174579230	28.74%	31.05%

सारणी - 3

क.सं.	सर्किल/राज्य	टेलीफोनो की संख्या 31 मार्च'09 - दिसम्बर'09 की स्थितिनुसार												कुल टेलीफोन	
		वॉयर लाइन (फिक्सड) फोन						वॉयरलेस (जीएसएम+सीडीएमए) फोन						मार्च'09	दिसम्बर'09
		कुल	मार्च'09	दिसम्बर'09	निजी प्रचालक	सार्वजनिक प्रचालक	कुल	मार्च'09	दिसम्बर'09	निजी प्रचालक	सार्वजनिक प्रचालक				
		मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09
1	अंडमान और निकोबार	19355	17942	19355	17942	0	0	79682	107958	79682	107958	0	0	99037	125900
2	आंध्रप्रदेश	2547736	2455426	2226078	2101314	321658	354112	30404667	41438877	3431448	4249605	26973219	37189272	32952403	43894303
3	असम	351030	328602	351022	328418	8	184	5810958	7777869	973106	1099998	4837852	6677871	6161988	8106471
4	बिहार	968222	968252	963222	960168	5000	8084	20134091	30736691	2185500	2853130	17948591	27883561	21102313	31704943
5	छत्तीसगढ़	290923	269104	230235	207196	60688	61908	926922	1003307	926922	1003307	0	0	1217845	1272411
6	गुजरात	2114175	2071736	1928277	1862850	185898	208886	24110349	29294053	2646288	2961748	21464061	26332305	26224524	31365789
7	हरियाणा	875206	815023	839816	780165	35390	34858	9902360	12773894	1740668	2348258	8161692	10425636	10777566	13588917
8	हिमाचल प्रदेश	379854	358350	375823	353883	4031	4467	3320688	4473605	891513	1212449	2429175	3261156	3700542	4831955
9	जम्मू और कश्मीर	239796	229325	239796	229275	1	50	3503984	4987352	930683	1065090	2573301	3922262	3743780	5216677
10	झारखण्ड	416622	413587	416622	413587	0	0	844101	1055653	844101	1055653	0	0	1260723	1469240
11	कर्नाटक	2782816	2755262	2173393	2090698	609423	664564	23543723	32747361	2743511	3483343	20800212	29240418	26326539	35502623
12	केरल	3576370	3512085	3463628	3397562	112742	114523	16400133	22183256	3090388	3865319	13309745	18317937	19976503	25695341
13	मध्य प्रदेश	1384955	1313318	1109960	1035609	274995	277709	19672088	27302701	2207724	2630428	17464364	24672273	21057043	28616019
14	महाराष्ट्र	3270288	3040561	3015349	2746902	254939	293659	31345323	39974645	4071576	4571924	27273747	35402721	34615611	43015206
15	पूर्वोत्तर-I	207603	199856	207603	199785	0	71	2942439	4105412	361927	436161	2580512	3669251	3150042	4305268
16	पूर्वोत्तर-II	127817	126373	127817	126373	0	0	407362	510612	407362	510612	0	0	535179	636985
17	उड़ीसा	647460	614564	641789	606741	5671	7823	8687290	12952036	1609081	2199875	7078209	10752161	9334750	13566600
18	पंजाब	1648662	1611780	1344911	1296538	303751	315242	14881584	18419621	2896302	3444769	11985282	14974852	16530246	20031401
19	राजस्थान	1665813	1539458	1480889	1426997	184924	112461	22756742	30691856	3240641	3763229	19516101	26928627	24422555	32231314
20	तमिलनाडु	2260000	2142967	2081254	1959943	178746	183024	27778512	38375145	3490931	4295072	24287581	34080073	30038512	40518112
21	उत्तरांचल	300680	286629	300680	286629	0	0	819398	989499	819398	989499	0	0	1120078	1276128
22	उत्तरप्रदेश-(पूर्व)	1525037	1490193	1445029	1404527	80008	85666	27149533	38193762	6093491	7457015	21056042	30736747	28674570	39683955
23	उत्तरप्रदेश-(पश्चिम)	984996	1036152	949340	1000682	35656	35470	18674621	26153176	1830665	2164534	16843956	23988642	19659617	27189328
24	पश्चिम बंगाल	1034372	919837	1028542	914895	5830	4942	15578203	21635937	1931460	2129305	13646743	19506632	16612575	22555774
25	कोलकाता	1537935	1525850	1374422	1339063	163513	186787	11643012	15023532	1573896	1762554	10069116	13260978	13180947	16549382
26	चेन्नई	1404179	1449637	1011580	1008197	392599	441440	9229329	11225161	1125970	1200379	8103359	10024782	10633508	12674798
27	दिल्ली	2521309	2672042	1525981	1536072	995328	1135970	21980073	26709361	2059933	2305775	19920140	24403586	24501382	29381403
28	मुंबई	2881401	2900231	2047225	1955172	834176	945059	19233402	24304960	2422579	25669508	16810823	21735452	22114803	27205191
	अखिल भारत	37964612	37064142	32919637	31587183	5044975	5476959	391760569	525147292	56626746	67736497	335133823	457410795	429725181	562211434





सारणी - 4

दूरसंचार सुविधाओं की सीधी पहुँच वाले गांवों की संख्या

क.सं.	सर्किल / राज्य	गांवों की संख्या (अक्टूबर'2007 से सशोधित)	निम्न स्थितिनुसार वीपीटी युक्त गांव				निम्न स्थितिनुसार पीसीओ (स्थानीय+एसटीडी+राजमार्ग)		
			सार्वजनिक		निजी		कुल वीपीटी		
			मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	मार्च'09	दिसम्बर'09	
1	अंडमान और निकोबा	501	271	311	0	271	311	702	588
2	आंध्रप्रदेश	26613	21600	22994	1408	23008	24402	200291	169545
3	असम	25124	23369	23833	0	23369	23833	33862	33740
4	बिहार	39032	37870	38388	0	37870	38388	67160	65766
5	छत्तीसगढ़	19744	17480	17890	0	17480	17890	8630	6814
6	गुजरात	18159	16504	16886	4114	20618	21000	89587	79579
7	हरियाणा	6764	6600	6681	0	6600	6681	26273	23978
8	हिमाचल प्रदेश	17495	17045	17277	0	17045	17277	11416	10273
9	जम्मू और कश्मीर	6417	5944	5944	0	5944	5944	12693	10575
10	झारखण्ड	29354	27170	27497	0	27170	27497	18954	19059
11	कर्नाटक	27481	27254	27418	0	27254	27418	242020	222975
12	केरल	1372	1372	1372	0	1372	1372	123469	113973
13	मध्य प्रदेश	52117	51893	51986	611	52504	52597	56992	54576
14	महाराष्ट्र	41442	38437	38906	2643	41080	41549	262797	225812
15	पूर्वोत्तर-I	7347	4274	4799	0	4274	4799	9531	9336
16	पूर्वोत्तर-II	7456	4066	4839	0	4066	4839	8628	8664
17	उड़ीसा	47529	40783	43136	0	40783	43136	24796	20927
18	पंजाब	12301	12008	12047	879	12887	12926	23897	20470
19	राजस्थान	39753	38560	38796	3010	41570	41806	55445	49852
20	तमिलनाडु	13837	13794	13823	0	13794	13823	216555	203664
21	उत्तरांचल	15761	13005	14502	0	13005	14502	11065	10457
22	उत्तरप्रदेश-(पूर्व)	76993	76485	74123	0	76485	74123	124809	120016
23	उत्तरप्रदेश-(पश्चिम)	20949	20061	23633	0	20061	23633	44103	45555
24	पश्चिम बंगाल	37365	31533	33400	0	31533	33400	60181	55753
25	कोलकाता	1040	567	567	0	567	567	64083	61277
26	चेन्नई	1655	1498	1655	0	1498	1655	79513	77976
27	दिल्ली	लागू नहीं	0	0	0	0	0	73819	71437
28	मुंबई	लागू नहीं	0	0	0	0	0	137409	128843
	अखिल भारत	593601	549294	562703	12665	561959	575368	2088680	1921480

नोट: यूएसएल लागू होने के कारण अक्टूबर'2003 से निजी वीपीटी स्थिर हैं।

सारणी - 5

31 मार्च की अवस्थितानुसार दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की संख्या - कुल, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त) और महिलाएँ

समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (अशक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (अशक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	महिला कर्मचारी	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
क	2209	355	16.07%	106	4.80%	0	0.00%	0	0.00%	111	5.02%
ख	631	73	11.57%	30	4.75%	1	0.16%	0	0.00%	145	22.98%
ग	447	92	20.58%	28	6.26%	11	2.46%	0	0.00%	73	16.33%
घ	331	117	35.35%	31	9.37%	2	0.60%	0	0.00%	22	6.65%
जोड़	3618	637	17.61%	195	5.39%	14	0.39%	0	0.00%	351	9.70%

सारणी - 6

31 मार्च की अवस्थितानुसार दूरसंचार विभाग के अशक्त कर्मचारियों की संख्या


श्रेणी	संख्या		अंतर
	स्वीकृत का प्रतिशत	कार्यरत	
अल्प दृष्टि	4	4	0
श्रवण दोष	3	1	2






X. ग्राफ एवं चार्ट


	पृष्ठ
आकृति-1 दूरसंचार नेटवर्क का विकास (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र)	135
आकृति-2 वर्ष 2004 से टेलीघनत्व (फोन प्रति 100 व्यक्ति)	136
आकृति-3 वायर लाइन टेलीफोन एवं वायर लेस टेलीफोन	137
आकृति-4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों में सीधी एक्सचेंज लाइनों (वायर लाइन और वायर लेस)का वितरण ।	138
आकृति-5 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधा	139
आकृति-6 दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की संख्या का समूह-वार वितरण	140









आकृति - 3 वॉयर लाईन एवम् वॉयरलेस फोन




वर्ष के अंत में 31 मार्च को




आकृति - 4
सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों और निजी क्षेत्र में कुल फोनो (वॉयर
लाइन और वॉयरलेस) का वितरण
31 मार्च 2009 की स्थिति




31 दिसम्बर 2009 की स्थिति



आकृति - 5
गाँवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनो (बीपीटी) की सुविधा
31 मार्च 2009 की स्थिति




31 दिसम्बर 2009 की स्थिति





आकृति - 6
दूरसंचार विभाग के समूहवार कर्मचारियों की संख्या का
वितरण 31 मार्च 2009 की स्थिति





परिवर्णी - शब्द


एसीसी	- एकाउंट्स कूलींग कॉर्ड
एडीसी	- अभिगम्य घाटा परिवर्तन (एक्सेस डेफिसिट चेंज)
एडीएसएल	- विषम डिजिटल उपभोक्ता लाइन (एसिमीट्रीकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन)
एपीटी	- एशिया प्रान्त दूरसंचार (एशिया पैसिफिक टेलिकम्युनिकोस)
एटीएम	- अतुल्यकालिक अन्तरण मोड (एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड)
बीआरबीआरएआईटीटी	- भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान
सीएसीटी	- दूरसंचार संघटक अनुमोदन केंद्र
सीएडी	- कंप्यूटर सहायता प्राप्त (एडिड) डिजाइन
सी-डॉट	- टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र
सीआईडीए	- कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
सीएलआईपी	- कालर्स लाइन आइडेन्टिफिकेशन प्रोटोकॉल
सीएमपी	- सेल्यूलर मोबाइल फोन्स
सीओएमएसी	- केन्द्रीयकृत प्रचालन और अनुरक्षण केन्द्र
सीएसएमएस	- उपभोक्त सेवा प्रबंधन प्रणाली
डीसीसी	- विकास समन्वय समिति
डीसीएमई	- डिजिटल सर्किट गुणन उपस्कर
डीईसीटी	- डिजिटल वर्द्धित तार-रहित टेलीफोन (डिजिटल एनहान्सड कॉर्डलेस टेलीफोन)
डीआईएस	- सीधी इन्टरनेट अभिगम्य प्रणाली
डीएलसी	- डिजिटल लूप संवाहक (कैरियर)
डी डब्ल्यूडीएम	- डेन्स वेवलेंथ डिविजन मैलिटप्लेक्सिंग
ईएमटीएस	- तुरंत मुद्रा अंतरण सेवा
एफएसएस	- फाइबर अभिगम्य प्रणाली
एफआरएस	- दोष सुधार सेवा
जीएमपीसीएस	- उपग्रह द्वारा सार्वभौमिक मोबाइल निजी संचार
जीपीएसएस	- गेटवे पैकेट स्विचिंग प्रणाली
जी आर	- सामान्य (जिनेरिक) आवयकताएं
एचईसीएस	- उच्च वर्द्धित क्षमता स्विच (हाई एर्लेग कैपिसिटी स्विच)
एचएसडीएल	- हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
आई एफ आर बी	- अन्तर्राष्ट्रीय आवृति विनियामक बोर्ड
आईएलडी	- अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी




आईएमआरबी	- भारतीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो
आईएल	- इन्टेलिजेंट नेटवर्क इनसैट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
आई आर	- अंतरापृष्ठ आवयकताएं (इंटरफेस रिक्वायरमेंट)
आईएसडीएन	- एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (इंटीग्रेटिड सर्विस डिजिटल नेटवर्क)
आईएसपी	- इंटरनेट सेवा प्रदाता
आईटीयू	- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
आईयूसी	- अंतःसंपर्क प्रयोग प्रभार (इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज)
आईवीआरएस	- अंतर्क्रिया ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉंस सिस्टम)
एलएमडीएस	- स्थानीय बहु-बिंदु वितरण प्रणाली
एलओआई	- आय पत्र
एमसीआईबीएस	- सूक्ष्म संसाधित्र नियंत्रित इंटेलिजेंट भवन प्रणाली (माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल्लड इंटेलिजेंट बिल्डिंग सिस्टम्स)
एमसीपीसी	- बहु चैनल प्रति संवाहक (मल्टी चैनल पर कैरियर)
एमएलएलएन	- मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क
एमएमएस	- मल्टी मीडिया मेसेजिंग सर्विस
एमपीएलएस	- मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमएसएस	- चल उपग्रह प्रणाली
एमटीएल	- मिलेनियम टेलिकॉम लिमिटेड
एमयूएक्स	- मल्टीप्लेक्सर
एनआईबी	- राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन
एनएलडीएस	- राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा
एनटीपी	- नई दूरसंचार नीति
एनवाईएसई	- न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज
ओएफसी	- ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओएलटीई	- ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेटिंग उपस्कर
क्यूटीएस	- टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता
क्यूओएस	- सेवा की गुणवत्ता
पीसीबी	- मुद्रित सर्किट बोर्ड
पीसीओ	- सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र
पीसीएस	- वैयक्तिक संचार प्रणाली
पीएमआरटीएस	- सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा
पीओआई	- प्वाइंट ऑफ इन्टरकनेक्शन
पीओटी	- साधारण पुराना टेलीफोन
पीआरएस	- प्रीमियम दर सेवा
पीएसटीएन	- सार्वजनिक स्विचन दूरसंचार नेटवर्क



आरएबीएमएन	- दूरस्थ क्षेत्र व्यवसाय संदेश नेटवर्क
आरएएन	- रेडियो अभिगम नेटवर्क
आरटीटीसी	- क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र
एसएसएस	- लेखांकन पृथक्करण प्रणाली
एसबीएन	- सिग्नल बेस मॉड्यूल
एसडीसीए	- अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र
एसडीएच	- सिन्क्रोनस डिजिटल हायरकी
एसआईएम	- उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल
एसएसए	- गौण स्विचन क्षेत्र
एसटीएम	- सिनक्रोन्स ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल
टीसीपी	- ट्रान्समिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल
टीडीएमए	- टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस
टीडीएसएटी	- दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण
टीआरआईआई	- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टीएसपी	- जनजातीय उप योजना
टीटीएल	- दूरसंचार प्रशिक्षण प्रयोगशाला
टीटीओ	- दूरसंचार प्रगुल्क आदे
यूएचएफ	- अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी
यूएमएस	- एकीकृत संदेश सेवा
यूएसएफ	- वैविक सेवा निधि
यूएसओ	- वैविक सेवा दायित्व
यूटीएल	- यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड
वीसीसी	- वर्चुअल कॉलिंग कार्ड
वीएमएस	- वायस मेल सर्विस
वीपीएन	- वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
वीपीटी	- ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
वीआरएलए	- वेल्थू रेगुलेटेड लीड एसिड
वीएसएटी	- वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल
डब्ल्यूएलएल	- वायरलैस इन लोकल लूप
डब्ल्यूपीसी	- बेतार आयोजना एवं समन्वय
डब्ल्यूपीएचएस	- वेब पेज होस्टिंग सर्विस
डब्ल्यूएसएचएस	- बेव सर्वर होस्टिंग सर्विस



(संगठनात्मक चार्ट)
दूरसंचार विभाग



संक्षिप्तियाँ:

टीपीएफ: टैरिफ पब्लिक इंटरग्रिडेशन फाइनेन्स
एएस: पहुँच सेवाएँ
डब्ल्यूपीएफ: बेतार आयोजन वित्त
ईको: आर्थिक
ए: प्रशासन

आईपी: निवेश प्रोत्साहन
टीईसी: दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र
सीएस: करियर सेवाएँ
डीएस: डाटा सेवाएँ
यूएसएफ: सार्वभौमिक सेवा निधि

एलएफ: लाइसेंसिंग वित्त
पीजी: जन शिकायत
आईआर: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
एसयू: सेवा इकाई
जेएस: संयुक्त सचिव

एफईबी: वित्त, स्थापना और बजट
एलए: कानूनी सलाहकार
टी: दूरसंचार
सी एंड ए: समन्वय एवं प्रशासन
डीडीजी: उप महानिदेशक

